लोक-सभा वाद-विवाद

बुधवार,
७ दिसम्बर, १९५५

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ७: १९५५

(२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक १ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खंड ७—२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५]

अंक १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३६९५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ५ से २५, २८, २९, ३१ और ३२ . ३६९५–३७३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४, २६, २७, ३०, ३३ से ४५ . . ३७३९–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २४ . . . . ३७५०–६४

दैनिक संक्षेपिका ३७६५–७०

अंक २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ५१, ५३ से ६३, ६५ से ६९, ७१, ७२, ७४ और ७५ . . . . . ३७७१–३८१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३, ७६ से ८३, ८५ से ९१ और ९३ से ९७ . ३८१४–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ५४ . . . ३८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका ३८४७–५०

अंक ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८ से १०५, १०८, १३६, १०७, १०९ से ११९, ११३, ११७ से १२२, १२४ से १२६, १२८ . . . ३८५१–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६, ११२, ११४ से ११६, १२७, १२९ से १३५, १३७ से १४७ . . . . . ३८८८–३९०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ६८ और ७० . . . ३९०४–१२

दैनिक संक्षेपिका ३९१३–१६

अंक ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६१, १६३, १६४, १६७ से १७०, १७२, १७४, १७६ से १८३, १८५, १८७ और १८९ . . . ३९१७–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५, १७५, १८४, १९०, १९२ और १९३ . ३९६१–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८१ और ८३ से ९० . . ३९६४–७८

दैनिक संक्षेपिका ३९७९–८०

अंक ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से १९६, १९८, १९९, २०१, २०४ से २०६, २०९ से २१७, २२० से २२५ . . . . ३९८१–४०२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७, २००, २०३, २०७, २०८, २१८, २१९, २२६ से २४० . . . . . ४०२२–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२६ . . . . ४०३६–५८

दैनिक संक्षेपिका ४०५९–६४

अंक ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २४६, २५१, २५२, २५६, २५८, २६०, २६२ से २६४, २६६, २६९, २४१, २४७, २५३, २५७, २५९, २६१, २६५, २६७, २४८, २५५ और २४९ . . . ४०६५–४१०५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ४१०५–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५०, २५४ और २६८ . . . ४११३–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७ से १४८ . . . . ४११४–२६

दैनिक संक्षेपिका ४१२७–३०

अंक ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७१, २७३ से २७६, २७८, २८४, २७९, २८२, २८३, २८५ से २९५, २९७ से ३०१ . . . ४१३१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७७, २८०, २८१, २९६, ३०३ से ३१० और ३१२ . . . . . ४१७४–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १७० . . . ४१८३–९६

दैनिक संक्षेपिका ४१९७–४२००

अंक ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३२४, ३२७ से ३३०, ३३२ से ३३६, ३३८, ३३९, ३४१ से ३४३, ३४५ से ३४७ और ३४९ से ३५२ . . . . . ४२०१–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१४, ३१८, ३२१, ३२५, ३२६, ३३१, ३३७, ३४०, ३४४, ३४८ और ३५४ से ३७७ . . . ४२४५–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १७१ से १७३ और १७५ से २१६ . ४२६६–९८

दैनिक संक्षेपिका ४२९९–४३०६

अंक ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ३८१, ३८३, ३८५, ३८७ से ३८९, ३९१, ३९२, ३९४ से ३९९, ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०७, ४०९ से ४१५ ४३०७–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८२, ३८४, ३८६, ३९०, ३९३, ४००, ४०२, ४०५, ४०८, ४१६ से ४२६ और १२३ . . . ४३५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २३७ . ४३६१–७४

दैनिक संक्षेपिका ४३७५–८०

अंक १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४२९, ४३१, ४३३ से ४३६, ४३९, ४४३, ४४४, ४४६ से ४५१, ४५४, ४५५ और ४७६ . . ४३८१–४४२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३२, ४३७, ४३८, ४४० से ४४२, ४४५, ४५२, ४५३, ४५६ से ४७५, ४७७ से ४८४, १७१, १८८ और १९१ ४४२३–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २६३ . . . ४४४६–६०

दैनिक संक्षेपिका ४४६१–६६

अंक ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८५, ४८८, ४९० से ४९२, ४९४, ४९५, ४९७ से ५०१, ५०४ से ५०६, ५१२, ५१४ से ५१६, ५१८, ५२१, ५२२, ५२५, ५३० और ५२६ . . . . . ४४६७–४५०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८७, ४८९, ४९३, ४९६, ५०२, ५०३, ५०७ से ५११, ५१३, ५१९, ५२०, ५२४, ५२७, ५२८, ५२९, ५३१ से ५३७ ४५०८–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६४ से ३०७ . . . ४५२३–५२

दैनिक संक्षेपिका ४५५३–५८

अंक १२—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४०, ५४४ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५९ से ५६३, ५६५ से ५६८, ५७० से ५७४, ५७७ से ५८३ और ५४७ ४५५९–४६०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४१, ५४२, ५४३, ५५०, ५५२, ५५५, ५५६ से ५५८, ५६४, ५६९, ५७५, ५७६ ४६०५–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०८ से ३३२ ४६१२–२८

दैनिक संक्षेपिका ४६२९–३४

अंक १३—बुधवार, ७ दिसम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ से ५८७, ५८९ से ५९८, ६०० से ६०४ और ६०६ . . . ४६३५–७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ४६७४–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ५९९, ६०५, ६०७ से ६३० और ३०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३ से ३६२ . . . . ४६९३–४७१२

दैनिक संक्षेपिका ४७१३–१८

अंक १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१, ६३२, ६३४, ६३५, ६३७, ६३९ से ६४१, ६४३ से ६४५, ६४७ से ६४९, ६५१, ६५३ से ६५९, ६६१, ६६३, ६६४, ६८१, ६६६, ६६८ और ६६९ ४७१९–६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३, ६३६, ६३८, ६४२, ६४६, ६५०, ६५२, ६६० ६६२, ६६५, ६६७, ६७० से ६८०, ६८२ से ६८७ . . ४७६४–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३९७ . . . . ४७८०–४८०४

दैनिक संक्षेपिका ४८०५–१०

अंक १५—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ से ६९०, ६९२, ६९४ से ६९७, ६९९, ७०१, ७०३, ७०५ से ७०८, ७११ से ७१३, ७१५ से ७१९, ६९८ और ७०२ ४८११–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९३, ७००, ७०४, ७०९, ७१० और ७१४ ४८५२–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८ से ४२० ४८५६–७०

दैनिक संक्षेपिका ४८७१–७४

अंक १६—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२२, ७२५ से ७३२, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४३ से ७४६, ७४८ से ७५०, ७२४, ७३५ और ७२३ . . ४८७५–४९१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७२०, ७३३, ७३६, ७३७, ७४१, ७४२ और ७४७ ४९१६–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२१ से ४४० . . . . ४९२१–३६

दैनिक संक्षेपिका ४९३६–४०

अंक १७—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५२ से ७६१, ७६३ से ७७३, ७७५, ७७९, ७८०, ७८४ से ७८६, ७८८ और ७८९ . . . ४९४१–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . ४९८५–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७६२, ७७०क, ७७४, ७७६ से ७७८, ७८१ से ७८३, ७९० से ८०५ और ८०७ . . . . ४९८८–५००४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४१ से ४८९ . . . . ५००४–३२

दैनिक संक्षेपिका ५०३३–४०

अंक १८—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८०९, ८१५ से ८१७, ८२०, ८२४, ८२५, ८२८ से ८३२, ८३४ से ८३६, ८३८, ८१४, ८१२, ८२३ और ८२७. ५०४१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ८१०, ८११, ८१३, ८१८, ८१९, ८२१, ८२२, ८२६, ८३३ और ८३७ . . . . . ५०७५–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९० से ५२२ . . . . ५०८१–५१०६

दैनिक संक्षेपिका ५१०७–१०

अंक १९—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०, ८४४ से ८४८, ८५०, ८५३ से ८५६, ८५८, ८५९, ८६१, ८६२, ८६४, ८६५, ८६७, ८७१, ८७३, ८७४, ८७६, ८७८ से ८८०क ५१११–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४१ से ८४३, ८४९, ८५१, ८५२, ८५७, ८६०, ८६३, ८६६, ८६८ से ८७०, ८७२, ८७५, ८७७, ८८१ से ९९८ और १७३ . . ५१५४–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५६१ . . . . ५१७०–९६

दैनिक संक्षेपिका ५१९७–५२०२

अंक २०--शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९७, ८९९ से ९०५, ९११ से ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२१ से ९२५, ९२७ से ९३१, ९३३ और ९३५ से ९४० . ५२०३–४८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . ५२४८–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९२, ८९५, ८९८, ९०६ से ९१०, ९१४, ९१६, ९१८, ९२०, ९२६, ९३२ और ९३४ . . ५२५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ६२७ . . . . ५२६१–५३१२

दैनिक संक्षेपिका ५३१३–२०

अंक २१--शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . ५३२१–२४

दैनिक संक्षेपिका ५३२५-२६

अंक २२--सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४३, ९४५ से ९४८, ९५०, ९५१, ९५३ से ९५५, ९५७ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७१, ९७३ और ९७५ . . . . ५३२७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४१, ९४२, ९४९, ९५२, ९५६, ९६०, ९६३, ९६५, ९६६, ९६८, ९७३, ९७४, ९७६, ९७७, ९७८ और ९७९ ५३६८–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६५५ और ६५७ से ६६६] . . ५३७६–९८

दैनिक संक्षेपिका ५३९९–५४०२

अंक २३--मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८४, ९८६ से ९८८, ९९० से ९९८, १०००, १००२ से १०११ . ५४०३–४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९९, १००१, १०१२ से १०४४ ५४४६–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६७ से ७१४ और ७१६ से ७२३ ५४७०–५५०२

दैनिक संक्षेपिका ५५०३–१०

अंक २४--बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५ से १०५२, १०५५, १०५७, १०५९, १०६१ से १०६७, १०७० से १०७२, ३५३, १०७४, १०७५, १०७७, १०७८, ११०६, १०७९ से १०८५. ५५११–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५४, १०५६, १०५७, १०६०, १०६८, १०६९, १०७३, १०७६, १०८६ से ११०५, ११०७ से १११९, ५१७ ५५५७–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ से ८२५, ८२५-क, ८२६ से ८४५, ८४५क, ८४६ से ८६३ ५५८१–५६७०

दैनिक संक्षेपिका ५६७१–८२

अंक २५--गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११२५, ११२७ से ११३६, ११३९ से ११५१ ५६८३–५७२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११३७, ११३८, ११५२ से ११६२ ५७२९–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ९१४, ९१६ से ९३४ और ९३४-क ५७३६–८०

दैनिक संक्षेपिका ५७८१–८२

अंक २६--शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, ११६४, ११६८, ११७०, ११७२ से ११८३, ११८५ से ११९०, ११९३ से ११९५. ५७८९–५८३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७. ५८३४–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६५ से ११६७, ११६९, ११७१, ११८४, ११९१, ११९२, ११९६ से १२०७. . . ५८३८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९५, ९९५-क, ९९६ से १०१२ और १०१४ . . . . ५८५२–५९०२

दैनिक संक्षेपिका ५९०३–१०

GIPND—NSH—477 LSD—1-3-58—175

लोक-सभा

बुधवार, ७ दिसम्बर, १९५५

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बांडुंग सम्मेलन

***५८४. श्री एम० एल० द्विवेदी**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांडुंग सम्मेलन के कुछ निर्णयों को कार्यान्वित करने अथवा अधूरे कार्य को पूरा करने के लिये और एशियाई और अफ्रीकी देशों में जागृति की भावना को बनाये रखने के लिये कोई समिति, संस्था बनाई गई है अथवा अन्य कोई उपाय सोचा गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है और इस कार्य की प्रगति में भारत सरकार की नीति क्या है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). बांडुग में अप्रैल १९५५ में हुई एशियाई अफ्रीकी कान्फ्रेंस में कोई कमेटी या ऐसी कोई दूसरी संस्था नहीं बनाई गई। कान्फ्रेंस ने विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिये, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में एशियाई अफ्रीकी सहयोग को कायम करने के असूलों का ऐलान जारी किया था । एशियाई अफ्रीकी कान्फ्रेंस ने सिफारिश की थी कि हिस्सा लेने वाले मुल्कों के बीच, आर्थिक और सांस्कृमिक क्षेत्रों में दोतरफा समझौतों के ज़रिये सहयोग हासिल किया जा सकता है । भारत सरकार ने हमेशा ही दूसरे मुल्कों के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर महत्व दिया है और इस तरह राष्ट्रों में सद्भावना को बढ़ाया है। उन्होंने बांडुंग में निकट सांस्कृतिक सहयोग के लिये काम करने के अपने इरादे को दोहराया है । बांडुंग सम्मेलन के बाद, एशियाई, अफ्रीकी और दूसरे मुल्कों के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग की नीति को बराबर बढ़ावा दिया गया है ।

एशियाई अफ्रीकी मुल्कों पर असर डालने वाले अहम सवालों में, संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी जगहों में, आपसी संपर्क और बात चीत को और भी बढ़ावा दिया गया है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी बतलाया कि बांडुंग सम्मेलन में आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के बारे में जो चर्चा चली थी उस को आगे बढ़ाया जायेगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि एशिया और अफ्रीका के देशों में आपस में आदान प्रदान अधिक हो और आर्थिक सम्बन्ध बढ़े इस के लिये भारत सरकार कोई समिति मुकर्रर करने के सवाल पर विचार कर रही है या कोई इस तरह की समिति नहीं मुकर्रर की जायेगी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू) : जी हां, बांडुंग में इस पर विचार हुआ था और आम ख्याल यह था कि यह बातें कान्फ़रेन्सेज़ के ज़रिये से नहीं होती हैं, बल्कि और जरियों से। चुनाचे हमारे शासन ने यह बातें की हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बाहर से हमारे यहां आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं मैं अभी रुड़की गया था वहां एक इंटरनेशनल सेन्टर खोला गया है एशिया के लिये, ताकि हम इंजीनियर्स को तालीम दें। ग़रज़ यह कि आपस में दो देश सम्बन्ध कायम करें, ऐसा नहीं था इस में कोई जोड़ की बात नहीं है। कहां इंडोनेशिया, कहां भारत, गोल्ड कोस्ट और सूडान। एक आधी दुनियां है। इस में इस तरह से जोड़ मिला कर चलने में कोई ख़ास आसानी नहीं होती।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान सीलोन गवर्नमेन्ट के उस वक्तव्य की ओर गया है जिस में कि उन्होंने यह ख्याल जाहिर किया है कि बांडुंग की तरह का एशियाई देशों को दूसरा सम्मेलन किया जाय। क्या भारत सरकार ने इस बात पर विचार किया है ? यदि हां, तो क्या इस सम्मेलन की सम्भावना है, और है तो कब तक ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हां, कुछ इस की चर्चा हुई है और उस पर विचार हो रहा है। लेकिन ऐसे सम्मेलन के होने के पहले काफी तैयारी की ज़रूरत होती है। खाली वहां लोगों को बुला लेना ही काफ़ी नहीं होता दूसरे देशों से सलाह मश्विरा भी करना होता है। इस लिये यह कहना कठिन है कि सम्मेलन कब होगा और कहां होगा।

डा० सुरेश चन्द्र : प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बांडुंग कान्फेन्स के बाद सहयोग और सम्पर्क हुआ है। तो क्या मैं जान सकता हूं कि गोआ के सवाल पर संयुक्त राष्ट्र संघ में बांडुंग कान्फरेन्स में भाग लेने वाल जो एशियाई देश हैं, उस में कोई चर्चा हुई है और क्या क़दम इस के बारे में उठाये गये हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : गोआ का सवाल तो अब तक संयुक्त राष्ट्र में कभी सीधे तौर से उठाया नहीं गया। यों मैं समझता हूं कि वहां आपस में चर्चा जरूर हुई है, और आप देखेंगे कि एक सिलसिले मे, जिस का गोआ से बहुत सम्बन्ध है, अभी कल परसों ही वहां कुछ भाषण हुए थे।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : क्या यह सच है कि बांडुंग सम्मेलन के उद्देश्य अनुसरण करने के लिये सचिवालय का एक केन्द्राधार एकत्र भी कर लिया गया है, और यदि हां, तो उसके अबतक के कृत्य क्या हैं और वित्त के रूप में भारत ने कितना अंशदान किया है ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : यह सत्य नहीं है। इस कार्य के लिये कोई सचिवालय अथवा केन्द्राधार नहीं है।

†**श्री एम० डी० जोशी** : क्या यह सच है कि जिन राष्ट्रों ने बांडुंग सम्मेलन में भाग लिया था उन में से कुछ अब ऐसे कार्यों में लगे हुये हैं अथवा ऐसी नीतियां अपना रहे हैं जो उस सम्मेलन की भावना के विरुद्ध हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारी धारणा और विश्वास यही है।

विश्व अणु शक्ति एजेन्सी

***५८५. श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अणु शक्ति के शान्तिमय और रचनात्मक उपयोगों के लिये विश्व की एजेंसी स्थापित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक समिति में इसके बारे में कोई संकल्प पास किया गया था ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) (क), (ख) और (ग) . २७ अक्टूबर, १९५५ को, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेम्बली की राजनैतिक समिति द्वारा पास किये गये अणुशक्ति के शांतिमय उपयोगों के प्रस्ताव की मुख्य सिफारिशें ये हैं, (१) अणुशक्ति के शांतिमय उपयोगों के बारे में टेक्नीकल जानकारी के आदान-प्रदान के लिये, दो या तीन साल के अरसे में, संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में, दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन होना चाहिये, और (२) संयुक्त राष्ट्र संघ के सब सदस्यों का एक सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति एजेन्सी के परिनियम के अन्तिम रूप की स्वीकृति के लिये, बुलाया जाना चाहिये । इसी दौरान में अमरीका की सरकार ने भारत और दूसरे दस मुल्कों को प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति ऐजेन्सी के परिनियम के मसौदे पर विचार करने के लिये , वाशिंगटन डी० सी० में एक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिये बुलावा भेजा । भारत ने बुलावा मंजूर कर लिया और १४ नवम्बर, १९५५ को हुई पहली मीटिंग में हिस्सा भी लिया । अगली बातचीत करने के बाद, प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस परिनियम पर विचार किया जायेगा ।

श्री मात्तन : क्या हमें इस प्रश्न का अंगरेजी अनुवाद मिल सकता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम अभी इसके लिये प्रयास कर देखेंगे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरु** : यदि आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ

†**अध्यक्ष महोदय** : हाँ, यह अच्छा होगा ।

†**श्री एन० एम० लिंगम्** : एक आणविक साम्राज्यवाद के आविर्भाव को रोकने में भारत सरकार के प्रयास किस सीमा तक सफल हुए हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके पीछे कुछ कल्पनायें और पूर्वधारणायें हैं । मैं उस प्रश्न में पड़ना नहीं चाहता । परन्तु मैं समझता हूँ कि अभी जिस रूप में यह प्रश्न उठाया गया है, वही उचित ढंग है । जिसमें विश्व के विभिन्न भागों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है । हम चाहते हैं कि यह प्रतिनिधित्व और भी व्यापक रूप में हो । अबतक केवल एक अनौपचारिक बैठक हुई थी । जो एक प्रकार के कार्यकारी दल के समान थी । परन्तु हमें आशा है कि दूसरी कार्यवाही अधिक व्यापक पैमाने पर की जायगी ।

†**श्री एन० एम० लिंगम्** : क्या सदस्यों के मतदान सम्बन्धी अधिकारों, प्रस्तावित अभिकरण की सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र संगठन से उसके संबंधों के बारे में कुछ व्यौरे बताये गये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : भारत जिस मुख्य बात का समर्थक रहा है वह यह है कि वह संयुक्त राष्ट्र संगठन से निकट रूप में संबद्ध रहनी चाहिये । इन सब मामलों के सम्बन्ध में अभी व्यौरे की बातें निर्धारित नहीं की गयी हैं ।

†**श्री कामत** : जेनेवा की भावना के पालन में अथवा उसके अनुरूप —मैं राजनीतिक शिखर-सम्मेलन का नहीं वरन् जेनेवा के अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति सम्मेलन का उल्लेख कर रहा हूँ जहाँ अनेक देशों ने भारत से आणविक-सूचनाओं के विनिमय का वचन दिया था— भारत को जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर क्या प्रधान मंत्री यह बता सकते हैं कि अमरीका, ब्रिटेन और सोवियत संघ आणविक शक्ति का प्रयोग शान्तिपूर्ण एवं रचनात्मक कार्यों में करने के लिए वास्तव में किस सीमा तक उत्सुक ह, विशेष रूप से इस बात को दृष्टि में रखते हुए

†मूल अंग्रेजी में

कि सोवियत संघ में हाल ही में अब तक का विशालतम आणविक परीक्षण विस्फोट होकर चुका है, जिसके उपरान्त अमरीका ने आणविक परीक्षण बन्द न करने का निश्चय किया है और आज सुबह के समाचार पत्रों के अनुसार ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने यह कथित वक्तव्य दिया है कि वह उद्जन (हाइड्रोजन) बमों का निर्माण करेंगे।'

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य का भाषण मैंने बड़ी ही अधिरुचि के साथ सुना है ।

†**श्री कामत** : और प्रश्न भी ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं है कि प्रत्येक देश, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये आणविक शक्ति का विकास करने को इच्छुक है । वे इस शक्ति का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए करते हैं अथवा नहीं, इस प्रश्न पर इस संदर्भ में कठिनाई से ही विचार किया जा सकता है, क्यों कि इससे अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न तथा एक दूसरे के प्रति शंका और संशय की भावना उत्पन्न हो जाती है । इस समय भारत का प्रस्ताव यही है कि आणुविक शक्ति संबंधी अग्रेतर परीक्षण, अर्थात् अण बमों का परीक्षण-विस्फोट बन्द किया जाय, और तब इस मामले पर विचार किया जाय। अभी तक प्रत्येक पक्ष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, परन्तु मैं समझता हूँ कि सभी देश यह अनुभव करने लगे हैं कि शीघ्र हो या देर में, उन्हें ऐसा कोई न कोई निर्णय तो करना ही होगा ।

दक्षिण अफ्रिका में भारतीय

†*५८६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत और पाकिस्तान इस संबंध में एकमत हैं कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उद्भव के निवासियों के प्रति व्यवहार के विषय में उन्हें एक साथ कार्यवाही करनी चाहिये?

†**वैदेशिक कार्यमंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : जी हाँ ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : क्या इस विषय पर हाल ही में दोनों देशों के बीच कुछ टिप्पणियों का आदान-प्रदान हुआ है ?

†**श्री सादत अली खां** : जी नहीं :

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)**: इस प्रकार टिप्पणियों का कोई आदान प्रदान तो नहीं हुआ है –मैं अपनी स्मृति के आधार पर कह रहा हूँ – परन्तु पिछली बार जब हमने दक्षिण अफ्रीका सरकार को अपना अंतिम उत्तर भेजा था तो हमने पाकिस्तान सरकार से परामर्श कर लिया था और वह उस उत्तर से सहमत थी, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी उसी आशय का एक उत्तर भेजा था ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : उस समझौते के अनुसार, क्या ऐसा कोई ठोस प्रस्ताव भी है जो शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र संगठन में उठाया जायगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह उत्तर दक्षिण अफ्रीका की सरकार को उन पत्रादि के संबंध में भेजा गया था जो उन्होंने कुछ महीने पहले भेजे थे, और हम भेजे जाने वाले उत्तर के पाठ से सहमत हो गये थे । संयुक्त राष्ट्र संगठन में , माननीय सदस्य जानते हैं हैं कि यह प्रश्न नियमित रूप से महासभा की प्रत्येक बैठक में उठाया जाता है और न केवल भारत और पाकिस्तान अपितु बहुत से अन्य देश भी एक दूसरे से मिल जुल कर कार्य करते हैं।

पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिश्नर

*५८७. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिश्नर के निवास स्थान पर और

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी पाकिस्तान के ढाका में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सामने कुछ मुसलमानों द्वारा धरना दिये जाने के बारे में क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). कराची-पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिश्नर के निवास स्थान के सामने या ढाका में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर के दफ्तर के सामने कोई धरना नहीं दिया गया। कराची में हाई कमिश्नर के और ढाका में डिप्टी हाई कमिश्नर के दोनों दफ्तरों के सामने बैठे लोगों ने अपने को सत्याग्रही बताते हुये, नारों के फट्टों और पाकिस्तानी झंडों से मुज़ाहरा किया । २८ सितम्बर को पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेजा गया और १२ नवम्बर, १९५५ को पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ यह मामला फिर उठाया गया । ढाका में डिप्टी हाई कमिश्नर के दफ्तर के सामने होने वाला प्रदर्शन हटा लिया गया है लेकिन कराची में हाई कमिश्नर के दफ्तर के सामने यह मुज़ाहरा फिर भी जारी रहा । लेकिन अभी खबर मिली है कि २४ नवम्बर को प्रदर्शन हटा लिया गया है ।

श्री अमर सिंह डामर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार के प्रदर्शन के होने का कारण क्या था ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : प्रदर्शन होने का कारण तो बहुत कम माकूल हुआ करता है, जहां तक मेरा ख्याल है, चाहे वह पाकिस्तान में हो, चाहे हिन्दुस्तान में ।

†**श्री अनिल के० चन्दा** : "भारतीयों को काश्मीर छोड़ देना चाहिये" ।

डा० राम सुभग सिंह : नक्शे के बारे में .....

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं नक्शे का तो अलग मामला था । वह तो महज़ कह रहे थे कि हिन्दुस्तान को काश्मीर से हट जाना चाहिये ।

श्री अमर सिंह डामर : इससे भारत और पाकिस्तान के आपसी सम्बन्धों पर कोई असर पड़ा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इन छोटी बातों का असर यही होता है कि उससे फ़िज़ा में खलल पड़ जाता है ।

डा० राम सुभग सिंह : अभी काश्मीर के नक्शे का जिक्र हुआ । क्या यह सही है कि उस नक्शे को, जिसमें भारत के साथ-साथ काश्मीर का नक्शा था, स्टेट बैंक आफ इंडिया की काश्मीर की शाखा से हटा दिया गया है, उसी प्रदर्शन के कारण ?

डा० राम सुभग सिंह : मेरा खयाल है कि इसके बारे में एक और सवाल है जिसका फाइनेन्स मिनिस्टर जवाब देंगे, लेकिन आप चाहें तो मैं अभी जवाब दे दूं । स्टेट बैंक के गवर्नर ने अपने दफ्तर से नक्शे को हटा दिया था, यह समझ कर कि कहीं बैंक के सामने कोई झगड़ा फ़साद न हो । वहां कोई डिमान्स्ट्रेशन नहीं हुआ था ।

उत्तरी अफ्रीका में हाल की घटनायें

***५८९. श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने उत्तरी अफ्रीका में हुई हाल की घटनाओं पर फ्रांस सरकार से अपनी चिन्ता प्रगट की थी और उनसे आग्रहपूर्वक कोई ऐसा समझौता करने की वांछनीयता बतायी थी जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लिये स्वीकार्य हो ; और

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या साइप्रस में हुई हाल की घटनाओं के सम्बन्ध में ब्रिटेन के पास भी कोई टिप्पणी भेजी गई थी ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) जी हां, अनौपचारिक रूप से ऐसा किया गया था ।

(ख) जी नहीं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस पर फ्रांस सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं 'फ्रांस सरकार की प्रतिक्रिया' वाक्यांश को पूरी तरह समझ नहीं पाया । सब से पहली बात तो यह है कि फ्रांस सरकार बड़ी जल्दी जल्दी बदलती है । परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि फ्रांस सरकार इन घटनाओं से अत्यन्त चिंतित है। वह बड़ी विषम स्थिति में है और मोरक्को तथा ट्यूनीशिया के सम्बन्ध में काफी प्रगति हुई है और कुछ समझौते हो गये हैं। अल्जीरिया के सम्बन्ध में अभी यह नहीं हुआ है, परन्तु मामले पर निस्संदेह विचार किया जा रहा है ।

†**श्री कामत** : प्रश्न के भाग (ख) से उत्तर से उत्पन्न, इस बात पर विचार करते हुये कि भारत उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है और उसने सभी देशों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया है, क्या साइप्रस के सम्बन्ध में भारत के दृष्टिकोण पर ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से हमारे सम्बन्धों का कुछ भी प्रभाव पड़ा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : प्रश्न के भाग (ख) के लिये एक संक्षिप्त प्रकार का उत्तर दिया गया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि साइप्रस के सम्बन्ध में भारत ने जो दृष्टिकोण अपनाया है वह यह है कि साइप्रस में आत्मनिर्णय होना चाहिये । भारत ने यही दृष्टिकोण अपनाया है । साइप्रस की समस्या की जटिलता केवल ब्रिटिश आबादी के कारण ही नहीं वरन् तुर्की आबादी के कारण भी है । इस सम्बन्ध में ब्रिटिश यूनानियों और तुर्कों के बीच कोई अस्थायी व्यवस्था कराने के प्रयास किये गये हैं । हम इस बात को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि साइप्रस की जनता की इच्छानुसार कोई निर्णय किया जाना चाहिये । यों, हम किसी सम्मेलन या अन्य किसी बात में नहीं हैं । इसलिये जब वास्तव में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, तब हमने सोचा कि इस मामले का कोई हल निकालने की बात को इसी सम्मेलन पर छोड़ दिया जाना चाहिये और संयुक्त राष्ट्र संघ से निर्णय करने का अनुरोध किये जाने की अपेक्षा यह सम्मेलन ही इसका निबटारा करे ।

डा० सुरेश चन्द्र : यह जो हिन्दुस्तान ने अपनी राय ज़ाहिर की नार्थ अफ्रीका के बारे में फ्रेंच गवर्नमेंट को, तो क्या इससे हिन्दुस्तान और फ्रांस के बीच में जो समझौते आपस में हो रहे हैं, पॉडिचेरी की डिज्योरे ट्रांसफर के, क्या उस पर भी इसका कोई असर पड़ा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : शायद एक और सवाल भी है इसके बारे में, लेकिन यह आपको याद होगा कि अल्जीरिया का मामला एजेंडा में रखा गया था और इसका नतीजा यह हुआ कि फ्रांस का प्रतिनिधि वहाँ से उठ कर चला गया । फिर कुछ दिन बाद एजेंडा से यह चीज़ हटा दी गई और वह वापस आ गया है । इसे एजेंडा से हटाने में हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि ने काफ़ी कोशिश की और मेरी राय में उसका इस तरह की कोशिश करना मुनासिब ही था क्योंकि उस वक्त उस पर बहस नहीं हो सकी । वाकया ऐसा था कि उस पर बहस भी बन्द हो गयी थी और हमारी यह आशा थी कि अल्जीरिया के सवाल को जहां तक मुमकिन हो, एक समझौते से ही तय किया जाय । इसके लिय फ्रेंच हकूमत ने अपना शुक्रिया हिन्दु-

†मूल अंग्रेजी में

स्तान की हकूमत के पास भेजा है कि जो यू० एन० ओ० में हम ने समझौते से बिलफ़ेल इस बहस को मुल्तवी करवा दिया ।

नेकोवाल कांड

†*५९०. **डा० सत्यवादी** : क्या **प्रधान मंत्री** २५ जुलाई, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ७ मई, १९५५ को हुई नेकोवाल सीमान्त कांड के पीड़ितों को प्रतिकर दिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो मामला इस समय किस स्थिति में है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) और (ख). जी नहीं । पाकिस्तान सरकार अभी तक नेकोवाल कॉड के सम्बन्ध में कोई प्रतिकर देने के लिये तैयार नहीं हुई है । परन्तु इस मामले पर अब भी उस सरकार से आग्रह किया जा रहा है।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि जो बेनअलक्वामी दर्शक वहां बैठे हुए हैं और जिन्होंने इस मामले की छानबीन की और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी के मुताल्लिक अपनी राय दी, तो उस पर पाकिस्तान ने अपने क्या रिएक्शंस ज़ाहिर किये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी हां, ज़ाहिर है कि संयुक्त राष्ट्र के जो लोग वहां पर हैं जिन्होंने इस मामले की जांच की और अपनी राय दी, उस राय को पाकिस्तान ने मंजूर नहीं किया है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने भारत के उस नोट को मानने से इन्कार कर दिया है जो कि भारत ने इस घटना के सम्बन्ध में पाकिस्तान को भेजा था और जिस के आधार पर कम्पेन्सेशन मांगा गया था, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब भारत सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : आपको याद होगा कि जिस वक्त यह सवाल पेश था उस वक्त पाकिस्तान के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के मैजर जनरल इस्कंदर मिर्जा, जो इस वक्त गवर्नर जनरल हैं, वे दोनों यहां थे और उन्होंने यह राय ज़ाहिर की थी कि संयुक्त राष्ट्र के लोगों की जांच का जो नतीजा होगा उस पर वे अमल करेंगे और अगर जरूरी हुआ तो ऐसे लोगों को जिन्होंने गलती की, सज़ा भी देंगे । उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो हमने पाकिस्तान को लिखा लेकिन उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया और एक लम्बी बहस खड़ी कर दी कि उनका कसूर नहीं था । उसके बाद हमने फिर उनको एक लम्बा जवाब लिखा जिसके उत्तर में उन्होंने हमारे क्लेम को मानने से इन्कार कर दिया । उसके बाद एक तीसरा खत लिखा गया है लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया है ।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†*५९१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **पुनर्वास मंत्री** २५ जुलाई, १९५५ को दिये तारांकित प्रश्न संख्या ३३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों का पुनर्वास करने के लिये अब तक कितने राज्यों की सर्वेक्षण कर के स्थान छांट लिये हैं;

(ख) इन क्षेत्रों में जिन विस्थापित व्यक्तियों को बसाया जायेगा उनको किस प्रकार के धन्धे रोजगार दिये जायेंगे ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन क्षेत्रों में परित्याग के विरुद्ध क्या पूर्वावधान किये गये हैं ?

†पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) अधिकारियों ने हैदराबाद, मैसूर, आन्ध्र, बिहार और उड़ीसा राज्यों का दौरा किया था और बिहार और हैदराबाद में १५,६५५ एकड़ भूमि अस्थायी रूप से पसन्द की गई है।

(ख) विस्थापित व्यक्तियों को मुख्यतः कृषकों के रूप में बसाया जायेगा।

(ग) विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकताओं की देख रेख करने के लिये संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव है। सामाजिक कार्यकर्त्ता भी इस अनुगामी संगठन से सम्बद्ध रहेंगे ।

†श्री एस० सी० सामन्त : क्या उड़ीसा के मलकनगिरि तालुक में भी ५० वर्ग मील भूमि ली गयी है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : वह अभी ली तो नहीं गयी है। परन्तु हमें उस क्षेत्र का भी सुझाव दिया गया है और उसका सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

†श्री एस० सी० सामन्त : भविष्य में और कितनी योजनाओं के चलाए जाने की प्रस्थापना है ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं उन पांच राज्यों के नाम बता चुका हूं जिन का इस दल ने दौरा किया था। परन्तु हमारे पास कुल बारह राज्यों से प्रस्ताव आये हैं, अर्थात् सात अन्य राज्यों से ।

†श्री एस० सी० सामन्त : शरणार्थियों को सीधे काम देने के लिये किस प्रकार के उद्योग स्थापित किये जाने को हैं ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : यह प्रश्न मुख्यरूप से भूमि की स्थिति से संबंधित है। परन्तु यदि हम देखेंगे कि भूमि इस योग्य नहीं है कि वहां बसाये जाने वाले विस्थापित व्यक्ति को लाभकारी भूमि खंड दिया जा सके, तो उद्योगों की स्थापना के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ।

†श्री तिमय्या : अब तक इन अधिकारियों ने जिन जिन राज्यों का दौरा किया है उन में से प्रत्येक ने कितनी कितनी एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया है ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : मने सूचना दी है कि कुल पन्द्रह हजार एकड़ भूमि है—दस हजार एकड़ भूमि बिहार की है और पांच हजार एकड़ हैदराबाद की है ।

†श्री बी० के० दास : इन में किसी स्थान पर शरणार्थियों का कोई जत्था भेजना कब तक संभव होगा ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : हमें आशा है कि आगामी एक या दो महीनों में इन योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया जायगा। उस के बाद हम विधिवत सर्वेक्षण करायेंगे। यदि हमें यह संतोष हुआ कि सिंचाई तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं, तब हम जत्थे भेजेंगे। इसी समय यह कह सकना मेरे लिये कठिन है कि पहला जत्था भेजना मेरे लिये कब संभव होगा ।

†श्री बी० के० दास : क्या अधिकारियों के इस दल ने विंध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, का दौरा भी किया है ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : जी नहीं, परन्तु इन राज्यों ने भी भूमि देने का प्रस्ताव किया है ।

†श्री एन० बी० चौधरी : अब तक जितनी भूमि का सर्वेक्षण हो चुका है उसमें लगभग कितने शरणार्थियों का पुनर्वास किया जा सकेगा ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना: यह बात मंत्रालय को उपलब्ध की गयी भूमि के परिमाण पर निर्भर करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुटीर उद्योग

†*५९२. **श्री डाभी** : क्या **योजना** मंत्री १६ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ७४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य में स्थापित की गई कुटीर उद्योगों की अग्रिम परियोजनाओं द्वारा अब तक कितनी प्रगति की गई है ; और

(ख) कुटीर उद्योगों के विकास के द्वारा किस सीमा तक रोज़गार के अवसर प्रदान किये गये हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) २१ राज्यों के सामुदायिक परियोजना अधिकारियों (उद्योग) ने ४ नवम्बर, १९५५ को बम्बई में छः सप्ताह का प्रशिक्षण समाप्त किया है और हाल में ही वे अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचे हैं। इस छोटी अवधि के लिये अग्रिम परियोजनाओं सम्बन्धी कोई प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री डाभी** : इन उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों की प्रतियोगिता से बचान की दृष्टि से कितनी और किस प्रकार की सहायता दिये जाने की संभावना है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : ये तो बुनियादी बातें हैं जिन पर सरकार इस समय विचार कर रही है ।

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : कुटीर तथा ग्रामोद्योगों को रक्षण देने के इस पूरे प्रश्न पर एक समिति द्वारा विचार किया गया था । उस समिति का प्रतिवदन हमारे पास है, और उस पर योजना आयोग में विचार किया जा रहा है । उस प्रतिवेदन में इन सभी संगत प्रश्नों पर विचार किया गया है ।

†**श्री डाभी** : क्या खादी को भी इन उद्योगों में सम्मिलित किया गया है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : खादी सम्मिलित है ।

†**पण्डित डी० एन० तिवारी** : क्या बेकारी या कम कारबार की समस्या को हल करने के लिये अम्बर चर्खे को इन अग्रिम परियोजनाओं में सम्मिलित किया गया है ?

श्री एस० एन० मिश्र : अभी तक अम्बर चर्खे को अपवर्जित नहीं किया गया है ।

†**श्री बंसल** : कुटीर उद्योगों के लिये कितनी अग्रिम परियोजनायें स्थापित की जा चुकी हैं ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : २६ अग्रिम परियोजनायें स्थापित करन का विचार है ।

पुर्तगाल के राष्ट्रपति का इंगलैण्ड का दौरा

†*५९३. **श्री एस० एल० सक्सेना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति के इंगलैण्ड के दौरे के अवसर पर उत्सवों में भाग लेन के लिये इंगलैण्ड स्थित भारतीय राजदूत को दिये गये निमं णों को उसने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : जी, हां । लन्दन स्थित भारत के उच्चायुक्त ने इंगलैण्ड में पुर्तगाल के राष्ट्रपति के सरकारी दौरे के सम्बन्ध में ये उत्सवों के निमंत्रणों में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया है ।

†**श्री एस० एल० सक्सेना** क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त के व्यवहार को उचित नहीं समझा और इसका विरो किया ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी नहीं, उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने इस पर क्या विचार किया इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

विदेशों में भारतीय

†*५९४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवीन आप्रवास विधि के अधीन भारतीयों को केनिया, युगांडा, टांगानिका और ज़ंज़ीबार में पांच वर्ष तक रहने के पश्चात् स्थायी रूप से बसन के लिये प्रमाण प दिये जाते ह ; और

(ख) क्या यह सच है कि स्थायी निवास के लिये प्रार्थना पत्र ाप्त करन के पश्चात् भी उनके परिवार और बच्चों को उनकी मृत्यु हो जाने पर अन्य किसी स्थान पर चले जान की अवस्था में वह स्थान छोड़ना पड़ता है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में आप्रवास की व्यवस्था करने वाले वर्तमान विनियमों के अधीन केनिया युगांडा, टंगानीका और ज़ंजीबार में भारतीयों को वहां पांच वर्ष तक ठहरने के पश्चात् स्थायी निवास का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार होता है ; ये प्रमाण पत्र दस वर्ष के लिये मान्य होते हैं और उसके पश्चात् समय समय पर नवीन कराये जा सकते हैं।

(ख) जी नहीं। स्थायी आवास का प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी स्त्री और बच्चों को अनिवार्य रूप से ब्रिटिश पूर्व अफ्रीका को छोड़ कर चला जाना आवश्यक नहीं होता है। तथापि यदि स्थायी निवास का प्रमाण पत्र रखने वाला व्यक्ति सदा के लिये ब्रिटिश पूर्व अफ्रीका को छोड़ कर चला जाता है, तो उसके बाद उसकी स्त्री और बच्चे, अधिकार के रूप में, सम्बद्ध राज्य क्षेत्र के स्थायी निवासी होने का दावा नहीं कर सकते।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या यह आप्रवास विधि भेदभाव पर आधारित है या इसके अन्तर्गत कोई भेदभाव नहीं किया जाता है ?

†**श्री सादत अली खां** : ब्रिटिश पूर्व अफ्रीका के राज्य क्षेत्रों की आप्रवास विधियों में भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। किन्तु व्यावहारिक रूप में स्थानीय सरकारे एशिया वालों के प्रति, जिन में भारतीय भी सम्मिलित हैं, अच्छा बर्ताव नहीं करती हैं।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या किसी एशिया वाले को कोई रियायत दी जाती है ?

†**श्री सादत अली खां** : मैंने कहा है कि एशिया वालों को कोई रियायतें नहीं दी जाती हैं। दूसरी ओर एशिया वालों का प्रवेश, विशेषकर स्थायी रूप से बसने के लिये, और वाणिज्य करने वाली श्रेणियों से सम्बन्ध रखने वाले तथा भारतीय निवासियों के आश्रितों के प्रवेश को प्रशासनिक उपायों के द्वारा कठिन बना दिया गया है।

†**डा० सुरेश चन्द्र** : क्या यह सच है कि उन उपनिवेशों में भेदभाव किये जाने के कारण बहुत से भारतीय भारत को लौट रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हम इससे अनभिज्ञ हैं।

वाष्प चालित सड़क कूटने का इंजन

†*५९५. **श्री झूलन सिंह**: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस देश में बनाये गये प्रत्येक वाष्प चालित सड़क कूटने

†मूल अंग्रेजी में

के इंजन के लिये १०० पौण्ड दिये जाने के बारे में इंगलैण्ड के किसी सार्थ के साथ कोई करार हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या करार अभी भी लागू है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

†**श्री झूलन सिंह** : यह अर्थ सहायता अब तक किस आधार पर दी जाती रही है ?

†**श्री करमरकर** : इस मामले पर १९४६ में विचार किया गया था । एक संविदा अगस्त १९५१ में पूरा हुआ था और दूसरा संविदा अप्रैल, १९५४ में पूरा हुआ था। यह स्वामिस्व संविदा के भाग के रूप में दिया गया था ।

†**श्री बंसल** : इस सार्थ का नाम क्या है ?

†**श्री करमरकर** : वाष्प चालित सड़क कटने के इंजनों के निर्माता थे मैसर्स मार्शल संस ऐंड कम्पनी लिमिटेड, गैन्ज़बोरो, और डीज़ल चालित सड़क कूटने के इंजनों के निर्माता थे मैसर्स एवलिंग बारफोर्ड, लिमिटेड, ग्रैन्थम ।

†**श्री बंसल** : इन सार्थों के प्रतिरूप भारतीय सार्थ कौन हैं ?

†**श्री करमरकर** : वाष्प चालित सड़क कूटने के इंजनों के पुर्जों के कुछ भाग टाटा लोकोमोटिव एण्ड इंजनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, जमशैदपुर द्वारा बनाये जाने थे, और तब मैसर्स मार्शल संस (इण्डिया) लिमिटेड को इनको इकट्ठा करके इन सड़क कूटने के इंजनों को चालू करने का काम करना था । डीज़ल चालित सड़क कूटने के इंजनों को बनाने का काम मैसर्स जैसप एंड कम्पनी लिमिटेड के पास था और मैसर्स ग्रीव्ज़ काटन को पुर्जों को जोड़ने और चलाने के लिये प्रति इंजन १२५० रुपये दिये जाने थे । यह पुराना इतिहास है ।

†**श्री टी० एन० सिंह** : क्या यह सच है कि विदेशों के साथ निर्माण सम्बन्धी समस्त करारों का उनके औचित्य के बारे में भारत सरकार द्वारा परीक्षण किया जाता है ; यदि हां, तो इस मामले में जब कि मार्शल संस के भारतीय सार्थ से करार किया गया था तो क्या सरकार ने इसका परीक्षण किया था और अपनी स्वीकृति दी थी ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : जैसा मेरे सहयोगी ने बताया, यह पुरानी बात है । किन्तु इस प्रकार के मामले में प्रक्रिया यह है कि वित्त मंत्रालय, जो कि विदेशी विनिमय का प्रभारी है, इन सब मामलों की जांच करता है और सम्बद्ध मंत्रालय से भी परामर्श किया जाता है ।

†**श्री टी० एन० सिंह** : क्या उनसे परामर्श किया गया था ? मैं यह जानना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री सारंगधर दास** : प्रथम करार के अधीन कितने वाष्प चालित सड़क कूटने के इंजनों का निर्माण किया गया था, और वह करार क्यों समाप्त कर दिया गया ?

†**श्री करमरकर** : यह करार दोनों प्रकार के वाष्प चालित और डीज़ल चालित, सड़क कूटने की इंजनों की एक विशिष्ट संख्या के लिये था । मैं देखता हूं कि ४७५ डीज़ल चालित सड़क कूटने के इंजन और ९५० वाष्प चालित इंजनों का निर्माण किया जाना था । करार मात्रा के रूप में था। जैसा मैंने कहा, डीज़ल चालित जनों के करार के अगस्त, १९५१ में और वाष्प चालित सड़क कूटने के इंजनों के करार के अप्रैल, १९५४ में समाप्त हो जाने पर "टैक्निकल जानकारी" अधिकारों का उत्तराधिकारी बन गई है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० लंका सुन्दरम्** : मार्शल एंड कम्पनी के साथ हुये तीनों करारों के अधीन कितना स्वामिस्व दिया गया था ?

†**श्री करमरकर** मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

मधु मक्खी पालन

*५९६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) आसाम से काश्मीर तक फैले हुये हिमालय के विस्तृत क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने अब तक मधु-मक्खी पालन के केन्द्र खोले हैं ; और

(ख) उक्त क्षेत्र में इस व्यवसाय का विकास करने के लिये क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) कोई नहीं ।

(ख) काश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के उपयुक्त क्षेत्रों का परिमाप किया गया है। काश्मीर, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल त ा आसाम के हिमालय की तराई वाले प्रत्येक इलाके में एक एक ऐसा केन्द्र खोलने का प्रबन्ध हो रहा है, जिसकी पांच-पांच शाखायें होंगी ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने अभी बतलाया कि १५०० मील के लम्बे चौड़े हिमालय के क्षेत्र में अभी तक एक भी मधु-मक्खी पालन का आधुनिक केन्द्र नहीं खोला जा सकता है । क्या मैं जान सकता हूं कि वहां की राज्य सरकार ने इसके बारे में कोई सिफारिश ही नहीं की या स्वयं खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने यह उचित नहीं समझा कि कोई केन्द्र वहां खोला जाये ?

श्री आर० जी० दुबे : काश्मीर में कोई स्टेचूटरी या नान-आफिशल बाडी फंकशन नहीं करती लेकिन उत्तर प्रदेश और दूसरे इलाकों में इसके बारे में जैसा कि अभी बताया गया है, प्रमाप किया गया है और हमारे जो फील्डमेन हैं वह वहां पर भी पंहुचे हैं और फंड्स भी उनके मातहत किये गये हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस तथ्य पर भी विचार किया जा रहा है कि नये ढ़ंग के सिवाय पुराने ढ़ंग से जो शहद निकाला जाता है, जैसे छत्तों, या गांव में दूसरे स्वाभिविक रूप से जो शहद पैदा किया जाता है, उसको जमा करके उसको शुद्ध करने का प्रबन्ध किया जाये ताकि अशुद्ध शहद की बिक्री की भी व्यवस्था हो सके ?

श्री आर० जी० दुबे : इसके बारे में इस तरह की स्कीम है कि हर इलाके में एक एरिया आफिसर हुआ करता है और उसके मातहत सब-स्टेशन होता है और फिर सोसाइटीज़ बनाने के बारे में भी कदम उठाये जा रहे हैं ।

माननीय सदस्य ने जो सजेशन रखा है उसको एरिया आफिसर्स को और कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को पहुंचा दिया जायेगा और वह इस पर गौर कर लेंगी ।

श्री भक्त दर्शन : देर से देर कितने समय के अन्दर यह आशा की जा सकती है कि दो या चार ऐसे केन्द्र जो कि हिमालय की तराई वाले इलाकों में खुलने हैं, खुल जायेंगे ?

श्री आर० जी० दुबे : जल्दी से जल्दी और बहुत कम समय में यह खुल जायेंगे ।

श्री बी० डी० पांडे : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों को इस विषय में कोई सहायता देती है या नहीं देती है ?

श्री आर० जी० दुबे : मैंने पहले ही बता दिया है कि कुछ फंड्स प्रान्तीय सरकारों के सुपुर्द कर दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प आय वर्ग आवास योजना

†*५९७. **पण्डित डी० एन० तिवारी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से राज्यों ने अभी तक अल्प आय वर्ग आवास योजना के अधिक मकान बनाने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है ; और

(ख) क्या उन्हों ने इस के लिये कोई कारण बताये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

†**पण्डित डी० एन० तिवारी** : क्या विभिन्न राज्य सरकारों के लिये आवंटित की गई निधियों से कुछ खर्च की जा चुकी हैं और अभी कितनी खर्च की जानी हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : २१ करोड़ रुपये की कुल राशि में से राज्यों द्वारा केवल ५ करोड़ २० लाख रुपये वास्तव में लिये गये हैं ।

†**पण्डित डी० एन० तिवारी** : क्या शेष अवधि में सरकारों द्वारा शेष धन राशि के ले लिये जाने की कोई संभावना है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : राज्य यही तो कहते हैं—कि विभिन्न राज्यों को जो धन आंवटित किया गया है, वे उसका उपयोग कर सकेंगे ।

†**पण्डित डी० एन० तिवारी** : इस निधि से अब तक कितने मकान बनाये जा चुके हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री नानादास** : क्या कोई राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प आय वर्गों के लिये अर्थात् कृषकीय मजदूरों के लिये कोई योजना कार्यान्वित कर रही हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं ऐसा नहीं समझता क्योंकि वे ऐसे क्षेत्रों को ले रही हैं जहां अधिकतम भीड़ भाड़ है, और भीड़ शहरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में सब से अधिक होती हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी नहीं होती है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : अभी माननीय मंत्री ने बताया कि कितने मकान बनाये गये हैं इस के बारे में कोई जानकारी नहीं है । क्या केन्द्रीय सरकार को साधारणतया इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है कि कितना धन खर्च किया गया है और उस के द्वारा कितने मकान बनाये जा रहे हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** मैंने जो कुछ कहा है उस से यह निष्कर्ष: नहीं निकलता है ।

अपहृत स्त्रियों की पुन:प्राप्ति

†*५९८. **श्री के० पी० सिन्हा**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अक्तूबर १९५५ तक की अवधि में कितनी अपहृत स्त्रियां पुन:प्राप्त की गई हैं; और

(ख) अपहृत स्त्रियों की पुन:प्राप्ति से सम्बन्धित संगठन पर भारत सरकार का औसत मासिक व्यय कितना होता है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जनवरी से अक्तूबर १९५५ के बीच भारत और पाकिस्तान में पुन: प्राप्त अपहृत व्यक्तियों तथा अपहरण के पश्चात् उत्पन्न बच्चों की संख्या क्रश: ११४९ और ३२८ है ।

(ख) पुन: प्राप्ति संगठन पर भारत सरकार का औसत मासिक व्यय ८३,००० रुपये है ।

†**श्री के० पी० सिन्हा** : पिछले वर्ष कितनी अपहृत महिलाएं पुन: प्राप्त की गई थीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : ये आंकड़े कुछ महीने पहले इस सभा में बताये गये थे । इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री के० पी० सिन्हा** : क्या पुनः प्राप्त स्त्रियों को फिर से बसाने का काम संतोषपूर्वक चल रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य का वास्तव में क्या अभिप्राय है । पुनः प्राप्त स्त्रियां और बच्चे उनके सम्बधियों को सौंप दिये जाते हैं । उन में से जो दूसरे देश को नहीं जाना चाहते हैं, उन्हें उसी देश में छोड़ दिया जाता है और वे अपने सम्बन्धियों के पास चले जाते हैं । लावारिस बच्चों की संख्या बहुत ही कम है और उन बच्चों को विशेष गृह में रखा जाता है । यह कोई पुनर्वास योजना नहीं है— यह तो पुनर्वास की बजाय सम्बन्धियों को सौंपने की योजना है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या मैं जान सकती हूं कि दोनों ओर निकेतनों में कितनी महिलायें हैं और क्या पाकिस्तान ने ऐसे निकेतन स्थापित किये हैं? यदि हां, तो ऐसे स्थान की जहां उन्हें उस समय तक, जब तक कि वह अपना निश्चय करें और बिना किसी बाहरी प्रभाव के उनसे प्रश्न किये जायें, रखा जाता है संख्या क्या है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य का निर्देश सम्भवतः उन कैम्पों से है जहां ये पुनः प्राप्त व्यक्ति इन देशों में रखे जाते हैं । दोनों देशों में, समझौते के अनुसार निकेतन और कैम्प दोनों बनाये गये हैं तथा पुनः प्राप्त व्यक्ति पाकिस्तान में और भारत में भी निकेतनों में रखे जाते हैं । यह कैम्प कुछ समय से कार्य कर रहे हैं ।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या मैं जान सकती हूं कि एवडक्टेड स्त्रियों को कुछ शिक्षा देने या कुछ काम में लगाने का प्रबन्ध किया जाता है जैसा कि चीन में किया जाता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : वह जिस वक्त अपने घरों में जाती हैं तो उनके खाविंद या उनके रिश्तेदार उनको शिक्षा दें या जो उनका दिल चाहे करावें । वह परमानेंटली तो सरकार के हाथ में नहीं रहतीं ।

बाड़ लगाने के तार का निर्माण

†*६००. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बाड़ लगाने का तार बनाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कुल उत्पादन कितना है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त तार विदेशों से आयात किया जाता है ; और

(घ) उक्त तार के निर्माण के लिये कौन सी व्यवस्थायें प्रस्तावित हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) माननीय सदस्य का संकेत संभवतः कांटेदार तार से है जो साधारणतया बाड़ लगाने के काम में लाया जाता है । यदि हां, तो उनके प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) प्रति वर्ष औसतन लगभग १७५ टन ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते

† **श्री विभूति मिश्र** : हिन्दुस्तान में कांटेदार तार की आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है, और यह आवश्यकता कितने दिनों में री की जा सकेगी ?

†**श्री करमरकर** : अभी जो कांटेदार तार बनाने वाली फैक्टरियां हमारे यहां हैं वे हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लायक तार बना रही हैं और इसलिये हमने उसकी इम्पोर्ट को रोक दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विभूति मिश्र** : गांवों में आसानी से कांटेदार तार मिल सके और उसके द्वारा किसान अपने खेतों की रक्षा कर सकें क्या इसके लिये सरकार ने इस तरह के तार को गांवों में बेचने का कोई इन्तजाम किया है ?

†**श्री करमरकर** : उसको गांवों में बेचने की आज़ादी है ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हम कांटेदार तार का इतना अधिक उत्पादन कर रहे हैं कि हम उसे अन्य देशों को निर्यात कर सकें हैं ?

†**श्री करमरकर** : अभी नहीं ।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय

६०१. **श्री कासलीवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका स्थित भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के साथ किये जाने वाले व्यवहार सम्बन्धी विवाद को सुलझाने में राष्ट्रसंघ द्वारा किये गये असफल प्रयासों के बारे में राष्ट्रसंघ के महामंत्री द्वारा कोई प्रतिवेदन, जिसमें कि उक्त असफल प्रयासों का उल्लेख हों, महासभा को प्रस्तुत किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) जी, हां।

(ख) आगे क्या कार्यवाही की जाय इस का निर्णय अब राष्ट्रसंघ महासभा करेगी ।

†**श्री कासलीवाल** : राष्ट्रसंघ स्थित हमारे प्रतिनिधि द्वारा महामंत्री को यह सूचना दिये जाने पर, कि जहां तक दक्षिण अफ्रीका का सम्बन्ध था, वार्ता में एक गत्यावरोध हो गया था, महामंत्री ने महासभा द्वारा निर्धारित कार्य को करने के लिये ब्राज़ील के प्रतिनिधि सीनोर लुई फारो को, नियुक्त किया था । क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रश्न पर त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन करने के लिये सीनोर लुई फारो द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री सादत अली खां** : जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, ४ दिसम्बर, १९५४ के राष्ट्रसंघ के संकल्प के अनुसार, दोनों दलों को एक साथ लाने के लिये संयुक्तराष्ट्र संघ के महामंत्री ने फेडरल जर्मन लोकतंत्र स्थित ब्राज़ील के राजदूत सीनोर लुई **फारो** को जून १९५५ में नामनिर्देशित किया था, किन्तु दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने उन से कहा कि वह राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के साथ उनका सम्बन्ध जोड़ने में असमर्थ थी । भारत सरकार ने सीनोर लुई फारो को संयुक्त राष्ट्र के संकल्प के कार्यान्वित करने में पूर्ण सहायता देने का आश्वासन दिया था । अब इन सज्जन ने अपनी असफलता की सूचना राष्ट्रसंघ के महामंत्री को दे दी है और उन्होंने इस मामले की जानकारी राष्ट्र संघ की महासभा को, संकल्प के पदों में दे दी है । जैसा कि मैंने कहा, यह मामला अब महासभा के समक्ष है ।

†**श्री कासलीवाल** : दक्षिण अफ्रीका के लिये नियुक्त राष्ट्र संघ आयोग को जारी रखने तथा १९५६ की महासभा की कार्यसूची में इस बात को समाविष्ट करने का निश्चय राष्ट्र संघ की विशेष समिति ने किया था । आज के प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि राष्ट्र संघ की महासभा इस बात को दो-तिहाई बहुमत के आधार पर कार्यसूची में समाविष्ट करने में सफल नहीं हुई है । क्या मैं जान सकता हूं कि यह जानकारी कहां तक सही है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मेरा ख्याल है कि दोनों मामलों के बारे में कुछ भ्रम है ।

†मूल अंग्रेजी में

एक दक्षिण अफ्रीका का का मामला जिसका भारत से विशेष रूप से सम्बन्ध है, और दूसरा मामला है राष्ट्र संघ आयोग के जारी रखे जाने का । दूसरे मामले के सम्बन्ध में मतदान हुआ है ।

†**श्री कासलीवाल** : जहां तक इस प्रश्न के १९५६ की महासभा की कार्यसूची में समाविष्ट किये जाने का सम्बन्ध है, आज के समाचारपत्र, जैसा कि मैं कह चुका हूं, अत्यधिक स्पष्ट हैं और उन्होंने किन विषयों पर किन राष्ट्रों ने मतदान दिया उनके नाम दिये हैं । भारतीय उद्भव के व्यक्ति सम्बन्धी प्रश्न का समावेश १९५६ की महासभा की कार्यसूची में किये जाने के सम्बन्ध में उसे सफलता नहीं मिली है ।

†**डा० लंकासुन्दरम्** : मध्यस्थता के प्रयासों में प्राप्त हुई असफलता और इस मामले में कोई अग्रेतर कार्यवाही करने में महासभा की असफलता को देखते हुये, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार की आगामी राष्ट्रमंडलीय परिषद् में दक्षिण अफ्रीका के प्रश्न को उठाने की कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं । उक्त प्रश्न पर राष्ट्रमंडलीय परिषद् में विचार किये जाने के हम पूर्ण विरोधी हैं

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : इस बात को देखते हुये कि इस प्रश्न को सुलझाने में राष्ट्रसंघ की महासभा असफल रही है थी, क्या मैं प्रधान मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या वह इस प्रश्न को सुरक्षा परिषद् में अथवा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की प्रस्थापना करते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सुरक्षा परिषद् में महासभा के किसी निर्णय के बारे में अपील नहीं हो सकती है । राष्ट्र संघ की महासभा सुरक्षा परिषद की अपेक्षा अधिक बड़ी, व्यापक और उचित निकाय है । सुरक्षा परिषद् कतिपय उन बड़ी शक्तियों का एक अत्यधिक छोटी और सीमित निकाय है, जिन्हें इस मामले में, जहां तक हमारा सम्बन्ध है, कोई विशेष दिवलचस्पी नहीं है और जिन्होंने वास्तव में, साधारणतः हमारे विरोध में मतदान किया है । अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जहां तक मुझे जानकारी है, प्रश्न संयुक्त उपगमन का है और एक देश द्वारा उपगमन किये जाने और दूसरे देश द्वारा न्यायालय में आने से इनकार करने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को देखते हुए कि आयोग सम्बन्धी प्रश्न को कार्यसूची में समाविष्ट नहीं किया गया, है क्या हम इसका अर्थ यह समझें कि आयोग का अब कोई अस्तित्व नहीं होगा और क्या इस विषय को अगले सत्र के लिये स्थगित कर दिया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व मैं इस बारे में वास्तविक तथ्य जानना चाहूंगा । हमने आज प्रातः के समाचार पत्रों में इस का समाचार देखा है और हम इस सम्बन्ध में अग्रेतर पूछ ताछ कर रहे हैं । किन्तु अनुमानत : यदि इस मामले को अस्वीकृत कर दिया गया है तो आयोग अब कार्य नहीं करेगा । आगे क्या कार्यवाही की जायेगी, यह एक अलग बात है ।

राजस्थान की नमक की खानें

†*६०२. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में मीलों लंबी नमक की खानों के एक जवाहरात की फर्म द्वारा निग्रहण कर लिये जाने के विरोध में, सरकार को कई गंभीर शिकायतें प्राप्त हुईं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र में बसने वाले छोटे पैमाने पर नमक बनाने वाले व्यक्ति एक बड़ी संख्या में विस्थापित हो गये हैं ; और

मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : (क) जी, नहीं । किन्तु इस मामले के सम्बन्ध में एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख सरकार के ध्यान में आया है ।

(ख) जहां तक सरकार को जानकारी है उक्त क्षेत्र के छोटे पैमाने पर नमक बनाने वाले कोई व्यक्ति विस्थापित नहीं हुए हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अभी हाल ही में राजस्थान में नमक बनाने के लिये किन्हीं फर्मों को पट्टा दिया गया है अथवा नहीं ?

†**श्री आर० जी० दुबे** : इस मामले का इतिहास इस प्रकार है । इस विशिष्ट क्षेत्र में १८९६ तक नमक बनाया जाता था । जहां तक सरकारी जानकारी का प्रश्न है, उसके बाद नमक नहीं बनाया गया । फिर १९५१ में, राजस्थान के तत्कालीन उद्योग संचालक डा० गोडबोले द्वारा सुझाव दिया गया कि छोटे पैमाने पर नमक बनाने वालों को उक्त क्षेत्र में दस एकड़ दी जाये परन्तु उससे अधिक नहीं । उस समय राजस्थान सरकार को कुछ आवेदन भेजे गये थे ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या मैं जान सकता हूं कि छोटे पैमाने पर नमक बनाने वाले व्यक्तियों द्वारा भूमि का कुल कितना क्षेत्रफल काम में लाया गया है ?

†**श्री आर० जी० दुबे** : इस विशिष्ट क्षेत्र में ६ गुट काम कर रहे हैं । वहां पांच या दस व्यक्तियों के गुट हैं तथा उनके पास ५० से ले कर १०० एकड़ तक भूमि है । इन आवेदन पत्रों पर पहले तो राजस्थान सरकार द्वारा विचार किया गया था किन्तु जब नमक आयुक्त द्वारा राजस्थान सरकार को यह बताया गया कि राजस्थान सरकार को भूमि को पट्टे पर देने का अधिकार नहीं था तब आवेदन पत्र उत्पादन मंत्रालय को प्रेषित किये गये और मामले पर सावधानी-पूर्वक विचार किये जाने के बाद भूमि पट्टे पर दी गई ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि वहां अब भी ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर नमक नहीं नहीं बनाया जाता है तथा उन्हें उन फर्मों को दिये जाने का प्रस्ताव है जिन्होंने प्रायः सभी सम्बन्धियों के नाम से आवेदन किये हैं ।

†**श्री आर० जी० दुबे** : प्रश्न के इस पहलू के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

†**सभापति महोदय** : अगला प्रश्न, श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी ।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : प्रश्न संख्या ६०३ ।

†**श्री सारंगधर दास** : मेरा निवेदन है कि नेपा अखबारी कागज कारखाने के बारे में एक प्रश्न संख्या ६१४ है और उसका उत्तर भी इसी प्रश्न के साथ दिया जाये ।

†**सभापति महोदय** : क्या माननीय मंत्री के लिये ऐसा करना सुविधाजनक होगा ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : यद्यपि उस प्रश्न का इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है यह मैं नहीं जान सका हूं, फिर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है । यदि अध्यक्ष महोदय का यही आदेश हो तो मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ दूंगा ।

कागज की मिलें

†*६०३. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

† मूल अंग्रेजी में

(क) देश के कागज़ के बढ़ते हुये उपयोग की पूर्ति के लिये कागज़ का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने की प्रस्थापना है ;

(ख) क्या कागज़ का कुछ और मिलें चालू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिये कोई योजना प्रतिवेदन तैयार किये गये हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) कागज़ उद्योग में इस समय कार्य करने वाले एककों पर गैरसरकारी व्यक्तियों का स्वामित्व है । किन्तु भारत सरकार समय समय पर , देश की आवश्यकताओं की और इस क्षेत्र में उत्पादन की प्रगति की समीक्षा करती है और देश में कागज़ का उत्पादन बढ़ाने के लिये यथासंभव प्रोत्साहन दे रही है । इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आशा की जाती है कि कागज़ की उत्पादन-क्षमता १९५४ में १७३,७०० टन से, बढ़ कर १९५५ में २११,९०० टन तक बढ़ जायेगी ।

(ख) और (ग). कुछ आवेदन पत्र उद्योग (विकास तथा विनियमन)) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत, सरकार के विचाराधीन हैं, तथापि इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय, उस एतदर्थ समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर निर्भर होगा, कागज़ उद्योग को सेल्यूलोज वाले माल के संभरण तथा उपलब्धता की जांच करने के लिये हाल ही में नियुक्त किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा ख्याल है कि प्रश्न संख्या ६१४ का उत्तर इस समय न दिया जाये । वह एक पृथक् प्रश्न है और नेपा फैक्टरी तक सीमित है ।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : भारत में कागज़ की बढ़ती हुई मांग को देखते हुये क्या माननीय मंत्री कोई ऐसी कार्यवाही करने पर विचार करेंगे जिससे कि वे कारखाने जो पहले ही बन्द हो चुके हैं फिर से शुरू हो जायें, और यदि हां, तो उक्त कारखानों को भारत सरकार क्या सहायता देने को तैयार होगी ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : इस मामले पर सरकार ध्यान दे रही है और हम आशा करते हैं कि १९५६ के अन्त तक उत्पादन बढ़ कर २८३,००० टन हो जायेगा । जो अनुज्ञप्तियां पहले ही दी जा चुकी हैं उनसे उत्पादन ३४५,००० टन तक हो सकता है । मौजूदा फैक्टरियों से उनकी पूर्ण क्षमता तक कार्य कराने के लिये सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इस वर्ष यह फैक्टरियां अपनी २११,००० टन की क्षमता में से २००,००० टन उत्पादन कर सकेंगी । उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : मेरा प्रश्न था कि जो फैक्टरियां पहले ही बन्द हो चुकी हैं उन्हें पुनः चालू कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य का निर्देश जिन फैक्टरियों से है उनका विशिष्ट स्वरूप क्या है यह मैं अभी कह नहीं सकता । सरकार क्या कार्यवाही करेगी यह प्रत्येक फैक्टरी पर निर्भर करेगा । यदि मेरे माननीय मित्र इस सम्बन्ध में कोई पूछें तो मैं उन्हें उत्तर दे सकूंगा ।

मोटर कारों का मूल्य

†६०४. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दी गई सहायता से देशीय मोटरकारों के उपभोक्ता मूल्य किस सीमा तक कम हुये हैं ; और

(ख) विदेशों में बनी हुई मोटरकारों की तुलना में उनकी कीमतें क्या हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मोटर निर्माताओं को सरकार द्वारा दी गई सहायता मुख्यतः उपयुक्त कच्चे माल के विकास के लिये, समुचित उपकरणों के बनाने के लिये सहायक उद्योगों के संगठन के लिये मोटरगाड़ियों के भागों और पुर्जों पर आयात शुल्क घटाने के लिये आदि के रूप में दी गई है। फैक्टरी स्तर पर मोटर गाड़ियों के मूल्य निश्चित किये जाने पर भी सरकार कुछ नियंत्रण रखती है ताकि निर्माता अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न न कर सकें। जनवरी १९५५ और अक्तूबर १९५५ के मूल्यों का एक तुलनात्मक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १]**

(ख) विदेशी मोटरों के मूल्यों की सूचना प्राप्य नहीं है क्योंकि उनका आयात पूर्णतया गिरी हुई परिस्थितियों में किया जा रहा है।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या यह सत्य है कि मोटर उद्योग को दी गई अनेक छूटों के उपरान्त भी देश में निर्मित मोटर कारों की संख्या पर्याप्त कम हो गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या मैं १९५३ से प्रति वर्ष बनाई गई मोटरकारों की संख्या जान सकता हूं।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** पिछले अवसर पर मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया था। मेरे माननीय मित्र को जो सूचना मिली है वह ठीक नहीं है। मांग बढ़ गई है और इस देश में नवम्बर के अन्त तक जितनी मोटर कारें व ट्रक बिके हैं उनकी संख्या १९५४ की बिक्री से कहीं अधिक वृद्धि लगभग ४००० एककों की हुई है।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या प्रशुल्क आयोग ने, जिसे मोटर उद्योग की परिस्थितियों की जांच करने का कार्य सौंपा गया था, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा सरकार मोटर उद्योग के विकास के लिये क्या महत्वपूर्ण कार्यवाही करना चाहती है जिससे कि यह उद्योग कम से कम संसार के बाजार में प्रतियोगिता में खड़ा हो सके ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था यह विषय प्रशुल्क आयोग के सामने है। मैं नहीं कह सकता कि प्रशुल्क आयोग कब अपना प्रतिवेदन देगा। कदाचित जब प्रतिवेदन हमारे हाथ में आ जायेगा तब हम माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ करने का विचार कर सकते हैं।

†**श्री मात्तन :** माननीय मंत्री ने पिछली बार कहा था कि भारतवर्ष में निर्मित मोटर कारों की कीमत कम हो गई है—मैं नहीं जानता कि कितनी। किन्तु प्रत्यक्ष रूप से मेरी सूचना यह है कि कीमतें बढ़ गई हैं। मैं इस विषय में माननीय मंत्री से कुछ जानकारी चाहता हूं।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** श्रीमान्, मुझे ज्ञात नहीं कि मेरे माननीय मित्र की सूचना अथवा विचार ठीक हैं अथवा नहीं।

निश्चय ही कीमतों में वृद्धि किये जाने की मांग की जा रही है। इसी कारण हमने इस विषय का निर्देश प्रशुल्क आयोग को किया है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** सरकार द्वारा दी गई छूटों के अनपेक्ष भी अधिक मूल्यों के कारण हाल के वर्षों में मोटर कारों की खपत बहुत अधिक नहीं बढ़ पाई है। क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार ने देश में मोटरकारों की खपत बढ़ाने के लिये क्रयविक्रय प्रणाली को चालू करने की संभावनाओं का कुछ भी अध्ययन किया है ?

† मूल अंग्रेजी में

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे यह बताने में खेद होता है कि मैं ने अभी तक इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया है ।

संयुक्त राष्ट्र गृह निर्माण विशेषज्ञ

†*६०६. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि संयुक्त राष्ट्र गृह-निर्माण विशेषज्ञ श्री सी० ए० डोक्सियाडिस ने इस देश की आवास समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार से बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत की गई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). एशिया और सुदूर पूर्व के गर्म और शुष्क प्रदेशों के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में एक प्रादेशिक गृह-निर्माण केन्द्र बनाने की एक समस्या के सम्बन्ध में कुछ प्रारम्भिक चर्चा की गई थी ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसी संस्था स्थापित करना चाहती है जैसा कि उसे सुझाव दिया गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : अभी तो चर्चा ही हो रही है । स्पष्टतया सरकार को ऐसा केन्द्र स्थापित किये जाने में चि है, किन्तु इस सम्बन्ध में विवरण तैयार किये जा रहे हैं कि कार्य का क्षे क्या होना चाहिये, इस योजना में भाग लेने वाले देशों अथवा राष्ट्रों के बीच व्यय का बटवारा किस प्रकार होना चाहिये और हम इसमें कितनी सहायता दे सकेंगे ?

†**श्री एन० बी० चौधरी :** क्या उक्त विशेषज्ञ ने भारतवर्ष की विषय आवास समस्या का समाधान करने के विषय में कोई विशेष सुझाव दिया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : निश्चय ही, श्रीमान्, भारत के गम और शुष्क प्रदेशों के लिये भारत म भी वैसे ही गर्म और शुष्क प्रदेश हैं जैसे कि दूसरे देशों म हैं ।

†**श्री एन० बी० चौधरी :** म तो यह जानना चाहता था कि भारतवष को विषम आवास समस्या के विषय म उक्त विशेषज्ञ ने कोई विशष सुझाव दिये हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** नहीं विशेषज्ञ के आगमन का यह उद्देश्य नहीं था । उसके यहां आने का उद्देश्य केवल एक गवेषणा केन्द्र खोले जाने की सम्भावनाओं की देख भाल करना था किन्तु उस गवेषणा का व्यावहारिक रूप से उपयोग किये जाने में अभी कुछ समय लगेगा ।

†**श्री राघवैया :** वह विशेषज्ञ किस देश से आया था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । प्रश्न का घंटा समाप्त हो गया है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

एल्जीरिया के सम्बन्ध में प्रश्न

†**अ० सू० प्र० संख्या २. श्री कासलीवाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सहित कुछ राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र महा सभा के उस वर्ष के कार्यक्रम से एल्जीरिया के विषय को कार्य सूची से निकाल देने का निश्चय किया है ; और

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में लौट आने की स्वीकृति प्रकट की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हां ।

(ख) हां ।

मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री कासलीवाल** : इससे पहले एक प्रश्न का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री ने कहा था कि फ्रांस को संयुक्त राष्ट्र सभा में पुनः वापिस लाने के लिये कार्यवाही की जा रही थी। क्या मैं जान सकता कि क्या एल्जीरिया सम्बन्धी यह विषय केवल अगले सत्र के लिये स्थगित किया गया है अथवा इसे अन्तिम रूप से निकाल दिया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं। मेरे विचार में इसे सत्र में न लेने का ही विचार था। उन्होंने निर्णय किया था कि इस सत्र में इसे किसी भी प्रकार से नहीं लिया जा सकता था क्योंकि यह कई और महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार किये जाने के मार्ग में बाधा बन रहा था। यहां तक कि स्वयं एल्जीरिया की समस्या पर भी इसका प्रभाव पड़ता था क्योंकि फ्रांस और एल्जीरिया द्वारा इस प्रश्न पर एक अन्य प्रकार से विचार किये जा की कार्यवाही की जा रही थी। परन्तु दुर्भाग्य से अन्य कार्यवाहियां सहसा बन्द हो गईं और केवल भारतवर्ष द्वारा ही नहीं, अपितु अन्ततोगत्वा, सभी एशियाई-अफ्रीकी देशों द्वारा संयुक्त रूप से परामर्श किये जाने पर यह सोचा गया कि इसे इस कार्यसूची ही से हटा देना ही श्रेयस्कर होगा ताकि फ्रांस के प्रतिनिधि लौट कर आ सकें, अन्यथा, इस विषय में अथवा किसी अन्य विषय में कोई प्रगति नहीं की जा सकेगी।

श्री कासलीवाल : उपनिवेशिक देशों में उपनिवेशीय क्षेत्रों को अपनी राजधानी का ही अंग मानने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिये फ्रांस एल्जीरिया का दावा कर रहा है, हालैण्ड सुरीनाम को हालैण्ड का एक भाग मान रहा है और इसके विरुद्ध हमारे प्रतिनिधिमंडल ने आपत्ति उठायी है। इसी प्रकार हमने देखा है कि कैसे आजकल पुर्तगाल गोआ के पुर्तगाली राजधानी का एक भाग होने का दावा कर रहा है। अतः क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सम्पूर्ण प्रश्न संयुक्त राष्ट्र की महासभा के आगामी सत्र में उठाया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कौन सा सम्पूर्ण प्रश्न ?

श्री कासलीवाल : उपनिवेशीय शक्तियों द्वारा उपनिवेशिक क्षेत्रों को राजधानी के अन्तर्गत क्षेत्र मानने का प्रश्न।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि यह एक पृथक् प्रश्न हो तो इसे उठाया जा सकता है। किन्तु इस सिद्धान्त सम्बन्धी कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है कि उपनिवेशीय देश अपने राज्य क्षेत्रों के कुछ भागों को अपनी राजधानी के अन्तर्गत क्षेत्र मान रहे हैं। स्वभावतः, प्रश्न को विशेषरूप से उठाया जाना है चाहे यह पुर्तगाल का प्रश्न हो अथवा फ्रांस का अथवा किसी और देश का। केवल विशेष प्रश्न ही उठाया जा सकता है। इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र में कोई शास्त्रीय वाद विवाद नहीं हो सकता है।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : जब कार्य-सूची से एल्जीरिया के प्रश्न को विषय को हटाया गया था, तो क्या ऐसा इसलिये किया गया था कि कार्य-सूची में बहुत अधिक विषय हो गये थे अथवा फ्रांस की उपनिवेशीय शक्ति को प्रसन्न करने के लिये ऐसा किया गया था ताकि वह फिर एसेम्बली में वापस लौट आये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ऐसा केवल इसी कारण किया गया था ताकि फ्रांस के सभा म वापस लौट आने पर उसकी उपस्थिति में इस प्रश्न पर विचार किया जा सके। अतः यह निश्चितरूप से फ्रांस को पुनः एसेम्बली म बुलाने के लिये किया गया था ताकि इस पर तथा अन्य विषयों पर भी विचार किया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी म

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भूतपूर्व अपराध जीवी आदिम जातियां

†*५८८. **श्री बर्मन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० पी० सी० विश्वास ने दिल्ली में रहने वाली भूतपूर्व अपराध जीवी आदिम जातियों के अध्ययन को पूर्ण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उतको **योजना** को प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) उक्त रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) डा० विश्वास ने अपनी जांच कर ली है और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ।

(ख) और (ग). प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है और इसके प्रकाशन के प्रश्न पर यथासमय विचार किया जायेगा ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

*५९९. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **उत्पादन** मंत्री हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में बनाये गये जहाजों का मूल्य और वहां पर सरकारी जहाजों (नौसेना और वाणिज्यिक पृथक् पृथक्) की मरम्मत के सम्बन्ध में किये गये कार्य की लागत बताने की कृपा करेंगे ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २]

भारतीय उद्योग मेला

†*६०५. **श्री अमजद अली :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हो रहे भारतीय उद्योग मेले में रुमानिया के मंडप में जिस के साथ साथ तीन और मंडल जल गये थे, आग लग जाने के कारणों, तथा आग के द्वारा हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिये कोई समिति बनाई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण थे और अनुमानतः उस से कितनी हानि हुई ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख) . हां, श्रीमान् समिति ने आग लगने के कारणों की जांच की थी किन्तु वह ठीक ठीक कारण जानने में असमर्थ रही । समिति ने आग लगने के कारण हुई क्षति का कोई अनुमान नहीं लगाया है ।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य द्वारा सहायता का प्रस्ताव

†*६०७. **श्री साधन गुप्त :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान डा० श्री लेडिगं द्वारा ३१ अक्टूबर, १९५५ को दिये गये इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत को उसके औद्योगिक विकास की सहायता देने को तैयार रहेगा ; और

(ख) यदि हाँ, तों क्या इस प्रस्ताव से कोई लाभ उठाने का विचार है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) और (ख). जी हां, सरकार ने पूर्वी जर्मनी के विदेशी व्यापार मण्डल के अध्यक्ष द्वारा दिये गये इस वक्तव्य को देखा है । कोई औपचारिक प्रस्थापना या प्रस्ताव नहीं किया गया है । आने वाले प्रतिनिधि मंण्डल और भारत के विभिन्न प्राधिकारियों और दलों में परीक्षात्मक प्रकार की चर्चा हुई है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली से कार्यालयों का हटाया जाना

†*६०८. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ गैर-सचिवालय कार्यालयों को दिल्ली से हटा कर राजस्थान की भूतपूर्व रियासतों की राजधानियों में ले जाये जाने की प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). दिल्ली से कुछ कार्यालयों के हटाये जाने का सामान्य प्रश्न अभी भी विचाराधीन है । इस अवस्था में निश्चित रूप से यह कह सकना सम्भव नहीं कि क्या कुछ कार्यालयों को दिल्ली से हटाया जायेगा, और यदि हटाया भी जायेगा तो वे कार्यालय कौन कौन से होंगे और उन्हें कहां हटाया जायेगा यह भी बताना सम्भव नहीं है। परन्तु किसी भी कार्यालय को हटाये जाने पर सरकार जोधपुर और अलवर जैसे स्थानों के सम्बन्ध में, जहां कि कार्यालय और आवास दोनों के लिये पर्याप्त आवास सुविधायें या तो तत्काल उपलब्ध हैं अथवा उपलब्ध कराई जा सकती हैं विचार करेगी।

राष्ट्र मंडल के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन

†*६०९. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों का एक सम्मेलन निकट भविष्य में आयोजित किये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वह कब और कहां होगा?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) और (ख). राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन को लन्दन में २७ जून, १९५६ से करने का विचार है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

†*६१०. **श्री कामत :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २९ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २३६४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषणों के रिकार्डों को परिरक्षण करने के लिये प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई अग्रेतर प्रयत्न किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ख). आकाशवाणी ने इस संबंध में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के संबंधियों से सम्पर्क स्थापित किया हुआ है और यदि कोई रेकार्ड हैं तो उनका पता लगाने का प्रयत्न कर रहा है । अन्य उपाय से भी खोज की जा रही है ।

वम्सधारा नदी परियोजना

†*६११. **श्री संगण्णा :** क्या **योजना मंत्री** वम्सधारा नदी परियोजना के संबंध में २९ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २३५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की सरकार से कोई अन्तिम उत्तर प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) अभी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुर्तगाली बस्तियों से शरणार्थी

†*६१२. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ, दमन और दीव नामक पुर्तगाली बस्तियों से अगस्त १९५५ से बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ग) क्या उनके भरण-पोषण के लिये उन्हें कोई सहायता दी जा रही है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) और (ख). हाल ही में दमन से ७९३ मछुवे सपरिवार भारत आये हैं। वे अपने साथ ३६ मछली का शिकार करने वाली नावें मछली पकड़ने के उपकरणों सहित लाये हैं। यद्यपि वे भारत में गैर कानूनी ढंग से घुसे थे, किन्तु दयालुता के आधार पर, भारत सरकार ने उन्हें भारत में ठहरने की अनुमति दे दी है।

(ग) उन्हें अपने व्यवसाय के द्वारा अपनी जीविका कमाने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा स्थानीय कांग्रेस कमेटी ने वित्तीय सहायता दी है।

भारत अरब व्यापार सम्मेलन

*६१३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, १९५५ में कोई भारत-अरब व्यापार सम्मेलन बम्बई में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी, हां।

(ख) इस सम्मेलन में जो प्रस्ताव स्वीकार किये गये थे, वे सरकार के विचाराधीन हैं।

नेपा अखबारी कागज का कारखाना

†*६१४. **श्री सारंगधर दास :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश स्थित नेपा अखबारी कागज का कारखाना अखबारी कागज बनाने लगा है।

(ख) यदि हां, तो उत्पादन कब से प्रारम्भ हुआ है ;

(ग) प्रति मास कितना कागज तैयार किया जाता है ;

(घ) प्रति टन लागत क्या है और किस मूल्य पर उसे बेचा जा रहा है; और

(ङ) क्या इस अखबारी कागज की किस्म और उसका मूल्य आयात की गई वस्तु की तुलना में ठीक है?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). इस मिल में ११ जनवरी, १९५५ से प्रयोगात्मक रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया गया था, और उस समय से वे १५ टन प्रति दिन के औसत से रंग उड़ाया हुआ अखबारी कागज बना रही हैं ।

(घ) और (ङ). इस मिल का बना कागज पंजीबद्ध समाचार पत्रों को ५ आना ६ पा० प्रति पौंड के भाव से और अन्य व्यक्तियों को ६ आना ६ पा० प्रति पौंड के भाव से बेचा जा रहा है। कागज की किस्म अच्छी बताई जाती है। नेपा अखबारी कागज का जो मूल्य पंजीबद्ध समाचारपत्रों से लिया जाता है वह आयात किये गये अखबारी कागज की तुलना में उसी के अनुसार है। उत्पादन लागत सम्बन्धी सूचना बताने में मैं असमर्थ हूं।

वस्त्र जांच समिति

*६१५. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २६ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या

---

†मूल अंग्रेजी

२१५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र जांच समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की कौन कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ; और

(ग) अन्य सिफारिशों के स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). प्रतिवेदन अभी भी विचाराधीन है ।

मंडी की नमक की खानें

†*६१६. **श्री हेमराज :** क्या उत्पादन मंत्री २८ जुलाई, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मंडी की सेंधा नमक की खानों में से नमक निकालने के लिये १९५३–५४ और १९५४–५५ में कितनी धन राशि व्यय की गई थी और १९५५-५६ में कितनी राशि व्यय करने की प्रस्थापना है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे) :** मंडी की नमक की खानों में जमीन से नमक निकालने पर व्यय की गई धन राशि इस प्रकार थी :

१९५३–५४	४७,७९२ रुपये ।
१९५४–५५	७३,३४८ रुपये ।
१९५५–५६	५१,८१० रुपये ।
	(प्राक्कलन)

स्टील रोलिंग मिलें

†*६१७. **श्री एस० वी० रामस्वामी :** (क) क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य में टूटे-फूटे लोहे और इस्पात का रोलिंग करने वाली कितनी मिलें हैं ; और

(ख) क्या उक्त राज्य में बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध इस टूटे-फूटे लोहे से इस्पात बनाने के लिये और अधिक रोलिंग मिलें खोलने की कोई योजना है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) दो ।

(ख) यह कहना सही नहीं होगा कि मद्रास में इतनी अधिक मात्रा में यह टूट-फूट उपलब्ध है कि नये एकक खोले जा सकते हैं । सरकार १९५९ में, जबकि लोहे की जितनी छड़ों का आश्वासन दिया गया है, वह उपलब्ध होंगी, कार्य करने के लिये चालू किये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्रों पर विचार करने को तैयार है ।

तम्बाकू का स्टाक

†*६१८. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र के उत्पादकों के पास निर्यात के लिये तैयार तम्बाकू का कितना स्टाक पड़ा हुआ है ; और

(ख) उसे बेचने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसे खरीदने के लिये कौन-कौन से देश तैयार हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : उत्पादकों के पास निर्यात के लिये पड़े स्टाक के ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू का जो हमारे देश की एक प्रमुख निर्यात वस्तु है, बिना बिका हुआ स्टाक, नगण्य है ।

(ख) प्रथम भाग के उत्तर का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । द्वितीय भाग के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३]**

†मूल अंग्रेजी में ।

छोटे पैमाने के उद्योग

*६१९. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण बोर्ड (सोशल वैलफेयर बोर्ड) के परामर्श से जिन छोटे उद्योगों को समाज कल्याण केन्द्रों में चालू करने की योजना बनाई गई है, उसके अन्तर्गत कौन से छोटे पैमाने के उद्योग धंधे सम्मिलित किये गये हैं ;

(ख) इन उद्योगों की स्थापना के लिये अनुमानतः कितना धन स्वीकृत किया गया है ;

(ग) इस धन राशि में समाज कल्याण बोर्ड और उनके मंत्रालय का कितना अंशदान होगा ;

(घ) क्या इन उद्योगों को सुचारु रूप से चलाने के लिये व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के प्रश्न पर विचार किया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो प्रशिक्षण किस प्रकार का होगा ; और

(च) क्या इस योजना की रूपरेखा बताने वाला एक विवरण सभा के टेबल पर रखा जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) से (च). सदन की मेज़ पर एक विवरण प्रस्तुत किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४]**

उद्योग और श्रम सम्बन्धी संयुक्त परामर्शदाता बोर्ड

†*६२०. **श्री श्री नारायण दास :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग और श्रम सम्बन्धी संयुक्त परामर्शदाता बोर्ड द्वारा १९५५ में अब तक किन किन महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया गया ;

(ख) बोर्ड द्वारा क्या महत्वपूर्ण निर्णय किये गये ; और

(ग) उनमें से किन-किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है और सरकार द्वारा लागू किया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र):** (क)

(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना में श्रम सम्बन्धी सिफारिशों को कार्यान्वित करने में की गई प्रगति ।

(२) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये श्रम सम्बन्धी नीति करना ।

(३) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये प्रस्तावित योजनायें ।

(ख) बोर्ड ने श्रम नीति और अन्य कार्यक्रमों के प्रथम पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किये जाने पर सन्तोष प्रकट किया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये श्रम सम्बन्धी नीति और कार्यक्रम के सम्बन्ध में सुझाव दिया । बोर्ड ने उन विषयों के सम्बन्ध में भी गम्भीर अध्ययन करने का निर्णय किया है (१) सभी पहलुओं से श्रम को पारिश्रमिक देना, (२) संयुक्त परामर्श और प्रबन्ध में मज़दूरों द्वारा भाग लिया जाना और (३) कार्य कुशलता और अनुशासन का विशिष्ट रूप से ध्यान रखते हुए उत्पादन शक्ति को बढ़ाने से सम्बन्धित समस्यायें ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये श्रम नीति और कार्यक्रमों संबंधी बोर्ड की सिफारिशों का परीक्षण किया जा रहा है ।

मूल अंग्रेज़ी में ।

विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर

†*६२१. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री बहादुर सिंह :
डा० सत्यवादी :
श्री राधारमण :

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित व्यक्तियों द्वारा २६ सितम्बर, १९५५ तक प्रतिकर के लिये कितने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये ;

(ख) सत्यापित दावों के सम्बन्ध में कितने आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की आशा थी ; और

(ग) बाद को ऐसे कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिनमें विलम्ब को माफ कर दिया गया था ?

पुनर्वास उप मंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) ४,३५,३८५
(ख) ३,९०,०००
(ग) ५,०६५.

नेटाल और ट्रांसवाल में भारतीय

†*६२२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेटाल और ट्रांसवाल में में भारतीयों को शिक्षा और चिकित्सा संबंधी सुविधायें दी जाती हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि वहां भारतीयों की आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नहीं है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) हां, किन्तु वे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपर्याप्त हैं ।

(ख) हां ।

बिहार को अनुदान

†*६२३. **पडित डी० एन० तिवारी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य को १९५४-५५ में स्थानीय विकास कार्यों के लिये जो अनुदान दिये गये थे क्या उन की पूरी राशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कितनी राशि अभी तक खर्च नहीं हुई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) :** (क) जी, हां ।
(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

†*६२४. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ क्षेत्रों में अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यक्रमों के अनुसार एक ही काम दो बार हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

संश्लेषित तेल का कारखाना

†*६२५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :**
श्री आर० एन० एस० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री एम० इस्लामुद्दीन :

क्या **उत्पादन** मंत्री १० अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६४९

---

†मूल अंग्रेजी में ।

और २१ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०२२ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संश्लेषित तेल के कारखाने लगाए जाने के सम्बन्ध में तीन विदेशी कम्पनियों से परियोजना-प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन का अध्ययन किया है ; और

(ग) सरकार किस परिणाम पर पहुंची है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) अभी तक जर्मनी की दोनों फर्मों मैसर्स हेनरिच कापर्स और लुर्गी के प्रतिवेदन मिले हैं । अमरीका की कम्पनी मैसर्स एम० डब्ल्यू० केलाग का प्रतिवेदन अभी नहीं आया ।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति बनाई है जिस के अध्यक्ष डा० जे० सी० घोष हैं । यह समिति इन प्रतिवेदनों का अध्ययन कर रही है। सरकार इस समिति की सिफारिशें मिलने के बाद इस प्रश्न पर कोई निर्णय करेगी ।

भारत और चेकोस्लाविया के बीच व्यापार

†*६२६. **श्री साधन गुप्त** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मि० एम० ई० एडमेक द्वारा ९ नवम्बर, १९५५ को किए गये इस प्रस्ताव पर विचार किया है कि वे भारत को टेकनीकल सहायता तथा प्रशिक्षण देने और भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए तैयार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: (क) और (ख). कोई औपचारिक प्रस्ताव या प्रस्थापना नहीं भेजी गयी । परन्तु उद्योग मेले में आए चेक प्रतिनिधि मण्डल ने भारत में विभिन्न अधिकारियों और व्यापार संस्थाओं के साथ प्रारम्भिक बातचीत की है, जो उपयोगी रही है ।

आकाशवाणी

*६२७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २२ सितम्बर, १९५५ को राज्य सभा में दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५७० के उत्तर के सम्बन्ध में जो उन्होंने आकाशवाणी के सहायक इंजीनियरों के बारे में दिया था, यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के लिये इंजीनियरों के प्रशिक्षण का जो प्रबन्ध किया जाने वाला है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : अखिल भारतीय रेडियो के लिए एक कर्मचारी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की योजना को द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में शामिल कर लिया गया है । यह सुझाव इस समय योजना कमीशन के विचाराधीन है । इसके अनुसार और बातों के साथ साथ, रेडियो के इंजीनियरिंग विभाग में भरती हुए नये कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जायगी और रेडियो में विभिन्न स्तरों पर जो इंजीनियर अभी काम कर रहे हैं, उनकी जानकारी और अनुभव बढ़ाने की व्यवस्था की जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मद्यनिषेध जांच समिति

*६२८. सरदार हुक्म सिंह :
श्री बहादुर सिंह :
श्री एन० राघय्या :
श्री डी० सी० शर्मा :
श्री डाभी :
श्री बर्मन :
श्री भक्त दर्शन :
श्री झूलन सिंह :
श्री के० पी० सिन्हा
श्री हेडा :
श्री राधारमण :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में धीरे धीरे पूर्णतया मद्यनिषेध करने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में, जिस का सुझाव मद्यनिषेध जांच समिति ने दिया है, कोई निश्चित निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) और (ख) मद्यनिषेध जांच समिति की रिपोर्ट अभी तक योजना आयोग के विचाराधीन है ।

भारत लंका करार

*६२९. श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री रघुरामय्या :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने लंका में भारतीय उद्भव के लोगों की नागरिकता सम्बन्धी भारत-लंका करार की कार्यान्विति के सम्बन्ध में लंका सरकार को जो अन्तिम चिट्ठी लिखी थी, क्या उस का उत्तर आ गया है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : जी, नहीं ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

६३०. श्री विभूति मिश्र :
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :

क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांसीसी फर्म ए० सी० एल० के साथ करार के अन्तर्गत इस फर्म को प्रति वर्ष विशाखापटनम में कुछ भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने भारतीयों को प्रशिक्षण दिया गया है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) करार में कर्मचारियों के प्रशिक्षण का उपबन्ध है , परन्तु उनकी संख्या नहीं बताई गई है ।

(ख) फ्रांस में इस फर्म के जहाजी कारखानों में दस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है या दिया जा रहा है । जहां तक भारत में कर्मचारियों का सम्बन्ध है, सारे टेक्नीकल अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर (अदक्ष मजदूरों को छोड़कर) जिनकी संख्या २२७४ है, फ्रांसीसी विशेषज्ञों और मजदूरों की भारत में उपस्थिति के कारण उनके मार्ग प्रदर्शन में लाभ उठा रहे हैं । इसके अतिरिक्त २३७ व्यवसायिक शिशिक्षु हैं जो विशाखापटनम के जहाज कारखानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

निर्यात प्रत्यय प्रतिभूति योजना

†*३०२. **श्री तुलसीदास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १६ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ३१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने निर्यात प्रत्यय प्रतिभूति योजना को लागू करने में कहां तक प्रगति की है ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : हमने उसके बाद से विभिन्न व्यापारिक प्रतिनिधियों और वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा दिये गये सुझावों और उनके विचारों का अध्ययन किया है और एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्णय किया है, जो भारत के लिये निर्यात प्रत्यय प्रतिभूति की एक योजना तैयार करेगी ।

संयुक्त राष्ट्र संघ

†३३३. **श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाये जाने की प्रार्थना की है, जिनके प्रार्थना पत्र उस अन्तर्राष्ट्रीय संघ के विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या भारत इन सभी देशों के संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाये जाने के पक्ष में है; और

(ग) यदि नहीं, तो किन किन देशों के सदस्य बनाये जाने का समर्थन नहीं हो रहा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) अल्बानिया, मंगोलिया का जनवादी गणराज्य, इटली, ट्रांसजोर्डन, पुर्तगाल, आयरलैंड, हंगरी, आस्ट्रिया, रूमानिया, बलगेरिया, फिनलैंड, लंका, लीबिया, कोरिया का गणराज्य, नेपाल, वियतनाम, कम्बोडिया, वियतनाम का जनवादी गणराज्य, जापान, लाओस, कोरिया का जनवादी गणराज्य, और स्पेन ।

(ख) और (ग). भारत इस पक्ष में है कि जो भी देश संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अन्तर्गत संघ का सदस्य बनने का अधिकारी हो, उसे सदस्य बना लिया जाये । भारत इस समय संयुक्त राष्ट्रसंघ में कैनाडा द्वारा रखे गये इस संकल्प का समर्थन कर रहा है कि १८ देशों को सदस्य बना लिया जाय अर्थात् उपयुंक्त देशों में से चार—वियतनाम के जनवादी गणराज्य, वियतनाम, कोरिया गणराज्य और कोरिया का जनवादी गणराज्य—को छोड़ कर सभी को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना लिया जाय । सदस्यता के ये चार प्रार्थना पत्र दो देशों वियतनाम और कोरिया के हैं जो अस्थायी रूप से विभाजित हैं और जिनका दर्जा अभी निश्चित नहीं है ।

भारतीयों को विदेशी मानोपाधियों का प्रदान

†३३४. **श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** २६ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २१८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मामलों में भारतीय नागरिकों ने विदेशी पारितोषिक, प्रशस्ति पत्र या पदक लेने से पहले सरकार से अनुमति ली ;

(ख) किन किन मानोपाधियों के लिये ऐसी अनुमति आवश्यक थी ; और

(ग) बाकी मामलों में अनुमति क्यों आवश्यक नहीं समझी गई ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) पारितोषिकों, प्रशस्ति पदों और पदकों के सम्बन्ध में सभी मामलों में ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

नेपाल में हवाई अड्डे

†३३५. **श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** २६ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २१८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिमरा, भैरावा, विराट नगर और पोखरा के हवाई अड्डों में सुधार करने निर्णय कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

(ख) यदि हां, तो इन हवाई अड्डों पर कब काम प्रारम्भ होगा ; और

(ग) क्या काठमांडू और गौचर हवाई अड्डे में सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रबन्ध हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) , (ख) और (ग). हवाई जहाजों के उतरने के क्षेत्रों के सुधार और वायुयानों के आने जाने और रेडियो द्वारा संचार की सुविधाओं का प्रबन्ध करने का प्रश्न विचाराधीन है । ज्यों ही योजना को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा, यह काम आरम्भ हो जायेगा । काठमांडू (गौचर) हवाई अड्डे में डकोटा विमानों को उतरने के लिये सभी सुरक्षा व्यवस्थायें हैं ।

भारतीय राजदूतावास

†३३६. **श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में हमारे राजदूतावासों और अन्य राजनीतिक प्रतिनिधियों के कार्यालयों में कितने गज़टिड अधिकारी हैं ;

(ख) पदनाम या श्रेणी के अनुसार उनकी अलग अलग संख्या क्या है ;

(ग) इन राजदूतावासों और कार्यालयों में कुल कितने ग़ैर-गज़टिड अधिकारी हैं ;

(घ) पदनाम या श्रेणी के अनुसार उनकी अलग अलग संख्या क्या है ;

(ङ) उपयुक्त (क) और (ग) में उल्लिखित कितने अधिकारी अभी तक अस्थायी हैं ?

† **प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ङ). यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सूती कपड़ा

†३३७. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री बहादुर सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में १९५४ की तुलना में १९५५ में सूती कपड़े की खपत अधिक हुई है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: जी, हां ।

संयुक्त राष्ट्र संघ

†*३३८. **श्री श्रीनारायण दास : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस बार संयुक्त राष्ट्र के साधारण अधिवेशन में भाग लेने गया है उसके सदस्यों को किन विभिन्न समितियों तथा उपसमितियों में कार्य करने के लिये चुना गया है ; और

(ख) इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने अभी तक किन विषयों के विचार विमर्श में भाग लिया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जनरल असेम्बली की कई समितियों में बांटे गये भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का ब्यौरा सदन की मेज़ पर रख दिया गया है ।

(ख) भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने एजेन्डा के करीब करीब सभी ६६ आइटमों की बहस में हिस्सा लिया है । एजेन्डा की एक कापी सदन की मेज़ पर रख दी है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५]

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

टाइपराइटर

३३९. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ७ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ६२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाइपराइटर मशीनें भारत में सफलता के साथ बनाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो टाइपराइटर बनाने के लिये अभी तक कितने कारखाने खोले गये हैं और अभी तक कितने टाइपराइटर बन चुके हैं ; और

(ग) क्या भारत में बने टाइपराइटरों की कार्यकुशलता का परीक्षण किया गया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). टाइपराइटर मशीनों का क्रमशः निर्माण करने की तीन योजनायें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं। दो योजनाओं के अनुसार तो उत्पादन आरम्भ भी हो चुका है। जलाई से सितम्बर १९५५ तक की अवधि में टाइपराइटर की १५७६ मशीनें इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत बन चुकी हैं ।

(ग) जी, हां ।

भारतीय दूतावास

३४०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश स्थित कितने भारतीय दूतावासों में अभी तक हिन्दी उपविभाग खोले गये हैं ;

(ख) ऐसे विभागों में किस प्रकार का काम किया जाता है ; और

(ग) निकट भविष्य में कितने दूतावासों में ऐसे उपविभाग खोलने का विचार है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) एक केवल पीकिंग में खोला गया है ।

(ख) अपने प्रत्यय पत्र पेश करते वक्त हमारे नये राजदूत का भाषण और अपने प्रत्ययन के बारे में दूसरे राजदूतों को भेजे गये पत्र, सभी हिन्दी में थे और अंग्रेजी तर्जुबा उनके साथ था । हमारा राजदूत, जहां तक मुमकिन होगा, चीन के परराष्ट्र मंत्रालय को, बाजाब्ता नोट वगैरह अंग्रेजी तर्जुमे के साथ, हिन्दी में भेजेगा ।

राजदूतावासों के हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों और उनकी पत्नियों के लिये एक हिन्दी कक्षा चलाने का और हिन्दी सेक्शन के स्टाफ को उनकी मर्जी पर अध्यापक बनाने का विचार है ।

(ग) यह अभी विचाराधीन है ।

भारतीय राजदूतावास

†३४१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय राजदूतावासों में काम करने वाले अधिकारियों को उन देशों में अपने या अपने सम्बन्धियों के नाम में मकान बनाने या मकान खरीदने की अनुमति है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को किसी ऐसे मामले की सूचना मिली है जिसमें यह नियम भंग किया गया हो ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतावासों में काम करने वाले अधिकारी सरकार को पहले बताये बिना या, जब सौदा किसी नियमित प्रसिद्ध व्यापारी की मार्फत न हो तो— सरकार से पहले अनुमति लिये बिना अचल सम्पत्ति न तो खरीद सकते हैं और न बेच सकते हैं। यह बात किसी अधिकारी के अपने नाम में

†मूल अंग्रेज़ी में ।

या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम में मकान खरीदने या बनाने दोनों पर लागू होती है ।

(ख) हाल ही में एक मामले की ओर सरकार का ध्यान गया है जिसमें एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी ने विदेश में अचल सम्पत्ति खरीदी थी । इस मामले की जांच की जा रही है ।

नीलोखेड़ी बस्ती

†३४२. **डा० सत्यवादी** : क्या पुनर्वास मंत्री २८ जुलाई, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नीलोखेड़ी बस्ती के चलाने पर होने वाले खर्च की मुख्य मदें क्या हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि पुनर्वास बस्ती नीलोखेड़ी के चलाने पर १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ में खर्च की मुख्य मदें क्या थीं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६]**

सीमान्त की घटनायें

†३४३. **श्री डी०सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली जुलाई से ३० नवम्बर १९५५ तक पंजाब, काश्मीर तथा राजस्थान की भारत–पाकिस्तान सीमा पर कितनी सीमांत की घटनाओं की सरकारी तौर पर सूचना प्राप्त हुई है ;

(ख) घटनायें किस प्रकार की हैं; और

(ग) दोनों सरकारों के बीच ऐसी कितनी घटनाओं को मैत्रीपूर्वक निपटाया जा चुका है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क), (ख) और (ग) १–७–५५ से लेकर १५–११–५५ तक पंजाब सीमा पर किसी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

राजस्थान सीमा पर छत्तीस घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई । इनमें से अधिकांश पशुओं के उठा ले जाने और चोरियों के संबंध में थीं, परन्तु उनमें से कुछ डकैती और अपहरण जैसे गंभीर प्रकार की थीं । राजस्थानी अधिकारियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों से इन घटनाओं के संबंध में बातचीत की । कुछ घटनाओं में चुराये गये पशुओं और अन्य सम्पत्ति को लौटा दिया है । अन्य मामलों में राजस्थानी अधिकारियों द्वारा बातचीत की जा रही है ।

काश्मीर सीमा संबंधी जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा जल्दी से जल्दी सभा पटल पर रखी जा रही है ।

ब्रिटिश सैनिक डिपो, लेहरा

†३४४. **श्री एस० एल० सक्सेना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर जिले में स्थित लेहरा और जलपाहार के ब्रिटिश सैनिक डिपो के कृत्य क्या हैं;

(ख) क्या ब्रिटिश सेना के लिये गुरखा सैनिकों की भर्ती अब भी वहां पर की जाती है;

(ग) क्या भारत में इस प्रकार के डिपो और भी हैं;

(घ) यदि हां, तो कहां; और

(ङ) उनके कृत्य क्या हैं और वे कितने समय तक रहेंगे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) से (ङ). इस समय भारत में दो ब्रिटिश सैनिक डिपो हैं, एक पश्चिम बंगाल क जिला दार्जिलिंग में स्थित जलपाहार में और दूसरा उत्तर प्रदेश

†मूल अंग्रेजी में

के जिला गोरखपुर में स्थित लेहरा में। नेपाल के लिये गुरखा सेविवर्ग भर्ती करने के लिये उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। उनका प्रयोग केवल गुरखों को इकट्ठा करने और उनके कलकत्ते भेजने, छुट्टी पर और निकाले जाकर (डिस्चार्ज होकर) आने वाले दलों के आवागमन को संभालने, एक्सरे की जांच करने, वस्त्रों के भंडार रखने और सेवा-निवृत्ति-वेतनों के भुगतान करने के मध्यवर्ती केन्द्रों के रूप में किया जा रहा है।

अब भारत की भूमि पर ब्रिटिश सेना के लिये गुरखा-भर्ती का कोई काम नहीं किया जा रहा है।

भारत के राज्यक्षेत्र पर इंगलैण्ड द्वारा, इन दो डिपो का प्रयोग भी अस्थायी है और आशा की जाती है शीघ्र ही समाप्त कर दिया जायेगा।

जातिभेद की नीति

†३४५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में दक्षिण अफ्रीका संघ की जाति भेद नीति का समर्थन किन्हें देश करते रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : ऐसे किसी देश का हमें ज्ञान नहीं है।

अणुशक्ति गवेषणा

†३४६. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि शान्तिप्रिय कार्यों के लिये अणुशक्ति की गवेषणा तथा प्रगति करने में कितने देशों ने भारत को किसी प्रकार की सहायता दी है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य का ध्यान २५ जुलाई, १९५५ को लोक सभा में दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ३६ पर श्री एन० एम० लिंगम के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी गई थी:

> "इस सम्बन्ध में संसार के बहुत से देशों के साथ, जिनमें अमरीका, फ्रांस, इंगलैंड, रूस, कनाडा यूगोस्लेविया, स्वीडेन, नारवे तथा मिस्र भी हैं, भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण हैं।"

राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना

†३४७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अंतर्गत पंजाब राज्य में औद्योगिक तथा अन्य श्रमिकों के लिये अब तक कितने मकानों का निर्माण किया गया है; और

(ख) अब तक इस पर कितना रुपया खर्च किया गया है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). यह योजना, औद्योगिक श्रमिकों पर तथा कोयला और अभ्रक खानों में काम करने वाले श्रमिको के अतिरिक्त अन्य खदान श्रमिकों पर लागू होती है। खदान श्रमिकों की ओर से अभी तक सहायता का कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। औद्योगिक श्रमिकों के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है : **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७]**

कुटीर उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र

†३४८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुटीर उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र कितने हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वे कहां पर स्थित हैं; और

(ग) प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षणार्थियों को किस प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क), (ख) और (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है। यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सोवियत श्रम शिविर में भारतीय

†३४९. **श्री भगवत झा आजाद** :
श्रीमती इला पाल चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ध्रुव प्रदेशीय सायबेरिया में स्थित वोरकूट के बेगार शिविर में श्री जान फाउट नामक एक भारतीय व्यापारी बंद है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सोवियत सरकार से उसके मुक्त किये जाने के संबंध में वार्ता की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). पश्चिम जर्मनी में स्थित बोन के भारतीय दूतावास ने १९५२ में हमें सूचित किया था कि एक सोवियत निरोध शिविर से छूटने वाले कुछ बन्दियों के कथनानुसार सोवियत संघ में एक भारतीय नागरिक भी निरुद्ध था। कुछ बन्दी कहते थे कि उसका नाम "जानी फाउट" है तथा अन्य बन्दियों के अनुसार उसका नाम "अब्दुल" है। पता चला है कि १९५४ में सोवियत संघ से एक भारतीय छूटा था। बोन स्थित हमारा दूतावास उस व्यक्ति को पहचान जानने का प्रयत्न कर रहा है।

गोआ में भारतीय बन्दी

†३५०. **श्री इब्राहीम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ के राज्यक्षेत्रीय सैनिक न्यायाधिकरण द्वारा कितने भारतीय सात वर्ष से अधिक के लिये जेल भेजे गये; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों ने सैनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध लिस्बन स्थित उच्चतम सैनिक न्यायाधिकरण में अपील की ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) पच्चीस।

(ख) दो।

पेनिसिलिन

†३५१. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ और १९५५ में (३० जून, १९५५ तक) आयात की गई विभिन्न आकार की पेनिसिलिन की शीशियों की संख्या कितनी है और उनका मूल्य कितना है;

(ख) इनका आयात किन देशों से किया गया है ;

(ग) देश में आजकल पेनिसिलिन की कितनी शीशियों की आवश्यकता है; और

(घ) इसके लिये देश की उत्पादन क्षमता कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). पेनिसिलिन की शीशियों के आयात के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि विदेशी व्यापार लेखा में इनका अंकन पथक् रूप से नहीं किया जाता है।

(ग) लगभग तीन लाख गुस प्रतिवर्ष।

(घ) ६०२५ लाख गुस प्रतिवर्ष

---

†मूल अंग्रेजी में

भाखड़ा-नंगल का उर्वरक कारखाना

†३५२. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा-नंगल के उर्वरक कारखाने के निर्माण के फलस्वरूप कितने परिवार विस्थापित हो जायेंगे ; और

(ख) कारखाने के निर्माण में काम पर लगाये जाने के संबंध में क्या ऐसे विस्थापित व्यक्तियों को कोई अधिमान्यता दी जायेगी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई अन्तिम विनिश्चय नहीं किया है कि नंगल उर्वरक-भारी जल कारखाना वास्तव में किस स्थान में स्थापित किया जाये और उसका विस्तार कितना हो। इसलिये यदि परिवार विस्थापित होंगे तो इस समय इस का अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कारखाने के लिये भूमि अर्जित करने के फलस्वरूप कितने परिवार विस्थापित होंगे।

(ख) ऐसे विस्थापित व्यक्तियों को, यदि कोई हुए, सरकार समुचित कार्य दिलाने की व्यवस्था करेगी।

सरकारी प्रकाशन

*३५३. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २६ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २१५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, १९५२ से संसद सदस्यों को निःशुल्क दिये जाने वाले प्रकाशनों के नाम क्या हैं ;

(ख) इन में से कितने प्रार्थना करने पर दिये जाते हैं ;

(ग) कौन से प्रकाशन रियायती मूल्य पर दिये जाते हैं ;

(घ) क्या मंत्रालय की सारी पत्रिकाओं तथा प्रकाशनों का संभरण सार्वजनिक संस्थाओं को भी निःशुल्क या रियायती दरों पर किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) प्रकाशन विभाग द्वारा "कुरुक्षेत्र" में पत्रिका सीधे-सीधे दी जाती है। इस के अतिरिक्त पंचवर्षीय योजना के प्रचार संबंधी अधिकांश पैम्फलेट तथा प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका "भगीरथ" क्रमशः योजना आयोग और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा निःशुल्क भेजे जाते हैं।

(ख) अधिक मूल्य वाले प्रकाशनों के अतिरिक्त, जो रियायती दरों पर दिये जाते हैं, अन्य प्रकाशनों का संभरण अनुरोध करने पर निःशुल्क किया जाता है। ऐसे संभरणों की सूची तैयार करना कठिन है।

(ग) (१) "महात्मा गांधी"—एक अलबम

(२) "जवाहर लाल नेहरू के भाषण"

(३) "भारत—१९५४"

(४) "भारत—१९५५"

(घ) हां। अधिक मूल्य वाली पत्रिकाओं या प्रकाशनों के अतिरिक्त अन्य पत्रिकाओं या प्रकाशनों की प्रतियाँ अनुरोध पर निःशुल्क दी जाती हैं। परन्तु सार्वजनिक संस्थाओं को इन पत्रिकाओं या प्रकाशनों का संभरण सदा ही रियायती दरों पर किया जाता है।

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता निधि

†३५४. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली सितम्बर से नवम्बर, १९५५ के अंत तक प्रधान मंत्री सहायता निधि में कुल कितनी राशि एकत्रित हुई ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस निधि से लाभ उठाने वालों की संख्या कितनी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) पहली सितम्बर से ३० नवम्बर, १९५५ तक प्रधान मंत्री सहायता निधि में एकत्रित राशि रु० २४,४०,६३६-५-८ है ।

(ख) साधारणतया प्रधान मंत्री सहायता निधि से वितरण राज्यों के राज्यपालों तथा/या मुख्य मंत्रियों को उनके द्वारा स्वविवेक अनुसार निश्चित किये जाने सहायता कार्यों के लिये किया जाता है। कुछ अवसरों पर विख्यात समाज सेवा संगठनों को भी सहायता कार्य के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है। इसलिये प्रधान मंत्री निधि से लाभ उठाने वालों की संख्या का अनुमान करना संभव नहीं है। फिर भी पहली सितम्बर, १९५५ से ३० सितम्बर, १९५५ तक प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता निधि से रु० २६,७१,८२४-१४-३ की राशि वितरित की गई थी ।

आकाशवाणी का हल्का संगीत यूनिट

†३५५. **श्री गोपाल राव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के हलका संगीत यूनिटों के प्रभारी संगीत-निर्माताओं की कितनी संख्या है और उनका वेतन क्रम क्या है ; और

(ख) यदि संगीत सम्बन्धी उनकी कोई विशेष अर्हतायें हों, तो वे क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) इस समय प्रयोगात्मक रूप में केवल तीन हल्का संगीत यूनिट बनाये गये हैं और इसलिये कोई वेतन क्रम निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ख) हलका संगीत तैयार करने में प्रभारी व्यक्तियों का चुनाव उनके अनुभव के आधार पर किया गया है ।

महिला होस्टल

†३५६. **श्री गोपाल राव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाई० डब्ल्यू० सी० ए० ने कर्ज़न रोड, नई दिल्ली पर स्थित महिला होस्टल का प्रबन्ध दूसरे को दे दिया है : और

(ख) यदि हां, तो इस समय होस्टल का प्रबन्ध किस के हाथ में है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) दिल्ली राज्य समाज कल्याण और पुनर्वास बोर्ड उसका प्रबन्ध कर रहा है ।

चाय का निर्यात

†३५७. **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय के निर्यात पर शुल्क बढ़ा दिया गया है ; और

(ख) गत तीन मास में कुल कितनी चाय का निर्यात हुआ ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: (क) चाय पर निर्यात शुल्क की वर्तमान खण्ड पद्धति के अन्तर्गत, शुल्क चाय के मूल्य के आधार पर निश्चित किया जाता है। मार्च,

---

मूल अंग्रेजी में

१९५५ से निर्यात शुल्क निम्नलिखित दरों पर लगाया गया है :—

		आ० प्रति पौंड
मार्च	१९५५	१०
अप्रैल और मई	,,	८
जून और जुलाई	,,	४
अगस्त और सितम्बर	,,	६
अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर	,,	८

(ख) जुलाई- सितम्बर १९५५ में कुल १३६३.६ लाख पौंड चाय का निर्यात हुआ ।

सिन्धु नदी जल सम्बन्धी करार

†३५८. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री डी० सी० शर्मा :
श्री एल० एन० मिश्र :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्धु मैदान की नदियों के जल को सिंचाई के लिये प्रयोग करने के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई नया 'तदर्थ' अन्तर्कालीन करार हुआ है ; और

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने इन नदियों के जल के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम और स्थायी बन्दोबस्त किया है ?

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) ३१ अक्तूबर, १९५५ को भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच रबी १९५५–५६ के लिये तदर्थ अन्तर्कालीन व्यवस्था के बारे में एक अल्पकालीन करार हुआ था ।

(ख) जी, नहीं ।

भारत-रूमानिया व्यापार करार

†३५९. **श्री अमजद अली** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूमानिया ने भारत से और अधिक मात्रा में (१) कहवा (२) चाय (३) अभ्रक (४) चपड़ा (५) काली मिर्च (६) इमारती लकड़ी और (७) अनेक प्रकार की कच्ची धातुएं मंगाने की इच्छा प्रकट की है ;

(ख) क्या हाल ही में रूमानिया और भारत के बीच कोई करार हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या शर्तें हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: (क) सरकार ने दिल्ली में होने वाले एक प्रेस सम्मेलन रूमानिया के जनवादी गणतन्त्र के व्यापार-प्रतिनिधि द्वारा दिये गये वक्तव्य को समाचार पत्रों में देखा है, जिसमें यह बताया गया है कि रूमानिया में भारत का चपड़ा, अभ्रक, मिर्च, कहवा और चाय बिक सकती हैं ।

(ख) और (ग). २३ मार्च, १९५४ को भारत और रूमानिया के बीच एक व्यापार करार हुआ था और यह करार ३१ दिसम्बर, १९५५ तक लागू रहेगा । करार की प्रतियां और उस सम्बन्ध में जो पत्र व्यवहार हुआ उसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

इस्पात

†३६०. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या चालू वर्ष में देश में इस्पात की खपत बढ़ जाने से उसकी मांग बढ़ गई है ; और,

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस्पात की किन किन चीजों की मांग विशेष रूप से बढ़ी हुई मालूम पड़ती है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा **और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी):** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इमारती इस्पात, चादरें, छड़ें और सलाखें ।

इस्पात का आयात

†३६१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में कितना इस्पात बाहर से मंगाया गया ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): जनवरी से ३१ अक्तूबर, १९५५ तक ६७८,५४४ टन इस्पात मंगाया गया ।

भाखड़ा बांध

†३६२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा बांध तैयार करने में कितने इस्पात की आवश्यकता पड़ेगी ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा)** : १०,००० टन इस्पात की आवश्यकता होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार ७ दिसम्बर १९५५]

प्रश्नों क मौखिक उत्तर—४६३५–७६

ता० प्र० सं०	विषय	स्तम्भ
५८४	बांडुग सम्मेलन	४६३५–३८
५८५	विश्व अणु शक्ति एजेन्सी	४६३८–४१
५८६	दक्षिण अफ्रीका में भारतीय	४६४१–४२
५८७	पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिशनर	४६४२–४४
५८९	उत्तरी अफ्रिका में हाल की घटनायें	४६४४–४७
५९०	नेकोवाल कांड	४६४७–४८
५९१	विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	४६४८–५०
५९२	कुटीर उद्योग	४६५१–५२
५९३	पुर्तगाल के राष्ट्रपति का इंगलैंड का दौरा	४६५२–५३
५९४	विदेशों में भारतीय	४६५३–५४
५९५	वाष्पचालित सड़क कूटने के इंजिन	४६५४–५७
५९६	मधुमक्खी पालन	४६५७–५८
५९७	अल्प आयवर्ग श्रेणी आवास योजना	४६५९–६०
५९८	अपहृत स्त्रियों की पुनःप्राप्ति	४६६०–६२
६००	बाड़ लगाने के तार का निर्माण	४६६२–६३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—((क्रमशः)

ता० प्र० सं०	विषय	स्तम्भ
६०१	दक्षिण अफ्रीका में भारतीय	४६६३–६६
६०२	राजस्थान की नमक की खानें	४६६६–६८
६०३	कागज की मिलें	४६६८–७०
६०४	मोटर कारों का मूल्य	४६७०–७३
६०६	संयुक्त राष्ट्र गृह-निर्माण विशेषज्ञ	४६७३–७४

अ० सू० प्र० सं०		
२	एल्जीरिया के सम्बन्ध में प्रश्न	४६७४–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ४६७७–४७१२

ता० प्र० सं०	विषय	स्तम्भ
५८८	भूतपूर्व अपराध जीवी आदिम जातियां	४६७७
५९९	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	४६७७
६०५	भारतीय उद्योग मेला	४६७७–७८
६०७	जर्मन लोक तंत्रात्मक गणराज्य द्वारा सहायता का प्रस्ताव	४६७८
६०८	दिल्ली से कार्यालयों का हटाया जाना	४६७९
६०९	राष्ट्र मंडल के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन	४६७९–८०

प्रश्नोंके लिखित उत्तर—(क्रमशः)

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
६१०	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस	४६८०
६११	वम्सधारा नदी परियोजना	४६८०
६१२	पुर्तगाली बस्तियों से शरणार्थी	४६८१
६१३	भारत अरब व्यापार सम्मेलन	४६८१
६१४	नेपा अखबारी कागज का कारखाना	४६८२
६१५	वस्त्र जांच समिति	४६८२–८३
६१६	मंडी की नमक की खानें	४६८३
६१७	स्टील रोलिग मिलें	४६८३–८४
६१८	तम्बाकू का स्टाक	४६८४
६१९	छोटे पैमाने के उद्योग	४६८५
६२०	उद्योग और श्रम सम्बन्धी संयुक्त परामर्शदाता बोर्ड	४६८५–८६
६२१	विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर	४६८७
६२२	नटाल और ट्रांसवाल में भारतीय	४६८७
६२३	बिहार को आनुदान	४६८
६२४	अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	४६..८
६२५	संश्लेषित तल का कारखाना	४६८८–८९
६२६	भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार	४६८९–९०
६२७	आकाशवाणी	४६९०
६२८	मद्य निषेध जांच समिति	४६९१
६२९	भारत लंका करार	४५९१
६३०	हिन्दुस्तान शिपयार्ड	४६९१
६०२	निर्यात प्रत्यय प्रतिभूति योजना	४६९२–९२
अ० प्र० संख्या		
३३३	संयुक्त राष्ट्र संघ	४६९३–९४
३३४	भारतीयों को विदेशी मानोपाधियों का प्रदान	४६९४
३३५	नेपाल में हवाई अड्डे	४६९४–९५
३३६	भारतीय राजदूतावास	४६९५–९६
३३७	सूती कपड़ा	४६९६
३३८	सयुक्त राष्ट्र संघ	४६९६
३३९	टाइप राइटर	४६९७
३४०	भारतीय दूतावास	४६९७–९८
३४१	भारतीय राजदूतावास	४६९८–९९
३४२	निलोखेड़ी बस्ती	४६९९
३४३	सीमान्त की घटनायें	४६९९–४७००
३४४	ब्रिटिश सैनिक डिपो, लहरा	४७००–०१
३४५	जातिभेद की नीति	४७०१
३४६	अणुशक्ति की गवेषणा	४७०१–०२
३४७	राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना	४७०२

प्रश्नों क लिखित उत्तर—(क्रमशः)

प्र० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
३४८	कुटीर उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र	४७०२–०३
३४९	सोवियत श्रम शिविर में भारतीय	४७०३
३५०	गोआ में भारतीय बन्दी	४७०३–०४
३५१	पेनिसिलीन	४७०४
३५२	भाखड़ा नंगल का उर्वरक कारखाना	४७०५
३५३	सरकारी प्रकाशन	४७०५–०६
३५४	प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता निधि	४७०६–०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अ० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
३५५	आकाशवाणी का हलका संगीत यूनिट	४७०७–०८
३५६	महिला होस्टल	४७०८
३५७	चाय का निर्यात	४७०८–०९
३५८	सिंधु नदी जल सम्बन्धी करार	४७०९
३५९	भारत रूमानिया व्यापार करार	४७१०
३६०	इस्पात	४७१०–११
३६१	इस्पात का आयात	४७११–१२
३६१	भाखड़ा बांध	४७१२

लोक-सभा

वाद-विवाद

बुधवार,
७ दिसम्बर, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर क अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५५

(२१ नवम्बर स ९ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९५५,
(खंड ९ में अंक १ से १५ तक है)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

स्तम्भ

संख्या १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५६४३–४४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	५६४४–४७
अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक	५६४७
नदी बोर्ड विधेयक	५६४७
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	५६४८
नागरिकता विधेयक	५६४८, ५७१७
संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक	५६४८–४९
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक	५६४९
समवाय विधेयक	५६४९–५३
नागरिकता विधेयक	
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५६५४–५७१७
खंडों पर विचार—खंड २ से १९	५७१७–४६
दैनिक संक्षेपिका	५७४७

संख्या २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई की स्थिति	५७५१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५७५२
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक	५७५२
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन विधयक)—	
खंड १९	५७५२–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५७५५
समवाय विधेयक	५७५५–७३
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५७७३–५८१०
खंड २ से ५ और १	५८१०–१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५८१९–२७

	स्तम्भ
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५८२७–३२
दैनिक संक्षेपिका	५८३३–३४
संख्या ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव——	
बम्बई की स्थिति . .	५८३५–४०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——	
उनतालीसवां प्रतिवेदन . .	५८४०
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५८४०–५९१६
दैनिक संक्षेपिका	५९१७–१८
संख्या ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५	
पटल पर रखे गये पत्र . .	५९१९–२१
कार्य मंत्रणा समिति——	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन . .	५९२१
आकाशवाणी के पदाधिकारियों के बारे में विवरण	५९२१–२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	५९२२–२३
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक	५९२३–६०१०
विचार करने का प्रस्ताव	५९२३
खंडों पर विचार . .	५९८७–६०१०
खंड २ . .	५९८७–९५
खंड ३ और ४ .	५९८७–९५
खंड ५ .	५९९५–६०१०
दैनिक संक्षेपिका .	६०११–१४
संख्या ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रख गये पत्र .	६०१५–१६
कार्य मंत्रणा समिति——	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन . . .	६०१६–२१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——खंड ६ से १२	६०२२–५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन . ६०५५–५६
रेलों के पुनवर्गीकरण के बारे में संकल्प ६०५६–६१०४
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प . ६१०४–०६
दैनिक संक्षेपिका . ६१०७

संख्या ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . ६१०९
प्राक्कलन समिति के लिये निर्वाचन . ६१०९–१०
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक . . . ६११०
संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक . ६११०–१७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक . ६११७–४१
खंडों पर विचार . . ६११७
खंड १३ स २६ और १ . . ६१२९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१२९
प्रतिभूति संविदा (विनिमयन) विधेयक— . . . ६१४१–७५
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . ६१४१–४२
भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक . . . ६१७५–७९
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६१७५
खंडों पर विचार . . . ६१७७
खंड १ से ८ . . . ६१७८
पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१७८
कशाघात उत्सादन विधेयक . . ६१७८–६२०४
विचार करने का प्रस्ताव ६१७८
दैनिक संक्षेपिका . ६२०५

संख्या ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति ६२०७–०८
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६२०९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ६२०९
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ६२१०–११
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक ६२११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ६२१२

बालीसवां प्रतिवेदन

स्तम्भ

कार्य मंत्रणा समिति—

अठाइसवां प्रतिवेदन ६२१२
कशाघात उत्सादन विधेयक ६२१५—३७
विचार करने का प्रस्ताव ६२१५
खंड १ से ४ ६२३७
संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक ६२१३–१५, ६२३८–८०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव ६२३८

मनीपुर (न्यायालय) विधेयक ६२८०–८८
विचार करने का प्रस्ताव ६२८०
दैनिक संक्षेपिका ६२८९–९२

संख्या ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ६२९३–९७
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक ६२९७
बीमा (संशोधन) विधेयक ६२९७–९८
संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक पर मतदान के सम्बन्ध में प्रश्न ६२९८–६३००
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक ६३००–१२
विचार करने का प्रस्ताव ६३००
खंडों पर विचार—
खंड २ से ४६ और १ ६३११–१२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ६३१२
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक ६३१२–७२
विचार करने का प्रस्ताव ६३१२

खंडो पर विचार—

खंड २ से ४ और १ ६३५८–७२
पारित करने का प्रस्ताव ६३७२
दैनिक संक्षेपिका ६३७३–७६

संख्या ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६३७७, ६३८४

स्थगन प्रस्ताव—

अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति ६३७८–८१
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक ६३८१–८

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . . ६३८२
भाग 'ग' राज्य (विधियां) संशोधन विधेयक . . ६३८२
दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक . . ६३८३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग "ग" राज्य विधान-मंडल) संशोधन विधेयक ६३८३–८४
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में नागरिकता विधेयक . ६३८४–६४१८
विचार करने का प्रस्ताव ६३८५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति —— चालीसवां प्रतिवेदन . . . ६४१८
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक . . . ६४१९
भारतीय अन्य प्रधर्म ग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक . ६४१९–३९
विचार करने का प्रस्ताव ६४१९
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक . . . ६४२९,६२
विचार करने का प्रस्ताव ६४३९
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक . . . ६४६२
दैनिक संक्षेपिका ६४६३–६६

संख्या १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६४६७
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . ६४६७–६९
सभा का कार्य ६४६९
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ६४६९–६५५६
विचार करने का प्रस्ताव ६४६९
दैनिक संक्षेपिका ६५५७–५८

संख्या ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश ६५५९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक ६५५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ . . ६५५९
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५०–५१ . . . ६५६०
संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री तथा पुर्तगाल के विदेश मंत्री के संयुक्त वक्तव्य के बारे में वक्तव्य . . . ६५६०–६१
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ६५६१–६६५२
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६५६१
खंड २ से १० . . . ६६०३–५२
दैनिक संक्षेपिका ६६५३–५४

स्तम्भ

संख्या १२—मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६६५५–५७

नियम समिति— ६६५७

प्रथम प्रतिवेदन ६६५७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . ६६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन ६६५७–६०

सभा का कार्य

नागरिकता विधेयक . ६६६०–६७१०

खंडों पर विचार . . . ६६६०–१०

खंड ३, ५, ८, १० से १९ और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ६६१०

बीमा (संशोधन) विधेयक ६७११–४४

विचार करने का प्रस्ताव . ६७११

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . ६७४४

दैनिक संक्षेपिका ६७४५–४६

संख्या १३—बुधवार, ७ दिसम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश ६७४७–४८

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तों) तथा विविध उपबन्ध, विधेयक ६७४८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ६७४९

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . ६७४९

उनतालीसवां प्रतिवेदन . . . ६७५०–५४

सभा का कार्य ६७५४–५५

बीमा (संशोधन) विधेयक— . . ६७५५–६८२०

विचार करने का प्रस्ताव . ६७५५–६८१७

खंड २ से ६ और १ . ६८१३–१०

पारित करने का प्रस्ताव . . . ६८१७–२२

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८२०–५७

विचार करने का प्रस्ताव ६८२०–५०

दैनिक संक्षेपिका . ६८५१–५०

संख्या १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ६८५३

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक ६८५४–८८

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८८८–९९२

विचार करने के लिये प्रस्ताव ६८८२

खंड २ से ३ ६९४४-६२

दैनिक संक्षेपिका ६९६३–९४

संख्या १५, शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के बारे में घोषणा ६९६५–७०

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—मद्रास में तूफान ६९७०–७५

नियम ३२१ के विलम्बन के बारे में प्रस्ताव ६९७५–८४

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक ६९८४–८५

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक ६९८५

सभा का कार्य ६९८५–८६

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६९८६–७०१७

खंड ४ से २० और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७०१७

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक ७०१७–३५

विचार करने का प्रस्ताव ७०१८

खंड २ और १ ७०३५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७०३५

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक तथा भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक ७०३६–४९

विचार करने का प्रस्ताव ७०३६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीवां प्रतिवेदन ७०४९–५०

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प ७०५०–७०

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लियेएकसमिति की नियुक्ति करने के बारे में संकल्प ७०७०–८८

दैनिक संक्षेपिका ७०८९–९०

अनुक्रमणिका (१-४९)

लोक-सभा

बुधवार, ७ दिसम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिए भाग १)

१२.०५ म० प०

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे सदन को निम्न सूचनायें देनी हैं :-

(१) लोक सभा द्वारा २२ नवम्बर १९५५ को पारित प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक को राज्य सभा ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

(२) भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक, १९५५ के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(३) राज्य सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा, प्रतिभूतियों के सौदों को विनियमित कर क्रय-विक्रयाधिकार पर रोक लगाकर, तथा उससे संबंधित कुछ अन्य मामलों की व्यवस्था कर प्रतिभूतियों के अवांछनीय सौदों पर रोक लगाने वाले विधेयक संबंधी सदनों की संयुक्त समिति में भाग ले।

(४) राज्य सभा ने श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध विधेयक, १९५५ पारित किया है।

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध विधेयक

सचिव : श्रीमान्, मैं श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध विधेयक, १९५५, को राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखता हूं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५, की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत खाद्य और कृषि मंत्रालय के कुछ

[श्री एम० दी० कृष्णप्पा]

आदेशों संबंधी निम्न अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(१) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २२६४, दिनांक १५ अक्टूबर, १९५५।

(२) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २२१०, दिनांक ८ अक्टूबर, १९५५।

(३) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २१५४, दिनांक १ अक्टूबर, १९५५।

(४) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १७९२, दिनांक २० अगस्त, १९५५।

(५) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १७९३, दिनांक २० अगस्त, १९५५।

(६) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १४५०, दिनांक ९ जुलाई, १९५५।

(७) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १३९६, २ जुलाई, १९५५।

(८) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४०५, दिनांक ५ नवम्बर, १९५५।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस० ४३४।५५]

कार्य मंत्रणा समिति

तीसवां प्रतिवेदन

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उनतीसवां प्रतिवेदन

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा इस रूपभेद के अधीन रहते हुये कि बीमा (संशोधन) विधेयक के लिये नियत ५ घंटे के स्थान पर जैसी कि कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा आज सभा में उपस्थापित किये गये तीसवें प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है, सात घंटे रखे जायें, कार्य मंत्रणा समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : कल कार्य मंत्रणा समिति ने बीमा अधिनियम, १९३८, में संशोधन करने वाले विधेयक के लिये समय नियत करने के प्रश्न पर विचार किया था। विचार प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी और कार्य मंत्रणा समिति ने सोचा कि उसकी सिफारिश में एक संशोधन होना चाहिये और इस चर्चा के लिये दो घंटे और दिये जाने चाहियें। अतः प्रस्ताव में थोड़ा सा संशोधन होगा। मैं इसे मतदान के लिये सभा के समक्ष रखूंगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : आपका ध्यान दो बातों की ओर दिलाना चाहता हूं जो इस प्रतिवेदन से उत्पन्न होती हैं। प्रथम, प्रायः यह कहा जाता है कि सत्र में समय की कमी है। मेरा ख्याल है कि पिछले वर्ष समाचार-पत्रों में आपका यह निश्चय प्रकाशित हुआ था कि संसद् की बैठक एक वर्ष में कम से कम सात मास तक होनी चाहिये। ताकि संसद् अपना कार्य कुशलतापूर्ण निपटा सके। आजकल कार्यसूची में कार्य सम्मिलित किया जाता है, और बाद में वह कार्यसूची से हटा दिया जाता है तथा नया कार्य कार्यसूची में सम्मिलित कर दिया जाता है। और, हम नहीं जानते कि उस कार्य के बारे में भी क्या

होगा । अतः आप से प्रार्थना करता हूं कि आप इस विषय पर विचार करें कि संसद् की बैठक एक वर्ष में छः मास तक हो या सात मास तक या इससे भी अधिक समय तक ताकि संसद् अपना कार्य कुशलतापूर्वक निपटा सके ।

द्वितीय, मैं आपका ध्यान अनर्हता निवारण संशोधन विधेयक की ओर दिलाना चाहता हूं और निवेदन करता हूं आप इस बात पर ध्यान दें कि इस विधेयक पर सभा में संसद् की समिति के प्रतिवेदन की प्रतिक्रिया के बिना बहस करने को कहा जाता है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार कार्य करने से सभा के अधिकारों व विशेषाधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है । इस प्रक्रिया के अपनाये जाने का मैं घोर विरोध करता हूं कि इस समिति का प्रतिवेदन रोका जा रहा है और फिर भी विधेयक को शीघ्र निपटाने को कहा जाता है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : कार्य मंत्रणा समिति द्वारा यह निश्चय किया गया है कि बीमा संशोधन विधेयक पर बहस करने के लिये समय बढ़ाकर सात घंटे कर दिया जाये । परन्तु बहस के लिये सात घंटे पर्याप्त नहीं होंगे क्योंकि इनमें विचार प्रस्ताव ही नहीं अपितु खंडवार बहस भी सम्मिलित है और फिर एक अकेले ही सदस्य ने ११० मिनट ले लिये हैं । अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि समय और बढ़ाया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : आरम्भ में, मैं यह कहूंगा कि जो विचार प्रकट किये गये हैं उनके बारे में स्वार्थ का आरोप लगाना तथा कड़ी भाषा का प्रयोग करना कोई अच्छी बात नहीं है ।

जहां तक श्री कामत की इस बात का संबंध है कि मैंने यह विनिर्णय दिया था कि संसद् एक वर्ष में ७ मास तक बैठे, मैंने कभी सभा में ऐसा विनिर्णय नहीं दिया है । चर्चा के बीच या कभी सभा में अधिक देर तक बैठने क्या संगत या महत्वपूर्ण बातों पर ही विचार प्रकट करने का औचित्य बताते हुये, मैं ने यह कहा होगा । मेरा ख्याल है कि मैं ने यह बात सभा के सामने आने वाले कार्य को देखते हुए कही थी । सारे महत्वपूर्ण काम हम एक साथ नहीं कर सकते और हमें सारे काम को देखते हुए प्राथमिकताएं देनी चाहिएं । आज भी मैं यह महसूस करता हूं कि हो सकता है कि सभा की बैठक ७ मास तक या ८ मास तक करनी पड़े और या इस से भी अधिक समय तक । परन्तु इस के साथ ही यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि वर्ष में कुछ समय इसलिए भी छोड़ा जाये कि सदस्यगण पर्याप्त विश्राम कर सकें और फिर सभा के कार्य के लिए पुनः तैयार होकर आयें । इसके अतिरिक्त उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाने का भी अवसर मिलना चाहिए । इसका अर्थ है कि आप दो सत्रों के बीच में कुछ समय दें । आजकल सभा के विभिन्न सत्रों की कालावधियाँ, सामान्य प्रयोजन समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार होती हैं । इस बार यह निश्चय किया गया था कि इस मास की २३ तारीख सभा की बैठक की अन्तिम तारीख होगी । अवश्य ही इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल वह ही कार्य आरम्भ किया जाये जो २३ तारीख तक समाप्त हो सके । इसका अर्थ यह नहीं है कि और कोई महत्वपूर्ण कार्यवाही नहीं है । अतः प्राथमिकता देनी पड़ती है और कार्य पहिले करना चाहिए वह पहिले पहिले किया जाता है और दूसरे काम आगे के लिए स्थगित कर दिये जाते हैं ।

जहां तक संसदीय समिति के प्रतिवेदन के बिना विधेयक पर विचार करने का संबंध है, कदाचित माननीय सदस्य उस समय सभा में या तो उपस्थित न थे या ध्यान नहीं दे रहे थे जब कि समय के बटवारे के बारे मे सभा में पढ़ा गया था । जब कार्य मंत्रणा समिति के निश्चयानुसार आधे घंटे का समय दिया गया था, मैं ने सभा को स्पष्ट बताया था कि वर्तमान विधेयक का उद्देश्य केवल विधि को जारी रखना है । विशेषताओं को देखते हुए प्रतिवेदन का विधेयक से, जो अभी सभा के समक्ष है, कोई संबंध नहीं है । फिर, मैं ने

[अध्यक्ष महोदय]

बताया था कि प्रतिवेदन हाल में ही प्रस्तुत किया गया है। इस प्रतिवेदन का ध्यान रखते हुए सरकार एक नया विधेयक बनायेगी जो यथा समय प्रस्तुत किया जायेगा और उस समय निश्चय ही यह प्रतिवेदन उपलब्ध कर दिया जायेगा ।

श्री कामत : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस अधिनियम को दो वर्ष तक क्यों जारी रखना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्हें कालावधि के दो वर्ष के लिये बढ़ाये जाने पर आपत्ति है, तो वह यह आपत्ति उस समय उठा सकते हैं जबकि विधेयक विचार किये जाने के लिये प्रस्तुत किया जाये ।

तीसरी बात श्री त्रिवेदी ने उठाई थी, कि विधेयक से असम्बद्ध अनेकों बातें कही गई थीं अतः आज भी मुझे विधेयक से असम्बद्ध अनेकों बातों की अनुमति अवश्य देनी चाहिये। यदि कल कोई गलती हो गई थी तो क्या आज भी वही गलती होनी चाहिये ? इस बारे में मेरा दृढ़ विचार यह है कि आज इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । इसके अतिरिक्त, जो मैं ने सुना है उससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक व्यक्ति के व्यापार सम्बन्धी कार्यवाहियों पर विचार विमर्श करते हुए अनेकों बातें कही गई थीं। मैं समझता हूं कि सभा का प्रयोजन यह निश्चय करना है कि सरकार को कहां तक कुछ अधिकार दिये जायें। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर और समय लेना सदस्यों के लिये ठीक नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा इस रूप भेद के अधीन रहते हुए कि बीमा (संशोधन) विधेयक के लिये, नियत ५ घंटे के स्थान पर, जैसी कि कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा आज सभा में उपस्थिति किये गये तीसवें प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है सात घंटे रखे जायें, काय मंत्रणा समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभा का कार्य

श्री सी० आर० नरसिंहन (कृष्णागिरी): दो दिन हुए मैं ने मद्रास में साइक्लोन (चक्रवात) के कारण हुए विनाश की ओर ध्यान दिलाने के लिये नियम २१६ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव की पूर्व सूचना दी थी। वह विषय कब लिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाता हूं कि उनकी पूर्वसूचना, प्राप्त होते ही, माननीय गृह-कार्य मत्री को भेज दी गई थी, और मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही एक वक्तव्य देंगे ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं समझता हूं, कल तक ।

श्री बंसल (झज्जर-रेवाडी) : आजकल हम राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन का अध्ययन कर रहे हैं, परन्तु मानचित्र के बिना इसे समझाने म कठिनाई होती है। मैं समझता हूं अब नये राज्यों को बताने वाला मानचित्र तैयार हो गया है और यदि आप मानचित्र के दिये जाने के निदेश देने की कृपा करें, तो यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा ।

अध्यक्ष महोदय : लोक-सभा सचिवालय ने एक पुस्तिका तैयार की है जिसमें सिफारिशों तथा अन्य कुछ बातों का सारांश दिया गया है। और उसमें एक मानचित्र भी होगा । परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि प्रेस हमें इसकी मुद्रित प्रतियां, कितने समय में देगा। पुस्तिका तैयार होते ही सदस्यों को बांट दी जायेगी ।

श्री बंसल : इसके अतिरिक्त, मैं समझता हूं, कि गृह कार्य मंत्रालय ने एक विस्तृत मानचित्र बनाया है । यदि गृहकार्य मंत्रालय, से, वह मानचित्र सारे सदस्यों में परिचालित करने की प्रार्थना की जाये, तो उससे बड़ी सहायता मि लेगी ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसद् कार्य मंत्री यह प्रार्थना गृह-कार्य मंत्र: के पास भेज देंगे ।

डा० लंका सुन्दरम (विशाखापटनम) : प्राय: प्रत्येक राज्य विधान सभा इस प्रतिवेदन पर विचार कर चुकी है । यदि लोक सभा सचिवालय विभिन्न राज्यों के विधान मंडलों की कार्यवाहियों की प्रतियां, देखने के लिये पुस्तकालय में रखने के लिये, प्राप्त कर सकें, तो इससे हमें बहुत सहायता मिलेगी ।

अध्यक्ष महोदय : कल कार्य मंत्रणा समिति में इस बात पर विचार किया गया था । यह निर्णय किया गया कि गह-कार्य मंत्री से कार्यवाही के वृत्तान्त करने के लिये प्रार्थना की जाये । मुझे आशा है कि हमें शीघ्र ही सारी आवश्यक सामग्री प्राप्त हो जायेगी ।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम) : यदि हो सके तो सांख्यिकीय आंकड़े भी प्रदान किये जायें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ कह तो नहीं सकता कि क्या क्या प्रदान किया जायेगा, परन्तु प्रयत्न तो यही किया जायेगा कि यथा-संभव अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके ।

श्री एस० एल० द्विवेदी : (ज़िला हमीरपुर) : मेरा एक निवेदन है । १४ तारीख को २ बजे मध्यान्ह सूर्य ग्रहण है अतः सभा का समय ९ बजे प्रातः से १ बजे मध्यान्ह होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर हम बाद में विचार करेंगे ।

बीमा (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सभा निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेगी:

"कि बीमा अधिनियम १९३८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

पूर्व इसके कि मैं श्री डी० सी० शर्मा से इस पर बोलन के लिय कहूं, मैं बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक वक्ता के लिये केवल आधा घंटा निर्धारित किया गया है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि मुझ से उत्तर देने के लिये कब कहा जायेगा ; इस पर खंडशः चर्चा कब प्रारम्भ होगी और ततीय वाचन कब प्रारम्भ होगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय हमारे पास केवल चार घंट शेष हैं । चर्चा के लिय कितना समय दिया जाये ?

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : तीन घंटे ।

अध्यक्ष महोदय : तो क्या चर्चा के लिये तीन घंटे, और खंडशः चर्चा करने के लिय तथा तृतीय वाचन के लिये एक घंटा निर्धारित किया जाये ? इस प्रकार मंत्री महोदय से तीन बजने से पांच मिनट पूर्व उत्तर देने के लिये कहा जायेगा ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं कल भी यह कह रहा था कि मैं यद्यपि इस विधेयक का स्वागत करता हूं, तथापि मेरा मत यह है कि इसके द्वारा बीमा कम्पनियों की सभी त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न नहीं किया गया है । इन्हें दूर करने का एकमात्र उपचार है—राष्ट्रीयकरण । या तो इन समवायों का राष्ट्रीयकरण करो, अथवा नाश के लिये तैयार हो जाओ । अतः इनका शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्रीयकरण किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

कल श्री साधन गुप्त ने एक बीमा समवाय के प्रबन्ध निदेशक का उदाहरण प्रस्तुत किया था । बीमा अभिकर्ताओं की भी यही दशा है । उन्होंने भी बीमा कार्य को एक तमाशा बना रखा है । फिर बीमा समवायों में काम

[श्री डी० सी० शर्मा]

करने वाले कर्मचारियों की बड़ी दुर्दशा है, वे पूर्णरूपेण असन्तुष्ट हैं । उनकी नौकरी तथा वेतन आदि के लिये कोई भी नियमित नियम नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक संशोधक विधेयक है; अतः आप इसमें केवल उन्हीं बातों की चर्चा कीजिये जो संगत हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : तो मैं बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कह रहा था कि प्रस्तुत संशोधक विधेयक कोई अधिक लाभकारी नहीं है ।

सन्था के अन्तर्नियमों के अनुचित लाभ उठाये जाने का वास्तविक कारण यही है कि इन की जांच करने वाला कोई नहीं है । फिर बीमा-अंशों को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध म बड़ी अव्यवस्था है । कल श्री फीरोज़ गांधी लाहोर विद्युत् संभरण समवाय का उल्लेख करना भूल गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय हम बीमा (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जो कि प्रशासक को कुछ एक और अधिक अधिकार देना चाहता है । अतः सदस्य महोदय अपने को यहीं तक सीमित रखें ।

श्री डी० सी० शर्मा : यदि हम प्रशासक को और अधिक अधिकार देने वाली बात पर विचार करें तो मैं यह कहूंगा कि यह संशोधन विधेयक अधिक लाभकारी नहीं है । अतः इस विधेयक के द्वारा त्रुटियां बहुत कम सीमा तक दूर होंगी ।

श्री तुलसी दास : मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं । हमें आशा करनी चाहिये कि इसके द्वारा वे सभी त्रुटियां दूर हो जायेगी जिनके बारे में हम सुनते आये हैं । परन्तु इसम मझे कुछ सन्देह है । यह इसलिये कि वर्तमान बीमा अधिनियम के द्वारा भी सरकार के पास पर्याप्त अधिकार हैं, फिर भी सरकार कुछ कर नहीं पाती ।

मैं जानता हूं कि कई अवांछनीय घटनाओं के कारण ही सरकार बीमा अधिनियम को संशोधित करने वाले इस विधेयक को प्रस्तुत करने पर विवश हुई है । परन्तु आप देखेंगे कि इस विधेयक के द्वारा सरकार असाधारण अधिकार प्राप्त कर रही है ।

फिर भी मैं इस विधेयक के विरुद्ध नहीं हूं । मैं इसका स्वागत करता हूं । मैं तो केवल यही चाहता हूं कि इन अधिकारों के द्वारा सरकार इस बात का प्रयत्न करे कि बीमा-उद्योग खूब उन्नति करे । बीमा-उद्योग की उन्नति में ही समाज के प्रत्येक वर्ग की उन्नति निहित है ।

उन व्यक्तियों के प्रति मेरी कोई सहानुभूति नहीं है जिन्होंने कोई भी समाज-विरोधी कार्य किया है । ऐसे व्यक्तियों को खूब दण्ड मिलना चाहिये । परन्तु यहां पर मैं सरकार को सचेत कर देना चाहता हूं कि हम सरकार को जो अधिकार दे रहे हैं वह उनका सदैव उचित उपयोग करे, इनका अनुचित लाभ न उठायें ।

कुछ एक सदस्यों का यह सुझाव था कि सारे के सारे बीमा-उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये । तो क्या इसका अर्थ यह है कि बीमा-उद्योग में बुरे व्यक्तियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ? सरकारी विभागों में भी तो गबन के मामले सुनने में आते हैं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि सारी सरकार ही बुरी है ? अतः केवल कुछ एक बुरे लोगों के उदाहरण दे कर सारे के सारे उद्योग को लांछित कर देना उचित नहीं है । यह उद्योग गत २० वर्षों से देश की सेवा कर रहा है । ऐसी कई बीमा कम्पनियां हैं जिनकी ख्याति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई हैं । अतः सारे के सारे उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना कदापि उचित नहीं है । बीमा-उद्योग ने वास्तव में जनता की बड़ी सेवा की है । 'इंशोरेन्स फोरम' नामक पत्रिका में यह बताया

गया है कि भारत में १९५२ में समाप्त होने वाली दस वर्ष की अवधि में बीमा-समवायों द्वारा किये गये बीमों में डाक विभागीय बीमों की तुलना में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : गैर-सरकारी क्षेत्र में तो हर कोई व्यक्ति बीमा करा सकता है, परन्तु डाक विभागीय जीवन बीमा तो केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित है। अतः दोनों की तुलना कैसी ?

श्री तुलसी दास : मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके सरकारी कर्मचारी भी डाक विभागीय जीवन बीमा न करा कर हमारे बीमा समवायों द्वारा ही बीमा कराते हैं।

श्री मोहनलाल सक्सेना (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी) : सदस्य महोदय जो कुछ कह रहे हैं, वह विधेयक की दृष्टि से संगत कैसे है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह इस बात पर बल दे रहे हैं कि हमें राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर किस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये।

श्री फीरोज गांधी : इस विधेयक को प्रस्तुत करने का वास्तविक कारण यह था कि कुछ एक बीमा-समवायों में गबन के मामले हो गये थे। अतः चर्चा के दौरान में यह बताना, कि वह रुपया कैसे गबन किया गया था, असंगत कैसे हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कल तो कई बातें कहते गये थे, और मैंने रोका नहीं था। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि आज भी आप वसी ही बातें कहते जायें। मैंने यह नहीं कहा कि प्रशासक की आवश्यकता के पक्ष में कोई उदाहरण न दिये जायें परन्तु उदाहरणों की भी कोई सीमा होनी चाहिये। श्री डी० सी० शर्मा ने यह कहा था कि इस सम्बन्ध में वह एक उदाहरण दे सकते हैं और यह है कि इस विधेयक के द्वारा सरकार को दिये गये अधिकार पर्याप्त नहीं हैं। अतः इस सारे के सारे उद्योग पर सरकार का अधिकार होना चाहिये। सामान्य कर्मचारी भविष्य निधि की चर्चा करना वर्तमान विधेयक के क्षेत्र से बाहर की बात होगी। सुधार कैसे हो सकता है इस सम्बन्ध में एक या दो उदाहरण दिए जा सकते हैं। यद्यपि सामान्य राष्ट्रीयकरण इस समय मुख्य विषय नहीं है, तथापि प्रासंगिक रूप से यह प्रश्न भी उत्पन्न होता है। अध्यक्ष महोदय ने भी यह कहा था कि माननीय सदस्य ने बहुत समय लिया है और इस विषय के सम्बन्ध में कई दूसरी बातें कही गई हैं।

श्री फीरोज गांधी : आपने जो कुछ कहा उसे सुन कर मैं आप से क्षमा याचना करना चाहता हूं।

श्री तुलसीदास : मैंने उद्योग की सफलताओं के विषय में काफी कुछ बताया है। मैं माननीय मंत्री से भी यह जानना चाहूंगा कि 'एम्पायर आफ इन्डिया' और 'जूपिटर जनरल, कम्पिनियों ने, जिनके लिए प्रशासक नियुक्त किये गए थे और जिनका कार्य प्रबन्ध प्रशासकों द्वारा किया जा रहा है, क्या प्रगति की है। दूसरे व्यक्तियों द्वारा जिन कम्पनियों का प्रबन्ध चलाया जाता है उनकी तुलना में इन कम्पनियों ने क्या प्रगति की है ?

बीमा उद्योग में जो कदाचार होते हैं हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या कदाचार इन कम्पनियों में नहीं होते। मैं स्वयं यह अनुभव करता हूं कि प्रयत्न यह होना चाहिये कि जिन बातों को समाज विरोधी और कदाचार समझा जाता है लोगों को उन्हें करने का अवसर ही न मिले। इंगलैण्ड में इस सम्बन्ध में विधि में अथवा इस विशेष अधिनियम के प्रशासन में कोई कठोरता नहीं है, और यदि इस कठोरता को कम कर दिया जाए तो इन कदाचारों का क्षेत्र सीमित हो जाता है और अधिक स्वतंत्र उद्यम

[श्री तुलसी दास]

होता है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या इन दो कम्पनियों में जिनका प्रबन्ध प्रशासक के अधीन है वही कदाचार नहीं हैं जो कि दूसरी कम्पनियों में पाये जाते हैं।

श्री एम० सी० शाह : कौन से तरीके ?

श्री तुलसीदास : माननीय वित्त मंत्री उन्हें भली भांति जानते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह अनुभव करता हूं कि जब इस विधेयक का उद्देश्य प्रशासक को और सत्ता देकर उसके हाथ मजबूत करना है तो सदन के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि प्रशासक अपने कार्य में असफल कैसे रहा है, और यदि ऐसा है, तो क्या प्रशासक को और अधिकार दिए जाने चाहियें या नहीं। यदि माननीय सदस्य यह बताना चाहते हैं कि प्रशासक के अधीन कोई प्रगति नहीं हुई है और सरकार को अपने हाथों में और अधिक सत्ता संभालनी चाहिये अथवा प्रशासक की योग्यताएं इस-इस प्रकार की होनी चाहियें, इत्यादि, तो यह बातें विधेयक से सम्बन्धित हैं। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या यह अधिकार आवश्यक है या नहीं। सम्भवत: इन अधिकारों के न होने से प्रशासक कार्य प्रबन्ध उचित रूप से न चला सका हो ।

श्री एल० एन० मिश्र : जब से ये दो कम्पनियां प्रशासक के अधीन आई हैं, तब से क्या उनके कार्य-प्रबन्ध में कोई सुधार नहीं हुआ है ?

श्री तुलसीदास : यही बात मैं माननीय मंत्री से पूछ रहा हूं कि दूसरी कम्पनियों की तुलना में जूपिटर या एम्पायर आफ इण्डिया कम्पनियों ने क्या प्रगति की है । क्या इनमें कदाचारों में किसी प्रकार की कमी हुई है, या नहीं ।

श्री एम० सी० शाह : क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय सदस्य विधेयक का विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं ?

श्री तुलसीदास : मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह विधेयक का स्वागत करते हैं और यह कहते हैं कि प्रशासक का प्रशासन अच्छा नहीं है तो वह सुझाव क्या देते हैं ? प्रशासक के प्रशासन काल में क्या त्रुटियां दिखाई दी हैं वह इन के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह रहे। प्रशासन में मुख्य दोष क्या हैं ?

श्री बंसीलाल (जयपुर) : हमें उन कुछ तथ्यों का ज्ञान नहीं है जो सदन के सामने नहीं आए हैं। सर्वप्रथम इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय करना होगा कि क्या बीमा कम्पनियों के आन्तरिक कार्य संचालन के सम्बन्ध में कोई चर्चा नियमित है अथवा नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्राय: हम जब किसी विशेष विषय पर वाद-विवाद करते हैं तो हम उस पर अमूर्त रूप में विचार नहीं करते अथवा अमर्त रूप में उपबंध नहीं बनाते। यह विधेयक सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है क्योंकि उसने गैरसरकारी कम्पनियों में कुछ त्रुटियां देखी थीं इस कारण सरकार इन दोषों का अन्त करना चाहती है । इस सम्बन्ध में एक उपाय अथवा एक ढंग उन्होंने प्रशासक नियुक्त किये जाने का सोचा और दो कम्पनियों के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया गया । अब सरकार यह अनुभव करती है कि जहां तक इन कम्पनियों का सम्बन्ध है प्रशासक को सम्पत्ति की कुर्की के लिए कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होने चाहियें ताकि सम्पत्ति का शीघ्र ही व्ययन न हो सके और अन्त में यदि यह मालूम हो जाए कि गबन हुआ था तो रकम डूब न जाए। अब हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं तो इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए कि इस विधान में अधिक सुधार कैसे हो सकता है, प्रमाणीकृत प्रशासन प्रतिवेदन, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, सरकारी जांचों अथवा न्यायालयों के कुछ आदेशों आदि की चर्चा की जा सकती है। यदि किसी माननीय सदस्य का कुछ निजी ज्ञान इस विषय में है तो वह उसे भी बता सकता

है। परन्तु शेष सभी सुनी सुनाई बातें असंगत होंगी। हम यहां किसी पर दोषारोपण के लिए नहीं हैं परन्तु प्रशासक की सत्ता और प्रशासक की आवश्यकता आदि बातों के विषय में कोई भी जानकारी संगतियुक्त होगी।

श्री तुलसीदास : इस विधेयक को जब प्रस्तुत किया गया है तो इस सम्बन्ध में यह समझना भी आवश्यक होगा कि इस विशेष अधिनियम का प्रशासन किस रूप से होगा। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस अधिनियम के प्रशासन में बहुत ही चौकसी होनी चाहिये। मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार एक ओर तो इस अत्यधिक शिथलता से और दूसरी ओर इसमें जो अधिकार दिए गए हैं उनकी कठोरता से स्वयं को दूर रखेगी। परन्तु प्रायः होता यह है कि जिन व्यक्तियों को वास्तव में पकड़ना होता है वे पकड़े नहीं जाते। प्रशासन उन व्यक्तियों के साथ कठोरता बरतता है जो कानून को न समझते हों जो कहीं पर कुछ लापरवाही कर जायं। सरकार को विशेषतः ऐसे मामलों में चौकसी रखनी चाहियें जहां बहुत बड़ी राशियों का प्रश्न हो और नियन्त्रण इस प्रकार का होना चाहिये कि जहां कहीं बुरी बात हो उसे शीघ्र ही वहीं रोक दिया जाए। मैं यह अनुभव करता हूं कि इन अधिकारों के साथ प्रशासक किसी भी बुरी बात को रोक सकेगा। इसके साथ ही जब हम यह विशेष अधिकार दे रहे हैं तो इन्हें प्रत्येक को दण्ड देने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिये। क्योंकि कुछ ऐसी भी त्रुटियां हो सकती हैं जिनके पीछे कोई विशेष उद्देश्य न हो। ऐसी स्थिति में कठोरता की अपेक्षा कुछ नर्मी बरतनी होगी। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री कृपया इस बात को ध्यान में रखें। मेरा दृष्टिकोण यह है कि राष्ट्रीयकरण इस बुराई को रोकने का एक उपाय नहीं है, बल्कि वह उद्योग और देश के हितों के विरुद्ध जाना होगा। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री इस बात पर विचार करें कि क्या उनसे सदन को यह जानना उचित न होगा कि बीमा नियंत्रक भविष्य में इन अधिकारों का प्रयोग कैसे करेगा। मैं यह चाहूंगा कि प्रतिवर्ष किसी प्रकार का प्रतिवेदन इस सदन को दिया जाए ताकि हमें मालूम हो सके कि सरकार अधिकारों का प्रयोग कैसे करती है, क्या नियंत्रक उन सदाचारों को रोकने में सफल हो सका है या नहीं, इत्यादि।

श्री एन० सी० चटर्जी : बीमा कम्पनियों पर सरकारी नियंत्रण अथवा संसदीय नियंत्रण ऐसी बात नहीं है जो दूसरे देशों में न हो और कई बार यह बहुत ही आवश्यक है। इंगलेंड में दो कम्पनियों की असफलता के पश्चात् संसद् ने हस्तक्षप किया था। आप को याद होगा यदि इस देश में गैरसरकारी क्षेत्र बिलकुल ही परिपूर्णहोता तो बीमा अधिनियम में संशोधन करने की कोई आवश्यकता ही न होती।

उपाध्यक्ष महोदय : अब नीति में परिवर्तन हो चुका है और प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर संभालने योग्य होना चाहिये बजाय इसके कि पड़ौसी आ कर यह कहे कि तुम अपने घर का उचित प्रबन्ध नहीं करते इस कारण में तुम्हारे घर का प्रबन्ध करूंगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम स्वयं करने का अधिकार है और राष्ट्र और समुदाय को मुख्यतः उसकी हानि या लाभ उठाना होता है, अब समुदाय जागरूक है और वह यह कहता है "आओ हम मिल जुल कर अपने कामों को संभालें और जहां कहीं हम देखेंगे कि यह सम्भव नहीं है वहां हम दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे। दूसरे व्यक्ति को यह मत कहने दो कि 'तुमने अपने घर का प्रबन्ध ठीक ढंग से नहीं चलाया इस लिये मैं इसका प्रबन्ध संभालूंगा।" अब यह नीति अपनाई जा रही है।

श्री तुलसीदास : दोनों नीतियों में जन साधारण को अवश्य ही लाभ होना चाहिये। जब तक उसे लाभ होता है नीति ठीक है।

श्री एन० सी० चटर्जी : जीवन-बीमा-व्यापार या बीमा व्यापार ने समुदाय सम्पूर्ण राष्ट्र की महान् सेवा की है। इसके

[श्री एन० सी० चटर्जी]

साथ ही हमें यह भी देखना चाहिये कि सभी त्रुटियों को अच्छी तरह से दूर कर दिया गया है, हमें सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न शक्ति होते हुए भी किसी व्यक्ति विशेष के सारे जीवन का इस कारण तिरस्कार नहीं करना चाहिये कि उस पर कोई अपराध करने का संदेह है।

श्री एल० एन० मिश्र : परन्तु, यदि समुदाय के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता हो तो ?

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं एक नियम के सम्बन्ध में जानता हूं कि हमें किसी ऐसी बात की चर्चा नहीं करनी चाहिये जिसका निर्णय किसी न्यायालय द्वारा अभी किया जाना है। अर्थात् जो न्यायाधीन हो। मैं यह कठिनाई अनुभव कर रहा हूं कि सम्भवत : आप संविधान की सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, विधि में कुछ परिवर्तन करने के लिये किसी व्यक्ति विशेष के दुर्भाग्य पर हंसने अथवा परिवर्तनों के औचित्य पर बल देने के उदेश्य से उसके सारे जीवन को कुरेदने का कोई प्रयत्न नहीं होना चाहिये।

इस विधेयक के सम्बन्ध में यदि आप इसके खण्ड २ को देखें तो इसमें एक नई धारा जोड़ी जा रही है जिसके अनुसार यह होगा कि किसी कार्यपालक अधिकारी की इच्छा पर यह निर्भर होगा कि वह किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति को किसी के नाम करने या उसे किसी और प्रकार से निबटाने से रोक दे चाहे वह व्यक्ति उस बीमा कम्पनी का सदस्य अथवा कर्मचारी कदापि न हो। उच्चतम न्यायालय के हाल के एक निर्णय के अनुसार यदि आप ऐसी किसी बात को पूरी तरह कार्यपालिका की इच्छा के अधीन छोड़ते हैं तब उसके अविधिवत् होने की सम्भावना हैं।

अब मैं एक और बात की ओर संकेत करता हूं। यदि आप विधेयक के पृष्ठ १० पर प्रकाशित धारा १०६ को देखें और इस विधेयक के खण्ड २ के अधीन धारा ५२ ख ख को देखें तो आप को स्पष्ट हो जायेगा कि प्रशासक को अत्यधिक अधिकार दिये जा रहे हैं, इस का अर्थ यह होगा कि निदेशक, संचालक, परिसमापक पदाधिकारी अथवा आरोपक का कोई भी पदाधिकारी कुछ ऐसी बात करे जो धारा १०६ के अधीन आती हो, तब प्रशासक न केवल उसकी सम्पत्ति बल्कि किसी और व्यक्ति की सम्पत्ति के जब्त किये जाने का ही नहीं बल्कि निषेध ज्ञापन का भी आदेश दे सकता है। मेरे कहने का आशय यह है कि आप कार्यपालिका के निर्णय के अधीन इस बात को छोड़ते हैं और न्यायालय में अपील करने की अनुमति नहीं देते। जब कि एक ऐसे ही मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि व्यक्ति को विधि-न्यायालय में जाने का अधिकार दिये बिना इस प्रकार के अधिकार कार्यपालिका को प्राप्त होना उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय। परन्तु तीन महीने भीतर अपील की जा सकती है।

श्री एन० सी० चटर्जी : वह अपील कार्य-पालिका स कार्यपालिका को होती है, वहां न्यायपालिका तक पहुंच नहीं होती। जैसा कि उपधारा (३) से स्पष्ट है जिस व्यक्ति की सम्पत्ति कुर्क की गई हो वह कार्यवाही नहीं करेगा अपितु केवल धारा १०६ के अधीन कार्यवाही की जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि क, ख अथवा ग व्यक्ति जिनकी सम्पत्तियों की कुर्की की गई है और जो बीमा कम्पनी के संचालक, प्रबन्धक अथवा परिसमापक पदाधिकारी नहीं हैं वह धारा १०६ के अधीन कार्यवाही नहीं कर सकते। उन्हें न्यायालय में जा कर यह कहने का अधिकार भी नहीं है कि उनके विरुद्ध आदेश जारी नहीं किये जाने चाहिये थे और उन्हें छोड़ दिया जाए। इस कारण मैं चाहता हूं कि यह अधिकार दिया जाना चाहिये और इस कमी को दूर किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्रत्यक्ष रूप में नहीं अपितु परोक्ष रूप में सम्पत्ति से सम्बन्धित है उसके लिए इस विधेयक में व्यवस्था नहीं की गई है । इसलिए मामला न्यायालय के सामने ले जाने के लिए उसे कुछ अवसर दिया जाना चाहिये ।

श्री एन० सी० चटर्जी: जी हां, साधारणतः यदि मैं मलकियत के पटे प्रस्तुत कर दूं और यदि वे मेरे नाम में हों तो कलकत्ता उच्च न्यायालय और प्रायः दूसरे उच्चन्यायालयों ने यही दृष्टिकोण अपनाया है कि वे कुर्की का आदेश रद्द कर देते हैं और तब डिग्रीदार को न्यायालय में जाकर अपना मत उसके विरुद्ध प्रगट करना होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए न केवल उन व्यक्तियों को जो प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं बल्कि दूसरे व्यक्तियों को भी जिनकी सम्पत्तियों की कुर्की की गई हो, सम्मलित करने के लिए धारा १०६ को बढ़ाया जाना चाहिये ।

जब किसी दूसरे व्यक्ति की संम्पत्ति जब्त की जाय और कोई दूसरा व्यक्ति जो प्रत्यक्ष से उससे संबंधित न हो, न्यायालयों से क्षतिपूर्ति मांगता हो, तब उस शक्ति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री एम० सी० शाह : हमने पहले ही व्यवस्था की है कि प्रशासक को न्यायालय के पास निवेदन करना होगा और तब न्यायालय अपना निर्णय देगा । यही बात धारा १०६ में है । यदि तीन महीने के अंदर यह नहीं किया जाता, तो कुर्की का आदेश समाप्त हो जाता है । उच्च न्यायालय में सभी पक्षों की सुनवाई होती है और वह यदि इस निर्णय पर पहुंचे कि यह कुर्की जारी रहनी चाहिये, तब वह जारी रहती है, अन्यथा नहीं । वास्तव में हमने उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस विषय को नहीं समझ रहे हैं । धारा १०६ के अधीन, बीमा कंपनी के किसी भी सदस्य को तीन महीने की अवधि के अन्दर न्यायालय से सहायता मांगने का अवसर दिया जाता है । पीड़ित पक्ष के व्यक्ति को वह अधिकार नहीं दिया जाता । यदि ऐसा कोई तीसरा व्यक्ति हो जिसका कोई संबंध न हो, तो इस धारणा से कि वह संपत्ति भी बीमा कराने वाले की है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी । उस व्यक्ति के लिये कोई प्रतिकार नहीं है । उसे तीन महीने तक प्रतीक्षा करनी ही होगी । उसमें अन्तर क्यों रहे ?

श्री एन० सी० चटर्जी : धारा ५२ ख ख के अधीन प्रशासक को एक पक्षीय सूचना पर काम करना होगा और वह उसे दी गयी सूचना पर मनमाने ढंग से काम कर सकता है । आप उसे न्यायालय के पास आवेदन करने की साधारण शक्ति क्यों नहीं देते ? खंड १९ के अधीन किसी व्यक्ति को व्यापार करने, कोई संपत्ति बेचने आदि के लिये उसे कुछ मूलभूत अधिकारों की गारंटी दी गयी है । यदि आप उस पर निर्बन्धन रखना चाहते हों, तो वे उचित निर्बन्धन होने चाहिये । जस्टिस महाजन ने उस मामले में कहा है कि उसके तुरन्त बाद यदि न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं दी जाती तो वह किसी भी हालत में उचित निर्बन्धन नहीं हो सकता । उसी प्रकार कोयला नियंत्रण मामला, १९५४ उच्चतम न्यायालय, पृष्ठ २२४ में यह निर्णय दिया गया है कि यदि किसी राजकीय पदाधिकारी को कोई आदेश देने की अनियंत्रित शक्ति दी गयी हो जबकि दूसरे पक्ष को विधि न्यायालय में जाने का साधारण अधिकार भी न दिया गया हो, तो वह संविधान का उल्लंघन है । अतः खंड ६ में यह व्यवस्था की गयी है कि आप केवल उचित निर्बन्धन ही लगा सकते हैं ।

एक और बात है । प्रशासक साधारणतया तीन महीने की अवधि के अन्दर न्यायालय से आवेदन करेगा । किन्तु आपको अनुभव

[श्री एन० सी० चटर्जी]

होगा कि अपकरण मामले सालों तक न्यायालयों में पड़े रहते हैं। इस कारण उस व्यक्ति को जो सरकारी परिसमापक पदाधिकारी, या किसी कंपनी का प्रबंधक या निर्देशक न हो, असुविधा पहुंचाना या परेशान करना ठीक नहीं होगा : मैं बता सकता हूं कि बेला बैनर्जी के मामले में डा० राय की पश्चिमी बंगाल सरकार ने एक विशिष्ट विधेयक में ठीक इसी तरह का उपबन्ध रखा और वह चीज कलकत्ता उच्च न्यायालय के सामने आने पर मुख्य न्यायाधिपति ने यह निर्णय दिया कि आप इस प्रकार का खण्ड नहीं रख सकते और तब बंगाल सरकार बहुत चिन्तित हुई । वह अधिनियम पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने के लिये पुरःस्थापित किया गया था जिसमें कहा गया था कि संपत्ति सरकार द्वारा अर्जित की जाने पर प्रतिकर विभाजन पूर्व मूल्य के आधार पर दिया जायेगा । उसे अवैध घोषित किया गया । वहां इसी तरह की एक ऐसी धारा थी कि सरकारी आदेश की उपयुक्तता का प्रश्न उठाने वाला कोई वाद या कोई वैध कार्यवाही स्वीकार नहीं की जायेगी । इस मुख्य न्यायाधिपति ने यह निर्णय दिया कि उस से संविधान का उल्लंघन होता है और इस लिये ऐसा खंड नहीं रखा जा सकता । महान्यायवादी और मैं ने उच्चतम न्यायालय को यह समझाने का प्रयत्न किया कि कलकत्ता न्यायालय गलत था । किन्तु मुख्य न्यायाधिपति पातंजलि शास्त्री ने १९५४ उच्चतम न्यायालय १७०० में यह निर्णय दिया कि वह बहुत उचित तर्क है । इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के निर्णय का समर्थन किया है कि यह धारा संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि इस से एक नागरिकता का विधि न्यायालय में जाने का मूलभूत अधिकार छीन लिया जाता है । यदि अनुच्छेद २२६ अथवा ३२ का, जिन के द्वारा उसे उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार प्राप्त है, इस प्रकार स्पष्ट उल्लंघ न हो, तो ऐसे मूलभूत अधिकार से लाभ ही क्या है ? अतः मैं अपने माननीय मित्र से इस पर विचार करने के लिये कहूंगा ।

आगे पृष्ठ ३, उपखंड १० में कहा गया है कि कोई न्यायालय ऐसी कोई डिग्री या आज्ञप्ति या अन्य कोई आदेश जारी नहीं करेगा जिस से ऐसे किसी आदेश पर शून्यीकरण का या और कोई प्रभाव पड़े । अर्थात् भारत के उच्च न्यायालयों या अन्य न्यायालयों से प्रशासक का आदेश या निर्णय करने या उस में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की शक्ति ले ली गई है । इस प्रकार भारत के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया है । मेरा निवेदन है कि इस की आज्ञा नहीं है । यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सभा को विचार करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सारा विषय विधि तथा प्रक्रिया के प्रश्नों से सम्बद्ध है । अतः मेरा यह सुझाव है कि यदि एक या दूसरे कोई विधि मंत्री यहां होते तो उस से सभा को और मंत्री को बड़ी सहायता मिलती । यहां विधि की बातें उपस्थित हो जाने पर सभा यह जानना चाहेगी कि वास्तव में आपत्तिजनक हैं या नहीं ।

श्री एम० सी० शाह : मेरे माननीय मित्र श्री एन० सी० चटर्जी द्वारा कही गई इन सभी बातों के बारे में हम ने पहले ही महान्यायवादी से परामर्श कर लिया है । अध्यादेश जारी करने के पूर्व ये सभी बातें हमारे सामने थीं और महान्यायवादी का यह दृढ़पन था कि ये सभी बातें संविधान के विरुद्ध नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने गलत समझा है । किसी का यह कहना नहीं है कि विधेयक पुरःस्थापित करने के पूर्व

उपयुक्त व्यक्तियों से परामर्श नहीं लिया गया है। बात यह है कि सभा जानना चाहती है कि उठायी गयी आपत्तियों का समाधान किस प्रकार किया जा रहा है ? सभा किसी विधि विशेषज्ञ से जानना चाहती है कि वास्तविक स्थिति क्या है ? यदि माननीय मंत्री स्वतः वकील हों तो वे इन सभी बातों का उत्तर दे सकते हैं। मुझे उसमें कोई आपत्ति न होगी। अतः मैं माननीय विधि मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे उपस्थित रहें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं नहीं समझता कि जब कोई व्यक्ति यहां उपस्थित न हो तब हम उसके कृत्यों अथवा कुकृत्यों पर किस प्रकार विवेचन कर सकते हैं जब कि ये विषय इस विशिष्ट विधेयक से बिलकुल संबंधित नहीं हैं। इस विधेयक से संगत केवल एक ही बात यह है कि भारत बीमा कम्पनी की कुछ प्रतिभूतियां गुम हो गयी हैं और ऐसे मामलों में, निषेधात्मक आदेशों द्वारा प्रशासक को उन्हें प्राप्त करने का अधिकार दिया जा रहा है। आपने स्वतः कई बार पूछा है कि इस सौदे में और उसमें परस्पर क्या संबंध है और अभी तक कोई परस्पर संबंध नहीं मिल पाया। मैं ऐसी कोई बात न कहने का प्रयत्न करूंगा जिससे किसी माननीय सदस्य की भावनाओं पर सन्देह प्रकट हो। किन्तु मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन माननीय सदस्य को इन विषयों की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। यदि उन्होंने यह कहा होता कि यह जानकारी उन्हें अमुक अमुक व्यक्ति से प्राप्त हुई है, तो हमें अधिक समाधान हुआ होता।

कुछ ऐसी बातें हैं जो सारे भारत में फैल चुकी हैं और उस समुदाय के कुछ व्यक्तियों की बुराई भी हुई है और उन्हें उसका उत्तर देने का कोई अवसर नहीं मिला है। हम लोगों में से कुछ जानते हैं कि कुछ ऐसे आरोप हैं जो सर्वथा गलत और निराधार हैं। मैं यहां उन आरोपों का उत्तर नहीं दे रहा हूं। कल जिन विषयों का उल्लेख किया गया था उनमें से कुछ न्यायाधीन हैं। उन सभी विषयों के बारे में, अभियुक्त या उन मामलों से संबंधित व्यक्तियों के व्यवहार के बारे में यहां चर्चा चलायी गयी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य उसी समय मुझे और सभा के सामने यह बता देते कि कौन कौन बातें न्यायाधीन हैं, तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि आप जानते कि वह न्यायाधीन है तो मैं जानता हूं कि आपने उसके लिये अनुमति न दी होती। यदि माननीय सदस्य को यह मालूम होता कि वह विषय न्यायाधीन है, तो उन्होंने स्वतः उसका निर्देश न किया होता।

श्री भागवत झा आज़ाद : चूंकि वित्त-मंत्री ने ही सभा में उन विषयों का निर्देश किया था, अतः न्यायाधीन विषय का कोई प्रश्न नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय । जब कोई विषय न्यायाधीन होता है, तब किसी माननीय सदस्य को उसका निर्देश नहीं करना चाहिये, अन्यथा न्यायालय के निर्णय में बाधा पहुंचेगी। यदि किसी माननीय सदस्य ने ऐसे विषय का निर्देश किया हो तो उस समय आपत्ति करना चाहिये था। बाद में चलकर यदि यह मालूम हो कि वह न्यायाधीन विषय है, तो उसका निर्देश केवल इसलिये नहीं किया जाना चाहिये कि पहले उसका निर्देश हो चुका है। अतः अब यह कहना कि वह न्यायाधीन है निरर्थक है।

श्री टी० एन० सिंह (जिला बनारस—पूर्व) : इस विधेयक में विभिन्न समवायों के वित्तों के अन्तर्मिश्रण का विवेचन किया गया है। उस विवेचन के समय उन विभिन्न समवायों के नाम लेने होंगे जिनके वित्तों का अन्तर्मिश्रण किया जा सकता है। हमारे एक साथी का कहना है कि उनके नामों का उल्लेख करना न्यायालय की मानहानि होगी। अन्यथा हम विधेयक पर विचार भी नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई व्यक्ति जानता है कि वित्त अन्तर्मिश्रित है या जब न्यायालय का निर्णय हो या किसी व्यक्ति को कुछ व्यक्तिगत जानकारी हो, तब यह विषय सभा के समक्ष लाया जा सकता है। जब एक बार न्यायालय इस बात को मान ले कि अन्तर्मिश्रण हुआ है या गबन हुआ है तो उन आरोपों के हद तक, सरकार ऐसी बातों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये एक विधेयक सामने रख सकती है। इसी कारण यह विधेयक सामने रखा गया है।

श्री सी० के० नायर (बाहम दिल्ली) : जो मामला न्यायालय में लंबित है, वह भारत बीमा कम्पनी में सरकारी प्रतिभूतियों के गबन के बारे में है और माननीय सदस्य ने कल उसका कोई निर्देश नहीं किया था। अतः यहां न्यायाधीन मामलों का निर्देश करने का कोई प्रश्न नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह कहने से कोई लाभ नहीं कि अनेक विषय न्यायाधीन हैं और उनका निर्देशन नहीं किया जाना चाहिये था। यदि पुनः कोई सदस्य उनका निर्देश करे और उनकी यह धारणा हो कि वह न्यायालय से लंबित है तो वे उसे उठा सकते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कल जो कुछ कहा गया था उसका उत्तर मैं नहीं दे रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा था मैं किसी व्यक्ति के पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा हूं किन्तु साथ ही मैं इस बात के लिये चिंतित हूं कि इस सभा का उपयोग किसी प्रचार या किसी व्यक्ति अथवा वर्ग की निन्दा के लिये न किया जाय।

श्री मात्तन : उन्हें प्रचार (प्रोपेगैंडा) शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे इस बात की कोई चिन्ता नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में लोग क्या कहते हैं जिसे कुछ बताया गया है। मैं यह छिपाना नहीं चाहता कि दिल्ली के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चलने वाले इस मामले के बारे में मुझे वकील के रूप में कुछ बातें बतायी गयी हैं। मैं श्री डालमिया जी का वकील जरूर हूं पर न तो मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं न निन्दा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये और किसी प्रकार का प्रचार भी नहीं करना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : श्री डालमिया के जीवन से मेरा कोई संबंध नहीं है। उसके बारे में लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। प्रचार शब्द का प्रयोग मैंने उस विचार से नहीं किया था। यदि उस शब्द से किसी को चोट पहुंची हो तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं था। मैं सभा में बहुत समय से हूं पर कभी भी किसी भी मामले में किसी व्यक्ति का नाम चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या गैर-सरकारी व्यक्ति, नहीं लिया जाता जैसा कि इस मामले में किया गया। इससे इस मामले के बारे में न्यायालय पर भी प्रभाव पड़ सकता है। कुछ बातें ऐसी कही गयी हैं जो सत्य नहीं हैं जैसे डालमिया जैन एयरवेज के पास कोई जहाज नहीं थे। बहुत सी बातों के संबंध में कुछ ऐसी बातें भी कही गयीं हैं जो डालमिया के ही विरुद्ध नहीं हैं बल्कि माननीय वित्तमंत्री के विरुद्ध भी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कल सभा में एक लम्बी कहानी सुनाई गयी थी और लोगों ने बड़े ध्यान से सुना था। सभा के सदस्यों को यदि सारी बातें क्रमिकरूप से बताई जायें तो वे एक निष्कर्ष निकाल लेंगे। पर इसमें यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि अमुक माननीय सदस्य ने जो बातें बताई हैं उनमें अमुक अमुक बातें गलत हैं। जो बातें कही जा चुकी हैं उनको जाने दीजिये। हमें धैर्य के साथ माननीय सदस्य की बात सुननी चाहिये।

श्री के० के० बसु (डायमंडहार्बर) : पंडित ठाकुर दास भार्गव को यह कहने का अधिकार है कि माननीय सदस्य द्वारा कही गयी कुछ बातें गलत हैं।

श्री टी० एन० सिंह : क्या आप भाषणों का नियमन कर रहे हैं या प्रत्येक सदस्य कर रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्यों को अवसर दिया जायेगा, अतः किसी को अधीर नहीं होना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं किसी बात का खंडन नहीं करना चाहता पर मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि इस एयरवेज़ में कई विमान थे।

श्री फीरोज गांधी : मैं डालमिया जैन एयरवेज़ के बारे में कह रहा था। विमान डालमिया जैन उड्डयन (एविएशन) के थे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हमन अभी हाल में सभी वायुयान समवायों के बारे में एक विधेयक पारित किया है।

श्री फीरोज गांधी : वह डालमिया जैन उड्डयन (एविएशन) था न कि डालमिया जैन एयरवेज़।

उपाध्यक्ष महोदय : जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो हमें उनकी बात सुननी चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं कह रहा था कि यह अध्यादेश दिल्ली वाले मुकदमे के परिणाम स्वरूप जारी किया गया है। इस मामले में भारत बीमा कम्पनी की प्रतिभूतियों में लगभग १·८० करोड़ रुपये की कमी पायी गयी है। जब से प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है, उसे अधिकार दे दिया गये हैं कि यदि इस प्रकार की कमी पायी जाये तो वह प्रबंधक, कर्मचारियों और उनके संबंधियों के विरूद्ध आदेश दे सकता है। साथ ही संपत्तियों का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता।

मैं यह पूछता हूं कि किसी धन को कहां व्यय किया गया, भारत बीमा कम्पनी को कहा से धन मिला, इसका प्रतिभूतियों से क्या संबंध है ? यह बात कि एक व्यक्ति के पास २०,००० टन अलग पुरजे थे जिसमें से उसने १,००० टन ९४ लाख रुपये में बेच दिये, यह एक बिल्कुल असंगत बात है।

श्री फीरोज गांधी : भारत बीमा कम्पनी उस समवाय की एक अंशधारी थी। लाभों का क्या हुआ ?

पंडित ठाकर दास भार्गव : कौन सी कंपनी?

श्री फीरोज गांधी : एलेन बेरीज़।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हमारा संबंध केवल उस बीमा कम्पनी से है जिसमें प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रशासक के अधिकारों के संबंध में बात यह है कि क्या उसे किसी विशेष प्रकार के अधिकार दिये जाने चाहिये और क्या न्यायालय को उन संपत्तियों का मामला हाथ में लेना चाहिये जो गबन से संबंधित थी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रशासक को अधिकार है कि वह केवल बीमा करने वाले की संपत्ति पर ही सरकारी कब्जा न करे बल्कि उन सभी व्यक्तियों की संपत्तियों पर सरकारी कब्जा करने जिनके पास बीमा का धन गया हो। इसीलिये अनेक लोगों की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया है। यदि भारत बीमा कम्पनी या एलेन बेरीज़ में हिस्सा था, जिसने २०,००० टन अलग पुरजे खरीदे और १,००० टन ९४ लाख रुपये में बेच दिये, तो प्रश्न यह है कि यदि वह धन भारत बीमा कम्पनी के लेखे में नहीं दिखाया गया है, तो उस धन का क्या हुआ ? लेखे में उस राशि को नहीं दिखाया गया है, तो वह धन कहां गया अतः एलेन बेरीज़ का मामला भी संगत है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : एक व्यक्ति ने २०,००० टन अलग पुरजे खरीदे और

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

१,००० टन ९४ लाख रुपये में बेच दिये, तो इस विधेयक से इस बात का क्या संबंध है ?

श्री फीरोज गांधी : सभी व्यक्तियों को, जिनको आदेश दिये गये, यह बता दिया था कि यदि अग्रेतर अपकरण का कोई मामला पकड़ा जायेगा तो उन्हें उत्तरदायी ठहराया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना है कि अधिकांश धन एलेन बेरीज़ में लगाया गया है ।

श्री फीरोज गांधी : बहुत से समवायों में ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा कहना यह है कि उस समवाय ने जो कुछ भी कमाया उसका एक समुचित अंश भारत बीमा कम्पनी को मिलना चाहिए ।

श्री फीरोज गांधी : यही मैं भी कहता हूं ।

पडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा कहना तो यह है कि एक जांच न्यायाधिकरण ने इन मामलों की छानबीन की और सरकार ने इन व्यक्तियों से १ करोड़ ८ लाख रुपये पर समझौता कर लिया ।

श्री एम० सी० शाह : पर समझौते में यह भी एक उपबन्ध है कि यदि अग्रेतर छिपी राशि का पता लगेगा, तो सरकार उन पर फिर कार्यवाही करेगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : श्री फीरोज गांधी ने सरकार के विरुद्ध जो शिकायत की है वह ठीक है क्योंकि सरकार समवाय अधिनियम को ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं कर सकी है ।

श्री एम० सी० शाह : इसका उत्तर मैं दूंगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस विधेयक में हम मुख्य अधिनियम की धारा ५२ तथा १०६ का संशोधन करना चाहते हैं । धारा ५१ ख में प्रशासक के साधारण कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है । न्यायालयों को गैर-सरकारी व्यक्तियों की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में आदेश जारी करने का अधिकार है । पर कार्यपालिका को गैर सरकारी नागरिकों की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं । प्रशासक के पास धारा ५१-ख के अनुसार साधारण कार्यपालिका पदाधिकारी के समान अधिकार होते हैं पर वह किसी गैर-सरकारी नागरिक के विरुद्ध निषेधात्मक आदेश नहीं जारी कर सकता । इन्हीं अधिकारों को बहुत अधिक बढ़ा कर यह उपबन्ध किया जा रहा है । कभी कभी प्रशासक केवल संदेह के आधार पर काम करते हैं, इससे गैर सरकारी नागरिकों का सत्यानाश हो जायेगा । श्री एन० सी० चटर्जी ने ठीक ही कहा है कि पहले तीन महीनों तक गैर सरकारी नागरिक के पास इसका कोई इलाज नहीं है, बाद में भी न्यायालय में कई वर्ष लग जाते हैं । अर्थात् कई वर्ष तक इन आदेशों के कारण वह व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का उपयोग न कर सकेगा ।

श्री मूलचन्द दुबे (ज़िला फ़रुखाबाद—उत्तर) : केन्द्रीय सरकार को अधिकारों का संशोधन करने का अधिकार है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह भी एक कार्यपालिका अधिकार है । मैं यह नहीं कहता कि प्रशासक हर मामले में ठीक तरह से काम नहीं करेंगे । और यदि प्रशासक ठीक ढंग से काम न करे तो उसे सुधारने के लिए केन्द्रीय सरकार बैठी ही है । इसलिए इस संशोधन पर मेरी सब से पहली आलोचना यह है कि प्रशासक को बहुत अधिक और असाधारण शक्तियां दी जा रही हैं और यदि हम इस देश

के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें ये शक्तियाँ नहीं देनी चाहिए।

श्री नानादास (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : किस प्रकार के नागरिक ?

श्री एन० सी० चटर्जी : भारत के ।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव : मेरे माननीय मित्र जसे व्यक्ति । मैं भारत के नागरिकों की बात कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान प्रक्रिया नियम ३३५ की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में कहा गया है कि सदस्य एक दूसरे से प्रश्न पूछना चाहते हों तो पीठासीन व्यक्ति की मार्फत पूछ । जो सदस्य भाषण दे रहा हो, उस से कोई प्रश्न पूछना चाहते हों तो मेरी मार्फत पूछें ।

पंडित ठाकर दास भार्गव : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि खण्ड २ के उपखण्ड (५) में गजट की अधिसूचना का उल्लेख ऐसे किया गया है मानो अधिसूचना निकाल देने मात्र से काम चल जायगा । उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है । यदि कोई रोक आज्ञा दी जाती है और सम्बद्ध व्यक्ति को उस का पता नहीं है तो सम्भव है कि वह एसे काम कर बैठे जिन के कारण वे कानून के चंगुल में फंस जाय । इसलिए मेरा निवदन यह है कि उपखण्ड (५) में जो शक्ति दी गयी है वह बड़ी आपत्तिजनक बात है।

मेरे विचार में सब से महत्वपूर्ण प्रश्न खण्ड ४ के उपखण्ड (६) का है । यदि किसी ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति कुर्क हो जाती है, जिस का कि कम्पनी से कोई सम्बन्ध नहीं तो उस के लिए क्या रास्ता है ? जो लोग कम्पनी के नौकर हैं उन का तो अपकरण आदि से कोई सम्बन्ध भी हो सकता है परन्तु जिस व्यक्ति पर यह सन्देह है कि उस ने सम्पत्ति किसी ढंग से प्राप्त की होगी और उस की सम्पत्ति कुर्क हो जाती है उस के लिए क्या रास्ता है ?

इस उपखण्ड में कहा गया है कि यह साबित करना सम्पत्ति के मालिक का काम होगा कि सम्पत्ति कुर्क नहीं हो सकती । उपखण्ड (८) में कहा गया है कि इस धारा के अन्तर्गत सभी प्रश्नों का निबटारा करने की पूरी शक्ति न्यायालय को होगी और इस के अन्तर्गत कुर्क की गयी सम्पत्ति के बारे में किसी प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार किसी और न्यायालय को नहीं होगा ।

यह तो ठीक है कि कुर्की कराने वाले न्यायालय कुर्की सम्बन्धी मुकदमों की सरसरी सुनवाई करते हैं परन्तु यदि वादी हार जाता है तो उसे दीवानी मुकदमा करने का अधिकार होता है जिसका निर्णय उच्च-न्यायालय या कोई और न्यायालय करता है । इस खण्ड के अन्तर्गत होने वाली कुर्की में भी ऐसा ही होना चाहिए । तो आप देखेंगे कि यह खण्ड विधि के साधारण सिद्धान्तों के प्रतिकूल है । इस का मतलब यह है कि आप ऐसे व्यक्ति के अधिकार कम कर रहे हैं जिस का अपकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है । कहा गया है कि यह इसलिए है कि हम उच्च-न्यायालय को अधिकार दे रहे हैं । मेरा निवेदन है कि उसे ये अधिकार देने का कोई मतलब नहीं है । दीवानी मामलों में ज़िला न्यायाधीश के अधिकार बड़े विस्तृत होते हैं । उस के निर्णय के बाद उच्च न्यायालय में अपील होती है । परन्तु यदि ये अधिकार उच्च न्यायालय को दे दिए जायं तो भी लोग अपील के अधिकार से वंचित रह जायेंगे क्योंकि बहुत कम मामले उच्चतम न्यायालय में जाते हैं ।

मैं यह कह रहा हूं कि यदि यह शक्ति ज़िला न्यायाधीश को दी जाय तो वादी-प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय में जा सकते हैं परन्तु यह ग़लत है कि कुर्की कराने वाले न्यायालय को ही ये अधिकार दे दिए जायं ।

यह कहना ग़लत है कि इस विधेयक के कारण धन बरामद कर लिया गया है । उस में तो कोई बाधा नहीं थी । मेरा कहना यह है कि

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

यदि यह शक्ति देनी भी थी तो भी यह अध्यादेश और यह विधेयक नहीं आना चाहिए था। एक विशेष मामले के लिए विधेयक रखना तो आपत्तिजनक बात है। यह उचित नहीं है कि हम सभी मामलों के लिए विशेष कानून बनाएं और विशेष क्षेत्राधिकार की व्यवस्था करें। मेरे विचार में कार्यपालिका को ऐसी असाधारण शक्तियां नहीं दी जानी चाहिएं और न ही साधारण न्यायालयों की शक्तियां कम करनी चाहिएं।

विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कार) : कुछ ऐसी बातें कही गयी हैं जो इस आधार पर नहीं उठाई गईं कि वे संविधान के अनुसार ठीक हैं या नहीं, बल्कि इस आधार पर कि हम जो कुछ करने की चेष्ठा कर रहे हैं, वह .....

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं एक बात और कह दूं जिस से कि माननीय मंत्री सभी बातों का इकट्ठा ही उत्तर दे सकें।

धारा १०६ की भाषा में परिवर्तन किया जा रहा है जिस का मतलब यह है कि न्यायालय को वे शक्तियां दी जा रही हैं जो पुलिस को मिलती हैं। संविधान में ऐसा उपबन्ध है कि कोई कानून ऐसा नहीं बनना चाहिए जो पहले की बातों पर लागू हो या जो उन बातों पर लागू हो जो उस के अन्तर्गत किए गए मुकदमे से पहले हुई हों। यह विधेयक पास होने के बाद १ नवम्बर, १९५५ से लागू हुआ माना जायगा। क्या हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि किसी ऐसे काम के लिए सज़ा दी जाय जो आज के दिन अपराध नहीं माना जायगा ?

श्री पाटस्कर : कौन सा खण्ड ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं खण्ड १०६ की बात कर रहा हूं जिस के अनुसार आप किसी व्यक्ति को दोषी ठहराएंगे और पुलिस की शक्तियां स्वयं लेकर उसे ऐसे अपराध के लिए दण्ड देंगे जो कानून के बनने से पहले अपराध नहीं था। मुझे इस प्रकार के कानून पर आपत्ति है। मैं चाहता हूं कि माननीय विधि-कार्य मंत्री इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट करें।

श्री पाटस्कर : कई बातों के सच होने या न होने के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, मैं उस का उल्लेख नहीं करूंगा परन्तु प्रश्न यह है कि यह जो विधेयक हम पारित कर रहे हैं वह उचित है और संविधान के अनुकूल है या नहीं, और इस का स्वरूप क्या है।

वर्तमान बीमा अधिनियम की धारा १०६ भारतीय समवाय अधिनियम की धारा २३५ के अनुरूप है जो कि संचालकों, संगठन-कर्त्ताओं और प्रबन्धकों द्वारा अपकरण के बारे में है। तो धारा १०६ में संशोधन करना क्यों आवश्यक हुआ ? वर्तमान बीमा अधिनियम की धारा १०६ और भारतीय समवाय अधिनियम की धारा २३५ में कुछ अन्तर है परन्तु जो भी हो इस उपबन्ध का उद्देश्य निगमों के सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों के अपकरणों से निबटाने का है। हमें सदा वे सभी सिद्धान्त लागू करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जो कि साधारणतया किसी व्यक्ति के कार्यों सम्बन्धी प्रक्रिया पर लागू होते हैं। भारतीय समवाय अधिनियम की धारा २३५ एक विशेष उपबन्ध है जो उन समस्याओं से निबटने के लिए है जो कुछ निगमों के काम के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार बीमा अधिनियम की धारा इस प्रश्न से निबटने के लिए थी परन्तु अनुभव से मालूम हुआ है कि वास्तव मुह उस प्रयोजन को पूरा नहीं करती जिस के लिए यह रखी गयी थी।

यह तो हुई भूमिका। अब यह बताना चाहता हूं कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है हम वास्तव म क्या करना चाहते हैं। जहां तक धारा १०६ का प्रश्न है हम

इस के स्थान में नयी धारा रखना चाहते हैं। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि यह बात उचित है या नहीं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस धारा १०६ की उप-धारा (१३) में केवल यह कहा गया है :

"बीमा (संशोधन) अधिनियम १९५५ के प्रारम्भ होने पर और से, जिस न्यायालय को इस धारा के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार प्रयोग करने का अधिकार होगा वह उच्च न्यायालय होगा...."

मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव का यह प्रश्न स्वाभाविक ही है कि हम यह क्यों कहें कि ऐसे मामलों को केवल उच्च न्यायालय ही निबटाएगा और कोई न्यायालय नहीं ? मेरे मित्र श्री चटर्जी को मालूम है कि जब हम समवाय अधिनियम पर विचार कर रहे थे तो हम इस पर पहुंचे थे कि वर्तमान उपबन्ध क्या हैं, अर्थात् बड़े बड़े सौदों के सम्बन्ध में जहां तक सम्भव हो यही उचित और आवश्यक है कि ये शक्तियां उच्च न्यायालय को दी जायं। इस विषय, निगम या सारे समाज के हित में ऐसा ही करना उचित होगा। इसीलिए हम ने समवाय अधिनियम में यह उपबन्ध रखा था और वर्तमान उपबन्ध लगभग वैसा ही है। बल्कि इस के उलट बात है। कल और आज यहां जो कुछ कहा गया है उस से स्पष्ट है कि कुछ जटिल सौदे हुए हैं जिन के लिए यही उचित है कि क्षेत्राधिकार सम्बद्ध प्रान्त में सब से बड़े न्यायालय को दिए जायं। इसलिए धारा १०६ में कहा गया है :—

"यदि धारा ५२ क के अन्तर्गत नियुक्त किए गये नियंत्रक या किसी प्रशासक या बीमा करने वाले या बीमा कराने वाले या किसी बीमा कम्पनी के सदस्य या किसी बीमा कम्पनी के परि-समापक (किसी बीमा कम्पनी के परि-समापन की दशा में होने पर) की प्रार्थना पर न्यायालय का यह समाधान हो जाये....."

मैं इस का विस्तारपूर्वक उल्लेख नहीं करूंगा और संम्भवतः इस विधेयक के प्रभारी मंत्री ने पहले ही इन उपबन्धों पर प्रकाश डाला है। यही कारण है कि यह शक्ति उच्च न्यायालय को दी गयी है और मुझे विश्वास है कि अधिकतर सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यह ठीक ही है और यह कि ऐसे व्यापक और जटिल मामलों में यही अच्छा है कि हम उन्हें निबटाने का काम उच्च न्यायालय पर डाल दें। धारा १०६ अपकरण के कार्यों के सम्बन्ध में है। मेरे विचार में अपकरण सम्बन्धी कार्यवाही लगभग दीवानी (व्यवहार) कार्यवाही जैसी होती है और इस पर विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अपने निर्णय दिए हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसे हम दाण्डिक अपराध बना रहे हैं। "दोषी" शब्द का प्रयोग भले ही हुआ हो परन्तु वह दूसरी बात है। समवाय अधिनियम के अन्तर्गत अपरकरण लगभग दीवानी (व्यवहार) कार्यवाही की तरह है और यह इस अधिनियम के अधीन भी ऐसा ही रहेगा। जहां तक इस बात पर निर्णय का सम्बन्ध है हम ने वह कार्य सब से बड़े न्यायालय पर छोड़ दिया है।

अब खण्ड ५२खख को देखिए। इस में हम क्या करने जा रहे हैं और इस की आवश्यकता क्यों पड़ी ? सम्भव है कि जब कोई प्रशासक नियुक्त हो तो उसे निरोधात्मक आज्ञा जारी करने की आवश्यकता पड़ जाये। यदि यह आज्ञा समय पर जारी नहीं की जाती तो सम्भव है कि बीमा कराने वालों या उन लोगों के हितों की रक्षा करना कठिन हो जाय जो कम्पनी के प्रबन्ध में उचित रूप से दिलचस्पी लेते हैं। इसलिए धारा ५२ खख में कहा गया है :—

यदि प्रशासक का समाधान हो जाय कि किसी व्यक्ति के काम ऐसे हैं कि धारा १०६ के अन्तर्गत उस के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है, तो वह, इस धारा के अधीन उस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही शुरू किए

[श्री पटास्कर]

जाने तक, लिखित आज्ञा द्वारा, उसे या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी सम्पत्ति के हस्तान्तरित या किसी अन्य ढंग से विसर्जित किये जाने से रोके जाने की आज्ञा दे सकता है जो कि उस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही में कुर्क की जा सकती हो ।"

हमारा उद्देश्य यह है कि प्रशासक को यह शक्ति दी जाये कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पत्ति के हस्तान्तर या किसी अन्य ढंग से विसर्जन को रोकने के लिये आज्ञा जारी कर सके। तो धारा ५२ खख की उप-धारा (१) का यह प्रयोजन है ।

स्वभाविक ही है कि अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि शक्ति उच्च न्यायालय को दी जानी है और जैसा कि हमने कहा है कि धारा १०६ के अन्तर्गत प्रशासक उस न्यायालय से प्रार्थना कर सकेगा, तो कोई व्यवहार न्यायालय उन शक्तियों का प्रयोग क्यों न करे जो व्यवहार न्यायालयों के पास हैं जिन के द्वारा वे निर्णय से पहले सम्पत्ति कुर्क कर सकते है ? परन्तु एक अन्तर है। निर्णय से पहले कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता में किसी और प्रयोजन से रखी गई हैं। व्यवहार प्रक्रिया संहिता में कहा गया है :—

> "केवल तब जब कि न्यायालय का समाधान हो जाय कि प्रतिवादी अपनी सम्पत्ति का विसर्जन करने जा रहा है या अपने विरुद्ध दी गयी डिग्री के विरुद्ध अपील करने की मंशा से उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर जा रहा है....." आदि आदि।

इसलिए हम यह नहीं चाहते हैं। हम ऐसी बात को रोकना चाहते हैं जोकि की जा रही है और मेरा विचार है कि ऐसा करना ठीक ही है। मेरे विचार में सभी को इस से संतोष होगा। जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी सच या झूठ है, यह बात तो है ही कि बुराई को होने देने से उस को होने से रोक लेना अधिक अच्छा है, न कि यह कि पहले उसे होने दिया जाये और बाद में उस के लिये कार्यवाही प्रारम्भ की जाये। यह धारा ५२ खख इस दृष्टिकोण से रखी गई है। क्योंकि अन्तरिम आज्ञा, रोक आज्ञा या कुर्की आज्ञा के लिये उस न्यायालय की शरण लेने पर व्यवहार प्रक्रिया संहिता लागू होती है, इसलिये सम्भव है कि यह ठीक तरह से लागू न हो और उस प्रयोजन को पूरा न करे जिस के लिये बीमा व्यापार के प्रबन्ध संचालन के सम्बन्ध में यह शक्ति आवश्यक है ।

सके बाद मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां यह शक्ति दी गई है वहां इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि जहां किसी व्यक्ति के हितों के लिये वैध रूप से परित्राण की आवश्यकता है वहां ऐसा कोई काम न किया जाये जिस से उस के हितों को आघात पहुंचे। खड ५२ खख के अन्तर्गत प्रशासक को यह शक्ति दी गई है। इस आदेश के पास होने के १४ दिन के अन्दर तत्सम्बन्धी या प्रभावित व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के सामने जा सकता है। इसीलिये यह परित्राण है ।

ऐसी बात नहीं है कि यह शक्ति सदा के लिये काम आने वाली हो तथा प्रशासक उच्च न्यायालय के सामने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब करता ही रहे। उपखण्ड (३) में हम ने कहा है उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रशासक द्वारा जारी किया गया कोई आदेश, अपील किये जाने पर केन्द्रीय सरकार के किसी आदेश के अधीन रहते हुए, आदेश की तिथि से तीन मास तक के लिये लागू रहेगा जब तक कि उस काल के व्यतीत होने के पूर्व धारा १०६ की उपधारा (१) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत न किया गया हो तथा ऐसे आवेदन पत्र के प्रस्तुत होने पर, न्यायालय द्वारा जारी किये जाने वाले किसी आदेश के अन्तर्गत रहते हुए वह लागू रहेगा ।

यदि वह इस मामले को न्यायालय के सामने न ले जाये तो तीन मास के बाद वह आदेश प्रभावहीन हो जायेगा और जब भी वह धारा १०६ के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा तब न्यायालय इस का विनिश्चय करेगा कि वह आदेश लागू रहे या न रहे। निरपराध व्यक्तियों के परित्राण के लिये यह परित्राण पर्याप्त है।

तो फिर खंड २ के उपखण्ड (१०) का क्या महत्व है ? क्योंकि उसमें कहा गया है कि इस धारा तथा धारा १०६ के उपबन्धों को छोड़कर तथा अन्य किसी प्रवृत विधि में कोई बात होते हुये भी इस धारा के अन्तर्गत प्रशासक या केन्द्रीय सरकार के आदेश को रद्द करने या उसमें रूपभेद करने के लिये किसी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा या अन्य कोई वैध कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इसका तात्पर्य यह है कि आदेश जारी होने के तीन मास के भीतर, जब कि उस विषय की प्रशासक द्वारा जांच की जा रही हो, किसी को इस बात की आज्ञा न दी जायेगी कि वह न्यायालय में इस विषय को नहीं ले जा सकेगा और न कोई रोक आदेश या अन्य कोई आदेश जारी करा सकेगा। जब वह तीन मास के भीतर उच्च न्यायालय के सामने उपस्थित हो और प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे, न्यायालय को अधिकार होगा कि उस आदेश को लागू रहने दे या उस में रूपभेद कर दे। अन्य किसी न्यायालय में इन विषयों का निपटारा ठीक से नहीं हो सकता है जितना कि उच्च न्यायालय में हो सकता है क्योंकि धारा १०६ के अन्तर्गत अपकरण का विषय उच्च न्यायालय के अधीन है। अपकरण की कार्यवाही स्वभावतः वाद से भिन्न होती है जिस में दो व्यक्ति व्यवहार न्यायालय में परस्पर एक दूसरे के विरोधी होते हैं। समवाय अधिनियम की धारा २३५ की कार्यवाही की तरह ही धारा १०६ की कार्यवाही है। उच्च न्यायालय में अब तक किसी को कोई हानि नहीं उठानी पड़ी है क्योंकि अपकरण की कार्यवाही वाद की कार्यवाही के समान अधिक दिनों तक नहीं चलती।

इन उपबन्धों पर हमें इस विस्तृत दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। इसी दृष्टिकोण से हम कुछ विशेष व्यक्तियों से कुछ विशेष वादों के आधार पर बीमा समवायों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। इस काल में जब प्रशासक धारा १०६ के अन्तर्गत न्यायालय के सामने उपस्थित हो तो इन सीमित बातों के लिये उसे आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। यह बात नहीं है कि वह जो चाहे सो कर सकता है। धारा ५२ खख में उसे जानकारी की विशेष प्रकार से पुष्टि करने का अधिकार दिया गया है जैसा कि उपखंड (८) में कहा गया है। इसलिये जिस प्रकार इस विषय पर हम सभी वार्ता कर रहे हैं, वह ऐसा नहीं है जो वाद के द्वारा निपटाया जा सके उसका निपटारा तो धारा १०६ के अन्तर्गत या अपकरण की कार्यवाही के रूप में ही किया जा सकता है। इसीलिये हम ने प्रस्थापित धारा १०६ भारतीय समवाय अधिनियम के अपकरण संबंधी उपबन्ध के आधार पर तैयार किया है। हम यह चाहते थे कि प्रशासक के हाथ में सीमित काम के लिये निषेधात्मक रोक आदेश जारी करने की शक्ति होनी चाहिये। अभिप्राय यह है कि समवाय की जितनी राशि हड़प ली गई है उसकी वसूली निश्चित रूप से की जा सके। ऐसा करने के लिये प्रशासक को यह शक्ति दी गई है कि वह खंड में वर्णित व्यक्तियों की सम्पत्ति केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निश्चित कर सकता है। इस के साथ परित्राण के रूप में पहले तो केन्द्रीय सरकार के सामने अपील करने का अधिकार है, दूसरे इस आदेश के लागू रहने का समय सीमित कर दिया गया है तथा तीसरे अन्त में यह विषय देश के सब ऊंचे न्यायालयों, उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जायेगा। यह आदेश ऐसा है जैसी कुर्की का आदेश होता है। इस में ऐसी कोई बात नहीं है जो उच्चतम न्यायालय के किसी विनिश्चय के

[श्री पाटस्कर]

विरुद्ध हो । जिस विनिश्चय का हवाला दिया गया है उसका विषय वचन, इत्यादि है जो इस से सर्वथा भिन्न है ।

जो समस्या हमारे सामने है उसके दृष्टिकोण से धनराशि के बहुत बड़े होने के विचार से तथा इस दृष्टिकोण से कि हम यहां व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े को नहीं निपटा रहे हैं परन्तु ऐसे विषय को निपटा रहे हैं जिस का सम्बन्ध एक बड़े समवाय या निगम से है, साधारण निरपराध व्यक्ति के हितों की रक्षा करने के लिये जो उपबन्ध बनाये गये हैं वे पर्याप्त हैं । औचित्य या संविधान की दृष्टि से उन में कोई दोष नहीं है । यह उपबन्ध कि प्रशासक का आदेश केवल तीन मास तक के सीमित काल के लिये लागू रहेगा लोकहित की दृष्टि से बनाया गया है जिससे प्रशासक के कार्य में कोई अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप न कर सके । मैं आशा करता हूं कि विधेयक के उपबन्धों से माननीय सदस्यों की इच्छाओं की पूर्ति हो जायेंगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं माननीय मंत्री से दो बातें पूछना चाहता हूं । पहली यह कि क्या न्यायालय को निषेधात्मक आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है । यह शक्ति एक कार्यपालिका अधिकारी को क्यों सौंपी गई है ? दूसरी बात यह है कि पुराने सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा ५३ तथा कपटयुक्त हस्तान्तरण सम्बन्धी समवाय विधेयक के उपबन्धों को देखते हुये प्रशासक द्वारा कुर्की किये जाने पर भार एक गैरसरकारी व्यक्ति पर डाल देना क्या उचित है ? फिर इसका विनिश्चय भी संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा किया जाता है ।

श्री पाटस्कर : व्यक्तियों के परस्पर, विवादों और निगम सम्बन्धी विषयों में माननीय सदस्य को अवश्य ही कुछ-न-कुछ विभेद करना पड़ेगा । निगमों सम्बन्धी विवादों में हमें प्रबन्धकों, निदेशकों तथा अन्य व्यक्तियों के अपकरणों के प्रश्नों को निपटाना पड़ता है । इस दृष्टिकोण से इन उपबन्धों में तत्सम्बन्धी व्यक्तियों के हितों का परित्राण पर्याप्त रूप से रखा गया है ।

श्री मात्तन : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । मैं स्वयं जानता हूं कि कितनी ही ऐसी बीमा कम्पनियां हैं जिन के प्रबन्धक इत्यादि, अन्य समवायों पर, अपना अधिकार करने योग्य अंश प्राप्त करने तथा अन्य प्रकार के लाभ प्राप्त करने के लिये बीमा कम्पनियों के रुपये का दुरुपयोग करते हैं । श्री गांधी का समर्थन करते हुये मेरा भी कहना है कि इन सब बातों को न्यायिक जांच हीनी चाहिये । जैसा कि मेरे मित्र श्री चटर्जी ने बताया कि अपकरण के कितने ही मुकदमे वर्षों से चल रहे हैं और हुआ कुछ भी नहीं है । भाग्य से विधि आयोग की बैठक हो रही है और मेरा सुझाव है कि ऐसी तथा इसी प्रकार की विधियां उनके पास भेजी जायें और उन से कहा जाय कि एक मास के भीतर वे ऐसी प्रक्रिया का सुझाव दें जिस से इन विधियों को शीघ्रता के साथ और प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जा सके । यह प्रसन्नता का विषय है कि बीमा कम्पनी को जो हानि डालमिया ने पहुंचाई है उस की वसूली सरकार ने कर ली है । परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एक करोड़ पचास लाख या एक करोड़ साठ लाख रुपये की उस हानि को भी वसूली कर पाई है जो तीन व्यवहारों में हुई थी । पहली घटना दिसम्बर की है जब बम्बई में कुछ सम्पत्ति खरीदी गई थी ।

उपाध्यक्ष महोदय । जांच के समय माननीय सदस्य इन घटनाओं के विषय में माननीय मंत्री को एक टिप्पणी दे दें जिससे इन को जांच हो सके । क्या माननीय सदस्य को विश्वास है कि इन घटनाओं के सम्बन्ध में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है ।

श्री मात्तन : मेरा विचार है कि पंडित ठाकुर दास जी ने कहा था कि कोई मुकदमा नहीं चल रहा है । इसके अतिरिक्त माननीय

वित्त मंत्री ने १९५३ में इस छल कपट की जानकारी मिलने पर जांच की थी और उन के पास ऐसे अधिकृत दस्तावेज़ हैं जिन से स्पष्ट है कि भारत कम्पनी का एक भी विनियोजन ईमानदारी के साथ नहीं किया गया है। मेरा प्रश्न यह है कि मंत्रालय ने उस समय प्रशासक क्यों नहीं नियुक्त किया, उस समय ऐसा विधेयक क्यों नहीं रखा जिससे ऐसी सारी घटनायें रोकी जा सकतीं।

श्री एम० सी० शाह : म माननीय सदस्यों का इस संशोधक विधेयक का समर्थन करने के लिये आभारी हूं। उन्होंने सरकार के अध्यादेश जारी करने की कार्यवाही का भी उल्लेख किया है जिसका बीमा करने वालों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से जारी करना आवश्यक था। श्री एन० सी० चटर्जी की संवैधानिक बातों का उत्तर विधि-कार्य मंत्री द्वारा दिया जा चुका है। अतः उस संबंध में सभा का अधिक समय लेना ठीक नहीं।

मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव सरकार को अधिक शक्ति देने के पक्ष में नहीं हैं। वह कुछ परित्राण चाहते हैं। हमें ध्यान इस बात का रखना है कि बीमा कराने वालों के हितों की सुरक्षा किस प्रकार हो। बीमा कराने वाले लाखों लोगों की दशा यह है कि वे किसी प्रकार अपनी आय का कुछ अंश बचाकर इसमें दे पाते हैं जिससे वृद्धावस्था में या अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर, भविष्य में, वे उस धन का उपभोग कर सकें, अथवा यदि उस आयु को प्राप्त होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो तो बीमा-पत्र के अनुसार उनकी विधवाओं और बच्चों को वह धन मिले। इसीलिए सरकार का यह परम कर्तव्य है कि वह बीमा कराने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करे। बीमा-पत्र-धारियों व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिये असाधारण अधिकार प्राप्त करना परमावश्यक है। मैं इस विधान की पृष्ठभूमि का शीघ्र ही उल्लेख करूंगा।

मैं श्री फीरोज़ गांधी के प्रति कृतज्ञ हूं तथा मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने कतिपय सौदों, अन्तःपाश सौदों और भारत बीमा समवाय, लिमिटेड से संबंधित कतिपय सौदों का इतिहास बताया। उनकी इस गवेषणा के लिये तथा सभा को ये सारी बातें बताने के लिये मैं उनका आभारी हूं, यद्यपि कुछ बातें सरकार को पहले से मालूम हैं और सरकार उस जानकारी पर कार्यवाही कर रही है। मेरे माननीय मित्र, श्री तुलसीदास, यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने अभी बताया है कि ऐसे मामले बहुत कम हैं। उन्होंने एक दो बीमा समवायों का उल्लेख किया जिनका प्रबन्ध, निस्सन्देह, अच्छा है। किन्तु बीमे का काम करने पर भी शायद वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि गत कुछ महीनों में कितने समवाय समापित हुये हैं, कितने समवायों का प्रबन्ध प्रशासकों के हाथों में चला गया है और कितने मामलों में सरकार को बीमा-पत्र-धारियों के हितों की रक्षा के लिये कार्यवाही करनी है। लगभग २५ समवाय परिसमापित कर दिये गये हैं और गत वर्षों में हमने ११ समवायों का प्रबन्ध अपने हाथों में ले लिया है और प्रशासक नियुक्त कर दिये गये हैं। कुछ बीमा समवायों में जीवन बीमा निधि का रुपया ही छलपूर्ण ढंग से दिया गया है। मेरे माननीय मित्र ने जूपीटर और एम्पायर बीमा समवायों का उल्लेख किया। मेरे माननीय मित्र, श्री फीरोज गांधी के कहने का कुछ माननीय सदस्यों पर संभवतः यह असर पड़ा कि सरकार इस मामले के बारे में अधिक जागरूक नहीं है। मैं ऐसी बातें बताऊंगा जिनसे सभा को यह विश्वास हो जायेगा कि सरकार बहुत ही जागरूक है और सरकार सारे संभव प्रयत्न, यहां तक कि संविधान में संशोधन भी, कर रही है।

मेरे माननीय मित्र न जूपीटर और एम्पायर बीमा समवायों का हवाला दिया। इन समवायों में ७७,५०,००० रुपयों स अधिक का छलादान किया गया। सरकार ने

[श्री एम० सी० शाह]

तुरन्त ही कार्यवाही की। एक प्रशासक नियुक्त किया गया। वैधानिक कार्यवाही की जा रही है और अभियोग चलाये जा रहे हैं। श्री शंकर लाल पर, जो कि अब नहीं ह, अभियोग चलाया गया। श्री दामोदर स्वरूप सेठ पर अभियोग चलाया जा रहा है; सरदार शार्दूल सिंह पर अभियोग चलाया जा रहा है। कुछ अन्य व्यक्तियों पर अभियोग चलाया जा रहा है और बम्बई के सत्र न्यायालय में उनका परीक्षण किया जा रहा है। जब कभी हम देखते हैं कि प्रबन्धक ने कोई दण्ड अपराध किया है तो इन समवायों के प्रबन्धक तथा निदेशक इत्यादि को छोड़ा नहीं जाता।

मेरे माननीय मित्र श्री फीरोज़ गांधी और अंतिम वक्ता ने इस भारत बीमा समवाय के मामले का उल्लेख किया। मैं आपको यह बताऊंगा कि यह अध्यादेश और यह विधेयक क्यों आवश्यक हो गये हैं। मेरे माननीय मित्र श्री फीरोज़ गांधी और आखिरी वक्ता श्री मात्तन ने जिन सौदों का उल्लेख किया, मैं उन पर एक-एक करके चर्चा करूंगा।

१९५२ में हमें कुछ ऐसे सौदों की जानकारी हुई, जिनके बारे में एक अन्य सूचना प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय वित्त मंत्री ने यह बताया कि वे संदिग्ध हैं। हमने देखा कि भारत बीमा समवाय ने १५० लाख रुपयों में बेनेट कोलमैन को०, लिमिटेड से कुछ सम्पत्ति खरीदी और कुछ सम्पत्ति उसने डालमिया के सीमेंट मारकेटिंग समवाय से खरीदी। १०३ लाख रुपये टाइम्स आफ इंडिया के भवन के लिये दिये गये और ४७ लाख रुपये नाहुर सम्पत्ति और अन्य सम्पत्ति के लिये दिये गये। इस मामले की शीघ्र ही जांच की गई।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : औचित्य प्रश्न के हेतु ! मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस मामले की जांच की जा रही है और सरकार तथा उस पक्ष के बीच किस बात पर मुकदमा चल रहा है। माननीय मंत्री जिस मामले के बारे में कह रहे हैं, वह न्यायाधीन है।

श्री एम० सी० शाह : मैं ऐसे किसी मामले का निर्देश नहीं करूंगा, जो कि न्यायाधीन है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस विषय से संबंधित कोई मामला विचाराधीन है ?

श्री एम० सी० शाह : जी नहीं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : यदि ऐसी बात है, तो ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के संबंध में डालमिया से संबंधित मामलों का उल्लेख करना व्यर्थ है। माननीय मंत्री केवल संबंधित बीमा समवाय के बारे में ही अपना उत्तर दें। प्रत्येक समवाय की आस्तियों और उसके दायित्वों का उल्लेख करना बेकार है, क्योंकि मैं अधिक समय नहीं दे सकता।

श्री एम० सी० शाह : मेरे माननीय मित्र, श्री गांधी ने अन्य समवायों के जिन अन्तःपाश सोदों के बारे में कहा, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उनका उल्लेख समवाय विधि प्रशासन के अन्तर्गत किया जा सकता है। समवाय विधि प्रशासन के अधिकार राज्यों को सौंप दिये गये थे और राज्यों को समवाय विधि कार्यान्वित करनी पड़ी। केवल डेढ़ वर्ष पूर्व ही हमने राज्यों से दिये गये उन अधिकारों को अपने हाथों में लिया और उसके बाद इन सारी बुराइयों के कारण हम एक अति व्यापक समवाय विधि प्रस्तुत करनी पड़ी जिससे ये सारे दोष दूर हो सकें। मेरे मित्र श्री गांधी ने कुछ सार्थों के गठबन्धन का जो उल्लेख किया, उस सम्बन्ध में मुझ केवल इतना ही कहना है।

मैं केवल भारत बीमा समवाय और उसकी जीवन निधि का उल्लेख कर रहा हूं। मैं अभी कह रहा था कि १०३ लाख रुपय टाइम्स आफ इंडिया का भवन खरीदने में

और ४७ लाख रुपये नाहुर सम्पत्ति तथा सीमेंट मारकेटिंग को० से डालमिया की कुछ अन्य सम्पत्ति खरीदने में भारत बीमा समवाय ने जीवन निधि से निकाल कर खर्च किये । यह बताया गया कि सरकार न कोई कार्यवाही नहीं की और सरकार केवल दो वर्ष बाद ही पूर्व स्थिति में आ सकती ह, किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है । जैसे ही हमें वह सूचना मिली, हम ने अपने वकीलों से राय ली कि क्या इस मामले में कोई व्यवहार दायित्व अथवा दण्ड दायित्व है । यदि हम से यह कहा जाता कि इसमें दण्ड दायित्व है, तो हम तुरन्त ही कार्यवाही करते । हमारे वकीलों ने इसको मना कर दिया । व्यवहार दायित्व के बारे में भी उन्होंने मना कर दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार और उस के वकीलों के बीच क्या राय कायम हुई, यह उस समय तक नहीं बतानी चाहिए, जब तक व्यवहार न्यायालय से पैसा न मिल जाये । वकील और सरकार दोनों ही बदल सकते हैं ।

श्री एम० सी० शाह : मैं केवल उस आरोप का उत्तर दे रहा हूं कि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है । सरकार ने जो कार्यवाही की, उसके बारे मे मैं अभी बता रहा था । जब हमको यह सलाह दी गई कि कोई भी व्यवहार दायित्व अथवा दण्ड दायित्व नहीं है, तो हम ने ५२क के अधीन एक प्रशासक नियुक्त करने की कार्यवाही की, किन्तु तब हम को यह बताया गया कि शोलापुर स्पिनिंग मिल्ज़ के मामले के निर्णय के आधार पर यह शक्ति के परे समझा जायेगा । अतः, उसके तुरन्त बाद ही जब संविधान के अनुच्छेद ३१ का संशोधन होता था, तो हमने धारा ५२क भी प्रस्तुत कर दी, ताकि उसको शक्ति के परे न बता दिया जाये । उस समय क्योंकि हम धारा ५२क के अधीन कार्यवाही, अथवा व्यवहार या दण्ड कार्यवाही, नहीं कर सके, अतः हमने बीमा-पत्र-धारियों के हितों की रक्षा करने के लिये इन लोगों को इस बात के लिये बाध्य किया कि वे उस सौदे को पलट दें । बेनेट कोलमैन एण्ड को० उस सम्पत्ति को १०३ लाख रुपये में खरीदने के लिये राज़ी हो गया यद्यपि कुछ वर्ष बीत चुके थे और सम्पत्ति का मूल्य गिर गया था । हमने उनको किश्तों में रुपये देने का विकल्प दे दिया, क्योंकि उस समय नक़द रुपया नहीं था । साथ ही, वह सम्पत्ति उस समय तक भारत बीमा समवाय के नाम में रही जब तक सारी किश्तें नहीं दे दी गईं और कुछ लाख रुपयों की कमी के बदले में लगभग ५० लाख रुपये की मशीनरी और चल सम्पत्ति भारत बीमा समवाय के पास धरोहर के रूप में रख दी गई । हम को १० लाख रुपये मिल चके हैं और ९३ लाख रुपये शेष हैं किन्तु किश्तों का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है और हम पूर्णतः निश्शंक हैं, क्योंकि भवन भारत बीमा समवाय के नाम में है । भारत बीमा समवाय उस भवन को बेनेट कोलमैन एण्ड को० को तभी देगा, जब सारी रक़म का भुगतान कर दिया जायेगा । हम ४ प्रतिशत के हिसाब से ब्याज ले रहे हैं ।

४७ लाख रुपये की अन्य सम्पत्ति के बारे में भी हमने डालमिया को इसके लिये बाध्य किया है कि वह उस सम्पत्ति को पुनः खरीद ले और किश्तों में भुगतान किया जा सकता है । उस रुपये की प्रतिभूति देने के लिये डालमिया ने २५ लाख रुपये की कीमत के २५०,००० अंश भारत बीमा समवाय के पास धरोहर के रूप में रख दिये हैं और अन्तिम बातचीत में जे० डालमिया, साहू जैन लिमिटेड तथा अन्य व्यक्तियों ने यह भी प्रत्याभूति दे दी है कि यदि कोई कमी रहती है, यद्यपि उसकी कोई संभावना नहीं है, तो वह भी पूरी की जायेगी ।

[श्री एम० सी० शाह]

अतः हमने सारी सम्भव कार्यवाही की है और हमने १५० लाख रुपये की यह रकम वापिस लेकर बीमा पत्र धारियों की रक्षा की है। कुछ वैधानिक और संवैधानिक कठिनाइयों के कारण हम उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सके, और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये हमने संविधान (संशोधन) विधेयक की अनुसूची में धारा ५२क और जोड़ दी है।

लगभग २२० लाख रुपये के अपकरण और आरोपित ग़बन के बारे में सभा को यह जान कर खुशी होगी कि जैसे ही हमें यह सूचना मिली, हमने इसकी जांच शुरू कर दी। चार या पांच दिन के अन्दर ही हमने एक निरीक्षक नियुक्त कर दिया और उस निरीक्षक ने यह बताया कि कुछ प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में २२० लाख रुपये तक की कमी थी।

उसके तुरन्त बाद ही सरकार ने दांडिक कार्यवाही करने का निर्णय किया तथा २५ सितम्बर, १९५५ को मुख्य अधिकारी श्री रामकृष्ण डालमिया गिरफ्तार किए गये। सभा इस बात की प्रशंसा करेगी कि सरकार ने अत्यन्त शीघ्रता से कार्यवाही की और दस या बारह दिन के अन्दर ही कदम उठाया गया। उसके पश्चात् फिर हम पालिसी वालों के हितों की रक्षा भी करना चाहते थे। उस समय कुछ रक्में भारत बीमा कम्पनी के खाते में बैंकों में जमा की गईं थीं और १,८०,५०,००० रुपये दिवालिया मुख्य अधिकारी से प्राप्त करना बाकी था। फिर हमने देखा कि दिवालिये से संबंधित संपत्तियां भी या तो उसी के नाम में या बेनामीदार के नाम में, बाकी थीं। पालिसी वालों के हितों की रक्षा करने तथा दिवालिये, बेनामीदार या उसके नामनिर्देशितों से—चाहे वे कोई भी हों इन रक्मों को वसूल करने के लिये हमने तुरन्त ही इस अध्यादेश के संबंध में सोचा और यह अध्यादेश जारी किया गया। १५ व्यक्तियों पर निषेधात्मक (रोक) आदेश जारी किये गये और तत्पश्चात्, जैसा कि सभा भली भांति जानती है, हमें १,८०,५०,००० रुपये नकदी में मिला। मेरे मित्र श्री साधन गुप्त तथा दूसरी ओर के कुछ अन्य सदस्यों ने शंका की कि स्वेच्छा से किये गये अवैधानिक हस्तान्तरण के कारण कुछ भिन्न परिणाम होगा। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि पुलिस की जांच जारी है और उस मामले को तेजी से चलाया जायगा ताकि दिवालिया व्यक्ति अपने को दोषी मान लें। मैं इस बात को व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि इस अध्यादेश की क्या आवश्यकता थी और यह संशोधक विधेयक क्यों आवश्यक था। असाधारण परिस्थितियों के कारण असाधारण उपाय अत्यन्त आवश्यक थे।

मेरे मित्र श्री तुलसीदास ने कहा कि कदाचार थोड़े और कभी कभी हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा, बीमा कम्पनियों में इतने अधिक कदाचार प्रचलित हैं कि सरकार के लिये कड़ी कार्यवाही करना आवश्यक है। मैंने अभी अभी कहा कि हमने कुछ कंपनियों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है और जिस क्षण ही हमारी सूचना में यह बात आयेगी कि उन गरीब बीमा पालिसी वालों से संबंधित आजीवन कोषों का दुरुपयोग किया गया है, हम एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। इसलिये जब ऐसी चीजें घटित होती हैं तो हमें कुछ असाधारण कार्यवाही करनी होती है। इसलिये, प्रारम्भ में, जब हमने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव किया था तो मैंने कहा था कि हम अधिक शक्तियां ले रहे हैं। हम इन विस्तृत तथा असाधारण शक्तियों को जान बूझकर बीमा-पालिसी-धारियों के हितों की रक्षा करने के लिये ले रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस असाधारण कार्यवाही के करने में समस्त सभा हमारा समर्थन करेगी।

बीमा के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न संयोगवश उठाया गया था। मैं उस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु मेरे मित्र श्री तुलसीदास ने उस कार्य के करने में गैर-सरकारी क्षेत्र की रक्षा करने का प्रयत्न किया। कुछ अन्य सदस्यों ने कहा कि इन बुराइयों का एकमात्र इलाज राष्ट्रीयकरण है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मैंने इस विषय पर उत्तर देते हुए पहले ही सभा में कह दिया है कि सरकार उस मामले की तेजी से जांच कर रही है। इस प्रश्न का निर्णय गुणों और अवगुणों के आधार पर किया जायगा। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिरूप को स्वीकार कर लिया है और जो भी कदम सरकार उठाएगी वह समाज के उस समाजवादी प्रतिरूप के लक्ष्य को कार्यान्वित करने के लिये होगा। जब सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ऐसा कदम देश के सर्वोत्तम हित में है, या समाज के समाजवादी प्रतिरूप के कार्यान्वयन की ओर एक कदम आगे बढ़ा रहा है या उसे कार्यान्वित करने जा रहा है तो सरकार उस कदम के उठाने में एक मिनट के लिय भी नहीं रुकेगी। इसलिये, इस मामले के कारण, राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर चर्चा नहीं की जानी चाहिये। राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर चर्चा उसके गुणावगुण आधार पर की जायगी। मेरे लिये इस विषय पर अधिक कहना आवश्यक नहीं।

श्री फीरोज गांधी द्वारा एक न्यायिक जांच आयोग का निर्देश किया गया। मैं सभा को सूचित करूंगा कि वित्त मंत्री के पास इन व्यापार संस्थाओं के विभाजन के संबंध में अनेकों प्रकार की जानकारी हैं। वह उन सबको देख रहे हैं और यदि कोई कदम आवश्यक समझा गया तो वित्त मंत्री बिना एक मिनट की भी देरी के आवश्यक कदम उठायेंगे। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं केवल सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस समस्या के प्रति यथेष्ट रूप से जागरूक हैं और हम चाहते हैं कि ये समस्त कदाचार या इन कदाचारों के करने वाले यथाशीघ्र दंडित किये जायें।

अब मैं एक दूसरी बात की ओर भी निर्देश करूंगा जिसने, संभव है, कुछ अस्पष्टता अथवा रहस्यात्मक वातावरण उत्पन्न कर दिया हो और वह दो न्यासों—योगिराज और भृगुराज न्यासों के संबंध में है। आज मुझे वे प्रतियां अपने मित्र श्री फीरोज गांधी से प्राप्त हुई हैं।

जैसाकि सभा को भली भांति ज्ञात है और जैसा कि प्रत्येक वकील जानता है, श्रीमान्, आप भी जानते हैं कि समस्त देश में पूर्त न्यासों का निर्माण कतिपय पूर्त प्रयोजनों के लिये किया जाता है। ये पूर्त न्यास उन न्यास लेखों में उल्लिखित प्रयोजन के लिये कतिपय संपत्ति भी धारण करते हैं और प्राप्त करते हैं। इन पूर्त न्यासों के होने से कोई खराबी नहीं है जब तक कि वे कपट पूर्ण न हों। यदि व कपटपूर्ण हैं तो विधि के अनुसार कार्यवाही ही होनी चाहिये। परन्तु चूंकि कोई पूर्त न्यास है, चूंकि कतिपय सम्पत्तियां अर्जित की जाती हैं और चूंकि इन न्यासों से कुछ व्यक्ति न्यासधारियों के रूप में संबंधित हैं मैं नहीं समझता कि कोई आपत्तिजनक बात है। माननीय सदस्यों ने उन व्यक्तियों के नाम जानन चाहे जिनके नाम मेरे मित्र ने नहीं बताय। मैंने उन न्यासों से पाया कि उनमें मेरे दो सहयोगी हैं—श्री जगजीवन राम और श्री सत्य नारायण सिन्हा। वे १९४९ में न्यासधारी बनाए गये थे। परन्तु मैंने उनसे पूछताछ की है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि उन्होंने एक भी बैठक में भाग नहीं लिया है, वे उन न्यासों के प्रशासन के संबंध में कुछ नहीं जानते; वे प्रबन्धकर्त्ताओं के संबंध में कुछ नहीं जानते। वर्ष १९५२ में उन्होंने उन न्यासों की न्यासधारिता से त्यागपत्र दे दिय थ। इस कथन से कोई अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि उन न्यासों पर दो न्यासधारी थे। मैं उस मामले पर अधिक नहीं कहना चाहता परन्तु इस दृष्टि से कि कोई

[श्री एम० सी० शाह]

गोपनीयता न रहें जिससे तनिक भी शंका पैदा हो, मैंने ये पूछताछ की और उसका उल्लेख इस सभा के सदस्यों के समक्ष करना उचित समझा ।

इसलिये मैं समझता हूं कि सभा मुझ से सहमत होगी कि प्रशासक को विस्तृत शक्तियां प्रदान करने के लिये ऐसा विधेयक अत्यन्त आवश्यक था । मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार का इरादा इन शक्तियों का निरंकुश प्रयोग करने का नहीं है । परन्तु ये शक्तियां हमने ली इसलिये हैं कि कभी कभी ऐसे दिवालियों द्वारा ली गई रकमें वसूल करना कठिन हो जाता है जो किसी बीमा कम्पनी के प्रबन्धकर्त्ताओं में होते हैं । जैसा मैंने कहा, इन व्यक्तियों द्वारा ७७,५०,००० रुपये हड़प कर लिये गये हैं, जिन पर सत्र न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, और उनसे रकमें वसूल करना हमारे लिये बहुत कठिन हो गया है; और हम इस संबंध में विधि संबंधी मत ले रहे हैं कि उन रकमों को कैसे वसूल किया जाये । यदि हमारे पास उन दिवालिया अधिकारियों की सम्पत्तियां कुर्क करने की शक्ति होती तो हम उन रकमों को वसूल करने में समर्थ रहे होते ।

इसलिये बीमा-पालिसी धारियों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से यह परम आवश्यक हो जाता है कि प्रशासक को ये असाधारण शक्तियां प्रदान की जायं जिनका प्रयोग केवल तभी किया जायगा जबकि उसे इसका पूर्ण संतोष हो जाय कि उसे उनका प्रयोग करना चाहिये । प्रशासक की नियुक्ति तभी की जाती है जब कतिपय अनियमितताये, या कोष के कतिपय अनुचित प्रयोग या बीमा-कोष की घटती हो जाती है । धारा १०६ के अन्तर्गत, जैसी कि वह आज है, हमें वे शक्तियां प्राप्त हैं परन्तु हमने देखा कि वे बीमा पालिसी धारियों के हितों की रक्षा के लिये पर्याप्त नहीं थीं । उनके हाथ में बीमा-पालिसी धारियों की करोड़ों की रकमें रहती हैं । इसलिये यदि कोष का कोई अनुचित प्रयोग या विनियोजन होता है तो निश्चय ही हमें धारा १०६ के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों की उन रकमों की पूर्तियों के लिये न्यायालय में जाने के पूर्व कुर्क करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये । इसलिये हमने ये समस्त शक्तियां सोच विचार करने के बाद ही ली हैं । हमने यह भी प्रावधान किया है कि जब प्रशासक प्रतिषधात्मक आदेश जारी करेगा तो वे तीन महीने के लिये प्रभावी होंगे और उस अवधि के अन्दर उसे धारा १०६ के अन्तर्गत उन निधियों को वापस पाने के लिये प्रार्थनापत्र के साथ अवश्य न्यायालय जाना चाहिये । यदि वह नहीं जाता तो वे आदेश निश्चय ही खत्म हो जायंगे ।

साथ ही हमने यह भी प्रावधान किया है कि १४ दिन के अन्दर वह व्यक्ति, जिसकी सम्पत्ति कुर्क की जाय, सरकार से अपील कर सकता है और सरकार निश्चय ही प्रदान की गई समस्त संभव जानकारी पर विचार करेगी, और यदि सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुर्की का आदेश लागू नहीं रहना चाहिये, तो वह तदनुसार आदेश जारी करेगी । परन्तु यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुर्की का आदेश सर्वथा उचित है तो न्यायालय यह निर्णय करेगा कि वह उचित है या नहीं ।

चूंकि हम असाधारण शक्तियां ले रहे हैं, चूंकि यह बहुत पेचीदा मामला है, और चूंकि इसमें साक्ष्य की बड़ी सावधानी से छानबीन की आवश्यकता है, इसलिये हमने उच्च न्यायालयों को क्षेत्राधिकार दिया है । मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव यह कह रहे थे कि वे पहले ज़िला न्यायालय में जा सकते हैं, फिर उच्च न्यायालय में और फिर सर्वोच्च न्यायालय में । यदि हम ऐसी लम्बी प्रक्रिया रखें तो मैं नहीं जानता कि गरीब बीमा पालिसी धारियों का भाग्य

क्या होगा और वे पालिसी के परिपक्व होने पर अपनी पालिसी प्रस्तुत कर भी सकेंगे या नहीं । इसलिये मैं सभा से गरीब पालिसी धारियों के हितों के कारण निरत होने का अनुरोध करूंगा । और जब वे इन शक्तियों को लेते हैं तो उन्हें सरकार का विश्वास करना चाहिये क्योंकि इन शक्तियों का प्रयोग केवल बीमा पालिसी धारियों के लाभ के लिये किया जायगा । कोई भी मनमानी कार्यवाही नहीं की जायगी और किसी को नहीं सताया जायगा । परन्तु जो दिवालिये व्यक्ति हैं उन्हें अपनी कार्यवाही, अपराधी अथवा अन्यथा, के लिये दंड भुगतना चाहिये ।

मैं समझता हूं कि मैंने उठाए गए समस्त प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और मैं आशा करता हूं कि सभा अब इस विधेयक पर विचार करेगी ।

श्री मोहन लाल सक्सैना (जिला लखनऊ ब जिला बाराबंकी) : क्या मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न कर सकता हूं ? आज सरकार के विरुद्ध एक आरोप लगाया गया है । मैं समझता हूं १९५३ के लगभग श्री वैद्यनाथ अय्यर, लेखा परीक्षक द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये प्रतिभूतियां भारत बीमा कम्पनी के पास गत पन्द्रह वर्षों से नहीं थीं । क्या यह सत्य है कि उन्होंने वैसी सूचना दी है ? क्या यह भी सत्य है कि उन्होंने कोई भी प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री एम० सी० शाह : हमारे पास वैसी कोई सूचना नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे विषय हो सकते ह जिनके संबंध में बीमा के नियंत्रक के पास जानकारी हो । मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री माननीय सदस्यों को ऐसी कोई भी सूचना भेज देंगे जो वे चाहते हों । माननीय सदस्य माननीय मंत्री को लिखकर समस्त सूचना प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री मात्तन : मुझे यह सुनकर सान्त्वना मिली कि बीमा पालिसी धारियों के हितों की रक्षा की गई है । परन्तु मैं माननीय मंत्री से आश्वासन चाहूंगा कि क्या भारत बीमा कम्पनी का ६ करोड़ रुपए का आजीवन कोष सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य सुरक्षित विनियोजनों में परिनियम के अनुसार विनियोजित किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कम्पनी के कोष की पूर्ण सुरक्षा कर दी है ? यह है प्रश्न संख्या १ ।

प्रश्न संख्या २ यह है कि. . .

श्री एम० सी० शाह : एक बार में एक ही प्रश्न करिये अन्यथा मैं उसे भूल जाऊंगा ।

भारत बीमा कम्पनी का आजीवन कोष लगभग ७ करोड़ रुपये है । इसमें से केवल लगभग १·५० करोड़ रुपये दस वर्ष की किश्तों में वसूल किए जायेंगे । हम १० लाख रुपय वसूल कर चुके हैं और वह रकम सुरक्षित है; आजीवन बीमा की अन्य रकमें भी बीमा अधिनियम में विनिहित तरीके से विनियोजित की जायंगी ।

श्री ए० एम० थामस : (एरणाकुलम्) : कुछ समय पूर्व वित्त मंत्री ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा था कि अभी तक बीमा के राष्ट्रीयकरण के संबंध में गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया है । परन्तु आज राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री ने कहा कि उस विषय पर तेजी से विचार हो रहा है । मैं इस मामले में स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री एम० सी० शाह : मैंने गत कुछ महीनों में अनेक बार कहा है कि इस विषय की सरकार तेजी से जांच कर रही है ।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पि) : किन्तु गम्भीरता से नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : 'तेजी' और 'गंभीरता' एक चीज है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : माननीय मंत्री ने उन मंत्रियों की ओर से प्रतिवाद करने का प्रयत्न किया था जिनके नाम इस योगीराज न्यास में सम्मिलित हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस न्यास द्वारा 'एलन बेरीज़' या उससे सम्बद्ध किसी अन्य व्यापार संस्था के अंशों के क्रम दिये जाने के पहिले ही त्याग-पत्र दे दिया था ?

श्री एम० सी० शाह : मैं पहिले ही कह चुका हूं कि उन दो मंत्रियों को कार्य-प्रबन्ध के संबंध में कोई जानकारी न थी, उन्होंने किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया था, और उन्हें विनियोजनों या अंशों या वैसी किसी बात की किसी प्रकार की कोई जानकारी न थी। उन्होंने १९५२ में त्यागपत्र दिये थे। मंत्रियों की ओर से प्रतिवाद करने का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने तथ्यों का उल्लेख किया है। मैं कहता हूं कि पूर्त न्यासों में देश के बहुत से प्रसिद्ध व्यक्ति सम्मिलित हैं। मैं बहुत से ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों को जानता हूं जो पूर्त न्यासों के न्यासी हैं। अतः, मैं कहता हूं कि उनके सार्व-जनिक पूर्त न्यासों के न्यासी होने की कोई बात आपत्तिजनक या ऐसी न थी जिसपर कोई आपत्ति की जा सके।

श्री यू एम० त्रिवेदी : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन न्या-सियों ने, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिये हैं, सेवा-मुक्ति की न्यायालय से अनुमति ले ली है ?

श्री एम० सी० शाह : इस मामले का संबंध उन लोगों से है जो न्यासी थे। सभा इन बातों की क्यों चिंता करे ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमें यह मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहिये। इसका विधेयक से कोई संबंध नहीं है।

श्री के० के० बसु : मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अपना विचार निश्चित करने दीजिये। श्री फीरोज गांधी ने कहा था कि डालमिया द्वारा दिये १०,००० रुपये के अंशदान, या चन्दा या दान से एक न्यास बनाया गया था।

श्री फीरोज गांधी : दो न्यास।

उपाध्यक्ष महोदय : उन दोनों में से प्रत्येक ने ८ लाख रुपये तक के अंशों का क्रय किया था। उन्होंने कहा था कि दो व्यक्ति हैं-- एक स्वयं डालमिया है। प्रायः ये न्यास-धनाढ्य व्यक्तियों द्वारा बनाये जाते हैं। उनमें कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ अन्य लोग तथा वे जान बूझकर कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों से यह कह कर कि न्यास एक पूर्त संस्था है यह प्रार्थना करते हैं कि वे न्यास से अपना नाम सम्बद्ध कर दें। वे प्रसिद्ध व्यक्ति उनका विश्वास करके अपने आपको न्यास से सम्बद्ध कर देते हैं और बाद में उससे अलग हो जाते हैं। देश के कुछ बड़े आदमियों की यह अभागी स्थिति है। उन मंत्रियों ने १९५२ में त्यागपत्र दे दिये थे। जब एक बार एक विधेयक पुरः-स्थापित हो जाता है, तो क्या सारा संसार वाद विवाद का विषय बन जाता है ? मेरा ख्याल है कि पर्याप्त पूछा जा चुका है और पर्याप्त कहा जा चुका है।

श्री के० के० बसु : मेरा तात्पर्य यह है कि क्या मंत्री महोदय ने न्यासियों के उत्तर-दायित्व व दायित्व के बारे में महान्यायावादी का मत जान लिया है ? सामान्यतया देश की सामान्य विधि के अनुसार सारे न्यासी संयुक्त रूप में तथा पृथक् पृथक् न्यास की ओर से की जाने वाली प्रत्येक कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होते हैं। उन तीन वर्षों की कार्य-वाही के लिये इन दो मंत्रियों के दायित्व के बारे में क्या बात है ? उन्होंने १ करोड़ ८० लाख रुपये का उल्लेख किया था जो उन्हें १५ वर्ष में किस्तों में मिलेगा।

श्री एम० सी० शाह : इस १ करोड़ और ८० लाख रुपये के बारे में वास्तविकता यह है कि यह राशि १ करोड़ और ५० लाख रुपये की है। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है

कि १ करोड़ और ३ लाख रुपये से भारत बीमा कम्पनी ने 'टाइम्स आफ इंडिया' की इमारत मोल ली थी। मैं ने कहा था कि जब-तक यह पूर्ण धन राशि नहीं लौटाई जाती, तबतक भारत बीमा कम्पनी 'टाइम्स आफ इंडिया' की इमारत की स्वामी रहती है। फिर, १०३ लाख रुपये में से १० लाख रुपये का किस्त में भुगतान हो चुका है। यदि संपत्ति का मूल्य लगभग ४० लाख रुपये घट जाता है, तो भी धन सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इमारत के अतिरिक्त ५० लाख रुपये के मूल्य की मशीन, जो बेनेट कोलमेन एण्ड कम्पनी लि० की है, विधानीय दस्तावेज़ के अन्तर्गत भारतबीमा कम्पनी के पास गिरवी रखी गई है। जहां तक "नादूर" संपत्ति का संबंध है, वहां भी हमने श्री डालमिया के जयपुर उद्योग कम्पनी लि० के २,५०,००० अंश ले लिये हैं, जिनके आज भी, यदि विक्रय किया जाये तो लगभग २७ लाख रुपये मिल जायेंगे। इन सारी धन राशियों के भुगतान होने तक वह सम्पत्ति भी भारत बीमा कम्पनी की सम्पत्ति है। इस सब के अतिरिक्त, हमने जे० डालमिया, साहू जैन लि० तथा एक और से यह प्रत्यभूति (गारन्टी) ले ली है कि यदि इन सारी प्रति-भूतियों और संपत्तियों के होते हुए भी कमी पड़ती है, तो वे उसकी पूर्ति करेंगे।

दूसरे प्रश्न के बारे में, हमारा संबंध भारत बीमा कम्पनी की जीवन निधि से है। हमारा सबंध इन न्यासों की संपत्तियों से नहीं है। सरकार को भारत बीमा कम्पनी की जहां कहीं जीवन निधि हो देखनी होगी और यदि इन न्यासों का कोई दायित्व है, तो न्यासी उनका ध्यान रखेंगे। हम उसकी चिन्ता क्यों करें ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:-

"कि बीमा अधिनियम, १९३८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा खंडबार विचार करेगी।

खंड २- (नई धारा ५२ खख का रखा जाना)

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पृष्ट २, पंक्ति १ में "three months' "["तीन मास"] के बाद "or for such further period as the Central Government may decide" "या आगे उतनी कालावधि के लिये जितनी कि केन्द्रीय सरकार निश्चित करे" जोड़िये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री के० के० बसु : प्रस्तावित उपधारा ५२ खख प्रशासक को यह अधिकार देती है कि वह तीन मास के लिये सम्पत्तियां कुर्क कर सकता है। सारी बात यह है कि प्रशासक को तीन मास में यह निश्चय करना चाहिये कि वह न्यायालय में अभियोग चलाये या न चलाये। मैं कहता हूं कि यह निश्चय करने के लिये कि प्रबन्ध निदेशक, निदेशक या प्रबन्धक ने अपकरण या दुष्करण की कार्य-वाही किस सीमा तक की है। यह काल बहुत कम है। अत: मैंने श्री एन० बी० चौधरी के साथ यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि यदि आवश्यक हो तो केन्द्रीय सरकार समय बढ़ा सकती है।

श्री एम० सी० शाह: हमने इस मामले पर बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार किया था। एक बार हमने विचार किया था कि उसे तीन मास से अधिक समय मिले परन्तु फिर, जैसा कि यहां संकेत किया गया है, हम प्रशासक को अधिक समय नहीं देंगे। क्योंकि जब कभी ५२ क के अन्तर्गत कार्यवाही करनी होती है, प्रशासक नियुक्त करने के लिये आदेश देने से पहिले वे सारे मामले हमारे सामने अवश्य होने चाहियें। अत: प्रशासक

[श्री एम० सी० शाह]

यह जान सकेगा कि जीवन निधि में कोई कमी हुई है या नहीं या अपकरण द्वारा या अन्यथा कोई हानि हुई है या नहीं । अतः, प्रशासक, नियक्त होते ही या एक पक्ष के भीतर वे रोक लगाने वाले आदेश जारी कर सकेगा । इसके बाद, १४ दिन के भीतर प्रभावित होने वाले लोगों को सरकार के पास आने का अधिकार होगा और सरकार को भी बहुत जल्दी विनिश्चिय करना चाहिये । इस लिये कि यह काम शीघ्र हो, इसलिये कि प्रशासक सावधान रहे और इसलिए कि सरकार भी आदेश देने में बहुत सावधान रहे, हमने तीन महीनों का उपबन्ध किया है । अन्यथा, हमें यह संशोधन स्वीकार करने में बड़ी प्रसन्नता होती ।

श्री क० क० बस : दुष्करण समाप्त करने के लिये सामान्य बीमा विधि में पर्याप्त उपबन्ध है । परन्तु तथ्य कुछ और ही है । वह कहते हैं कि तीन मास पर्याप्त हैं परन्तु ऐसे मामले हैं जहां बड़े आदमियों के मामले में अधिक समय लगता है । मैंने यह नहीं कहा है कि आप ६ मास का नियम बना दें । मेरा कहना तो केवल यह है कि जिन मामलों को सरकार, जटिल समझे, उनमें समय बढ़ा दिया जाये ।

श्री य० एम० त्रिवेदी : सरकार ने यह संशोधन प्रशासक की सहायता करने या राष्ट्र को उन धोखेबाजों के फंदों से, जिन्होंने राष्ट्र को धोखा दिया है, बचाने की इच्छा से किया है, परन्तु यह उद्देश्य विधि की वर्तमान भाषा होते हुए पूरा न होगा । सब से अच्छी कार्यवाही यह की जा सकती थी कि सरकार बीमा के इस नियंत्रक से अपने कर्त्तव्यों का सक्रिय पालन करने के लिये कहती । यदि यह नियंत्रक अपने कर्त्तव्यों के प्रति सजग होता तो यह स्थिति उत्पन्न न होती ।

एक ओर तो आप कहते हैं कि आप ५२ कक का उपबन्ध करके संपत्ति के उपभोग पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं । आप कहते हैं कि आप संपत्ति को कुर्क कर लेंगे और तीन महीने तक कुछ भी नहीं किया जाना चाहिये । साथ ही, आपने यह उपबन्ध भी रखा है कि किसी न्यायालय में भी कोई कार्यवाही न की जाय । क्या आप गम्भीरता पूर्वक यह सुझाव दे रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों को जो अधिकार दिये गये हैं उनको इन उपबन्धों द्वारा छीना जा रहा है ।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती पीठासीन हुईं]

आप यह कह सकते हैं कि उपधारा (३) में यह उपबन्ध किया गया है कि प्रशासक एक आदेश देकर किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति के, जिसे वह उस उपधारा के अन्तर्गत कुर्की-योग्य समझे, हस्तान्तरण अथवा अन्य किसी प्रकार से बच देने पर प्रतिबन्ध लगा सकता है ।

इसलिये, आप प्रशासक को जो अधिकार देना चाहते हैं, वे निरंकुश ह, और यदि प्रशासक पूर्णतया ईमानदार न हुआ तो क्या होगा ? पूरा शासन-यंत्र रुपया एठने का यंत्र बन जायगा इसलिये यह आवश्यक ह कि उसी प्रकार की कुछ प्रारम्भिक जांच अवश्य की जानी चाहिये, जैसी आप अनुच्छेद ३११ के अन्तर्गत किसी निश्चित बेईमान अधिकारी के विरुद्ध किया करते हैं ।

मैं इस सम्पूर्ण धारा ५२ कक का विरोध करता हूं, और इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिये । जब आप प्रत्येक ऐसे अधिकारी को, जिसे आप बेईमान समझते हैं, एक अवसर देते हैं, तब किसी व्यापारी की कुर्की कराने से पहले उसे भी इसी प्रकार का अवसर क्यों नहीं देना चाहते हैं ? क्या सरकार यही चाहती है कि हम यह बात पहले से ही मान लें कि प्रत्येक व्यापारी बेईमान है, बदमाश है, उसकी कोई नैतिकता ही नहीं है ? यदि हम यही मान लें तब तो यह धारा ठीक है;

अन्यथा मेरा निवेदन है कि हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिये कि सम्पूर्ण देश और विशेष रूप से उसके व्यापारिक पहलू पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एक प्रश्न स्पष्ट रुप से पूछा गया था और उस पर मंत्री महोदय ने यह बताने की कृपा की थी कि सरकार संपूर्ण बीमा व्यवसाय का ही राष्ट्रीयकरण कर देने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। यदि यही विचार है, तो फिर इस बीमा अधिनियम की क्या आवश्यकता है? केवल यही कह दीजिए कि बीमा व्यवसाय अब सरकार द्वारा ही चलाया जायगा। परन्तु यदि आपका रंचमात्र भी यह विचार हो कि निजी क्षेत्रों को बीमा व्यवसाय चलाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाये, तब फिर इस प्रकार की विधि बनाना और सीमित बीमा समवायों के पूर्ण अधिकारों पर आघात करना संविधान के अनुकूल नहीं है।

धारा १०६ के संबंध में भी यही बात है। आप पुलिस-अधिकारों और अनुच्छेद ३१ (१) के अन्तर्गत संपत्ति पर अधिकार कर लेने के अधिकार में विभेद नहीं कर पाये हैं। अनुच्छेद ३१ (१) और (२) के अन्तर्गत मिलने वाले अधिकार बिल्कुल भिन्न हैं। यदि आप अनुच्छेद ३१ (२) के अन्तर्गत यह अधिकार लेना चाहते हैं और साथ ही पुलिस अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहते हैं, तब भी यह विधि अच्छी नहीं है। मुझे आशा है कि एक व्यक्ति द्वारा उत्पन्न की गयी परिस्थिति के कारण ही यह विधि नहीं बनायी जा रही है। यह उन सभी के लिये बनायी जा रही है जो जालसाजी कर के निर्धन व्यक्तियों का रुपया हड़प लेना चाहते हैं। इसलिये यह विधि किसी एक व्यक्ति को लक्ष्य करके नहीं, वरन् सम्पूर्ण देश में वर्त्तमान बुराइयों को दूर करने के लिये बनायी जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अब भी यह सुझाव देता हूं कि आप धारा ५२ कक को निकाल दें।

श्री एम० सी० शाह : मैं इस संशोधन को नहीं स्वीकार कर सकता। मुझे खेद है कि श्री त्रिवेदी ने सम्पूर्ण विधेयक का ही विरोध किया है परन्तु मेरा विचार है कि उन्होंने सामान्य रूप से ही अपनी बातें कही हैं। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता वैसे ही मैं सभा का काफी समय यह बताने में ले चुका हूं कि यह विधेयक क्यों अत्यावश्यक है। कभी मैं वकालत करता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की सम्मति पर १९३६ के आसपास मुझे उस व्यवसाय को छोड़ना पड़ा था। और आज श्री त्रिवेदी के भाषण को सुनकर मुझे प्रसन्नता ही हुई है। श्री त्रिवेदी ने आज बहुत सारी बातें कहीं हैं, इतनी सारी कि जिन्हें केवल एक वकील ही कह सकता था। लेकिन, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था, हम कार्यवाही करना चाहते हैं, और वह भी शीघ्रता से और हम राह में पड़ने वाली हर कठिनाई पर पार पाने के लिये कटिबद्ध हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, धारा ५२ क की नियमानुकूलता पर आपत्ति की जा रही थी और उसे संविधान से शक्ति परस्तात् बताया जा रहा था, उस समय हमने शीघ्रता से संशोधित अनुच्छेद ३१ की अनुसूची में धारा ५२ क को रखकर उस कठिनाई को दूर किया था। इसलिये, मेरे माननीय मित्र को इस संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी इच्छा साफ है कि बीमा कराने वाले निर्धन व्यक्तियों के समस्त हितों की रक्षा की जानी चाहिये, और इसीलिये हमने ये विशेषाधिकार लिये हैं। मैं नहीं समझता कि हम उनको कम कर सकते हैं। हमने इन अधिकारों को जानबूझ कर ही बीमा (संशोधन) विधेयक के अन्तर्गत ग्रहण करने का निश्चय किया है।

मैं श्री बसु के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि हम इन विशेषाधिकारों को इसीलिये ग्रहण कर रहे हैं जिससे कि इस बारे में प्रशासन को जागरूक रहना चाहिये, सरकार को जागरुक रहना चाहिये और इसीलिये हमसे इसमें तीन मास की अवधि निर्धारित कर दी

[श्री एम० सी० शाह]

गई है । उन्होंने अपने संशोधन के पक्ष में कुछ उदाहरण दिये हैं, लेकिन मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि यदि वह बीमा-कम्पनियों की अन्य निधियों के दुरुपयोग, दुरप्रयोग, या गबन के कोई मामले मेरे ध्यान में लायें तो सरकार द्वारा शीघ्र ही उस पर कार्यवाही की जायेगी और की गई कार्यवाही की सूचना भी उनको भेज दी जायेगी ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४—(धारा १०६ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

सभापति महोदय : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि वास्तव में मुखबन्ध को पहले ही लागू किया जाना चाहिये था किन्तु मैं उन्हें दो मिनट का समय दूंगा जिससे कि वह अपनी बात कह सकें और एक सदस्य को तृतीय वाचन के अवसर पर पांच मिनट बोलने के लिये मिल सकें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ ६ में पंक्ति ३१ के पश्चात् यह रख दिया जाये कि उप-धारा (६) के अधीन आदेश से पीड़ित व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह व्यवहार न्यायालय में इस बात का अभियोग चला सकेगा कि संपत्ति की कुर्की नहीं हो सकेगी ।

सामान्य मामलों में जब न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति की जाती है तो आपत्ति करने वाले को प्रमाण देना होता ह और यदि उसकी आपत्ति स्वीकार नहीं कीजाती ह तो उसे व्यवहार न्यायालय में एक नियमित अभियोग चलाने की अनुमति दी जाती है । यह विधेयक इस अधिकार को छीनता है । मेरा निवेदन तो यह है कि यह केवल प्रक्रिया का ही प्रश्न नहीं है । पहले तो एक तृतीय व्यक्ति की, जिसका कम्पनी से कोई सरोकार नहीं होता है, संपत्ति कुर्क करली जाती है तो उसे आपत्ति दायर करनी होगी और प्रमाण का भार उसी पर रहेगा । यदि उसे इस में सफलता नहीं मिलती है और वह नियमित विधि न्यायालय में जाता है तो उस समय प्रमाण का भार तृतीय व्यक्ति पर न रहकर दूसरे पक्ष पर रहेगा क्योंकि साधारणत: आपत्ति कर्त्ता को संपत्ति का मालिक समझा जाता है और प्रमाण का भार उन्हीं पर रहेगा जो अपना दावा सिद्ध करना चाहते हैं । किन्तु इस मामले में उसे नियमित अभियोग चलाने की अनुमति नहीं है । उसके दावे का निर्णय संक्षेप में विचार करके किया जाना होता है । यह तृतीय व्यक्ति के, जिसका कम्पनी से कोई संबंध नहीं है, अधिकार के ले लिये जाने का प्रश्न है, ऐसा करना अन्याय है ।

मैं माननीय मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि बीमा-पत्र-धारी सुरक्षित रहें, साथ ही तृतीय व्यक्ति के जिसने १० वर्ष पहले संपत्ति क्रय की थी, अधिकारों पर भी कुठाराघात न हो । उन्हें न्यायालय में अभियोग चलाने की अनुमति नहीं है । यह विधेयक अपचारी व्यक्तियों के संबंध में तो ठीक हो सकता है किन्तु तृतीय व्यक्ति के संबंध में नहीं । अत: मेरा कहना यह है कि यह विधेयक सर्वथा अन्यायपूर्ण है, इस कारण मेरा निवेदन है कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाये । मैं अपने अन्य संशोधनों को समय के अभाव के कारण प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया ।

श्री एम० सी० शाह : मुझे खेद है कि मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता । मैंने इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और अपने सलाहकारों से परामर्श भी किया है । इस पर अनेक आपत्तियां हैं । यदि मुझे दो-तीन मिनट का समय दिया जाये तो मैं उन सभी आपत्तियों को पढ़कर सुनाऊंगा और माननीय सदस्य को यह विश्वास हो जायेगा कि इन आपत्तियों के कारण सरकार के लिये इस संशोधन को स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

पहले तो हमने उच्च न्यायालयों को क्षेत्राधिकार दिया है, क्योंकि, जैसा कि मैं कुछ समय पहले बता चुका हूं, यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें कुछ अधिकारों का निश्चय किया जाना है । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि संभव है कि कोई खरीदारी १० वर्ष पूर्व की गई हो । निश्चय ही उसे उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा सुनवाई किये जाने का अधिकार होगा । यदि वह चाहे तो वह सभी साक्ष्य, जो वह ला सकता है, उच्च न्यायालय के सम्मुख रखे जा सकते हैं और इस मामले का निबटारा करने के लिये जिला न्यायाधीश का व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश की अपेक्षा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अधिक उपयुक्त होगा । अतः माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करना उचित नहीं होगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या आप उच्च न्यायालय को ऐसे अभियोग लेने की अनुमति देने के लिये तैयार हैं ? उच्च न्यायालय तो पहले संक्षेपतः निर्णय करेगा ।

श्री एम० सी० शाह : इन सभी प्रश्नों का निर्णय उस राज्य का उच्च न्यायालय करेगा जिसमें बीमा कराने वाले का प्रधान कार्यालय स्थापित है । इसका उल्लेख मैंने कल किया था जबकि माननीय सदस्य ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया था । अतः यदि संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो यदि उच्च न्यायालय यह निश्चय करता है कि अमुक मामला धोखे से हस्तांतरण करने का है अथवा कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति के पास बेनामी रूप से है और यदि सम्बन्धित व्यक्ति किसी अभियोग को लेकर व्यवहार न्यायालय में जाता है तो व्यवहार न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के निर्णय पर अपना निर्णय देना पड़ता है । इस प्रकार बाहुल्य हो जाने से बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न हो जायेगी । ऐसे अभियोग बहुत कम होते हैं और दिन प्रतिदिन ऐसा नहीं हुआ करेगा । इस प्रकार के मामले बहुत ही कम होंगे जिनको ५२ ख ख के अधीन निबटाया जावेगा ।

यदि मैं विभिन्न कारणों का विश्लेषण करूं तो इसमें १०–१५ मिनट का समय लग जायेगा । मैं सभा का इतना समय लेना नहीं चाहता । इस बात पर पूर्ण रूप से विचार किया गया था और इसका निर्णय ज़िला न्यायाधीश अथवा व्यवहार न्यायालय द्वारा कराये जाने के बजाय हमने जान-बूझ कर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को रखा है । अतः मैं महसूस करता हूं कि इस संशोधन का होना आवश्यक नहीं है और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री बंसीलाल (जयपुर) : मैंने भी एक संशोधन की पूर्व सूचना दी थी ।

श्री एम० सी० शाह : मैंने उस संशोधन को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि उन्होंने उसकी सूचना आज ही दी थी ।

सभापति महोदय : कार्यसूची में अचानक परिवर्तन कर दिये जाने से आज स्थिति बदल गई है । इस कारण माननीय सदस्य का संशोधन अनियमित घोषित कर दिया गया है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने ।"
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड़ दिय गये ।

श्री एम० सी० शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :
"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्री वी० जी० देशपांडे : बीमा-पत्र-धारियों के हितों की रक्षा करने वाले सभी उपबन्धों के सम्बन्ध में यह सभा सरकार का समर्थन करेगी । सरकार का कार्य केवल इतना ही है कि वह जैसा भी उचित समझे नियम बना दे उसके पश्चात् अभियोग के न्यायालय में जाने पर निर्णय करना न्यायालय के हाथ में है । वह जैसा उचित समझे निर्णय करे । हम सरकार को असाधारण शक्ति दे सकते हैं । हमें किसी भी प्रन्यास में किसी मंत्री के प्रन्यासी बन जाने पर कोई आपत्ति नहीं है । जहां तक डालमिया का सम्बन्ध है, जब तक न्यायालय उसे अपराधी घोषित न कर दे तब तक हमें उसे अपराधी नहीं समझना चाहिये । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । डालमिया से बड़े बड़े लोगों को यहां तक कि मंत्रिमंडल के स्तर के व्यक्तियों को उससे सहायता मिलती रही है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि स्वयं यह प्रन्यास डालमिया को कुछ व्यापारिक सार्थों का प्रबन्ध कर रहा था । मैं ऐसा कह कर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा रहा हूं । मेरे कहने का तात्पय केवल इतना है कि किसी भी पूंजीपति के विरुद्ध तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती है जब तक कि वह सत्तारूढ़ दल का विरोध नहीं करता है । इसी कारण तो हमें यह आशंका होती है कि ऐसे बहुत से पूंजीपति हो सकते हैं जिन को केवल इसी नीति के कारण कोई दण्ड नहीं दिया जा रहा है । इसीलिये हम सरकार को और भी अधिक शक्तियां देने को तैयार हैं किन्तु हम यह नहीं चाहते कि किसी भी भ्रष्टाचारी या अपराधी को दण्ड देने में किसी प्रकार की कानूनी रुकावट पड़े । सभा का भी यही मत है । अतः मैं माननीय मंत्री से इस सम्बन्ध में आश्वासन चाहता हूं ।

मैंने उनसे एक निश्चित प्रश्न पूछा था कि ट्रापिकल इन्श्योरेंस कम्पनी और जुपिटर इन्श्योरेंस कम्पनी पर जितना धन बाकी था उसे वसूल करने के लिये क्या कोई प्रयत्न किये गये हैं । भारत इन्श्योरेंस कम्पनी के मामले में कार्यवाही की गई है किन्तु प्रश्न यह है कि क्या अन्य सार्थों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है ।

मुझे यह भी बताया गया था कि १,८०,००,००० रुपये सरकार को दिये जा रहे थे, किन्तु बहुत समय तक इस रुपये को स्वीकार नहीं किया गया । इससे बहुत से बीमा-पत्र-धारियों को हानि 'उठानी पड़ी होगी । मेरे विचार से बिना किसी दाण्डिक दायित्व के इस धन राशि को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये था । यदि श्री डालमिया अपराधी सिद्ध हों तो उन्हें फांसी दे देने तक में मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु सरकार की किसी ग़लती के कारण किसी बीमा-पत्र-धारी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिये । हमने बहुत से विशिष्ट प्रश्न पूछे थे किन्तु उनका उत्तर नहीं दिया गया । अतः हम को यह आशंका

हो रही है कि यद्यपि यह शक्ति पूंजीपतियों के अपराध का पता लगाने के लिये दी गई है किन्तु इसका उपयोग कहीं दल के कार्यों के लिये न किया जाये और वास्तव में जो अपराधी हैं उनको दंड न दिया जाय ।

श्री एम० सी० शाह : माननीय सदस्य ने कहा है कि बहुत समय तक हम ने १,८०,००,००० रुपये की राशि को स्वीकार नहीं किया था । यह कहना ठीक नहीं है । सर्वप्रथम जब श्री डालमिया ने यह धन-राशि देनी चाही थी तो उस में कुछ शर्त थी । उस से पूर्व एक अन्य व्यक्ति ने इस धन राशि को देना चाहा था । उस का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं था । किन्तु हम केवल अपचारी व्यक्ति से ही व्यवहार करना चाहते थे और क्योंकि यह राशि किसी शर्त पर दी जानी थी इसलिये हम ने उसे स्वीकार नहीं किया । जैसे ही हमें बिना किसी शर्त और स्वेच्छा से यह धन राशि देने के लिये कहा गया, हम ने उसे इस बात को स्पष्ट करते हुये स्वीकार कर लिया कि यदि पुलिस की जांच-पड़ताल के परिणामस्वरूप आपराधिक दायित्व निश्चित किया गया तो इस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः हम ने इस बात का ध्यान रखा है कि बीमा-पत्र-धारियों के हितों की रक्षा हो । यदि किसी हित को लेने की आवश्यकता पड़ी, तो हम वह भी करेंगे । यदि अग्रेतर जांच किये जाने पर प्रशासक को यह पता लगता है कि श्री डालमिया पर कुछ और धन-राशि बाकी है, तो वह भी उसे देनी होगी । उसके लिये भी हम ने तीन पक्षों से गारंटी ले ली है, जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं । अतः यह आरोप सर्वथा निराधार है कि सरकार इस धन को पहले स्वीकार करने में हिचकिचाई थी और बीमा-पत्र-धारियों के हितों की सुरक्षा नहीं की गई थी । ट्रापिकल इन्श्योरेंस कम्पनी तथा अन्य कम्पनियों से जितना भी धन वसूल किया जाना है, उसे वसूल करने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किये जायेंगे । अभी तक ये कठिनाइयां थी किन्तु अब जबकि उन कठिनाइयों को दूर कर दिया गया है, मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि जहां कहीं भी कोई चूक होगी, उसे हम जो शक्ति हमें दी गई है, उससे दूर कर देंगे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि दिल्ली में भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि इस विधेयक पर चर्चा के लिये छः घंटे नियत किये गये हैं, और जिस प्रकार के संशोधन मझे प्राप्त हुए हैं उन को देखते हुए मैं यह समझती हूं कि कुछ सदस्यों के मस्तिष्क में इस विधेयक के वास्तविक तात्पर्य के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्ति उत्पन्न हो गई है । म इस बात का बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि यह छोटा सा विधेयक एक अन्तरिम उपाय के रूप में उस बेतरतीब निर्माण कार्य को रोकने के लिये है जो इस समय दिल्ली में हो रहा है और जिससे स्वास्थ्य मंत्रालय विशेषरूप से बहुत आशंका की दृष्टि से देखता रहा है । इस समय दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि के प्रशासन से सम्बन्ध रखने वाले बहुत से प्राधिकार हैं । इसका परिणाम यह हुआ है कि दिल्ली की आवास समस्या के सम्बन्ध में उचित तरीके से कोई प्रभावपूर्ण कार्यवाही करना सम्भव नहीं हो सका है । दिल्ली के लिये एक सर्वोत्तम योजना पहले बनाई जाया करती थी, किन्तु अब वह वास्तव में जिस प्रकार निर्माण कार्य हो रहा है उसके कारण समाप्त हो गयी है

[राजकुमारी अमृतकौर]

अतः इस मामले में कोई शीघ्र और प्रभावपूर्ण कायवाही करने के लिये, मैंने केबिनेट के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा था कि विद्यमान अनेक प्राधिकारियों के बदले दिल्ली के नगरीय क्षेत्रों का आयोजन और विकास करने के लिये केवल एक ही प्राधिकार होना चाहिये। इस प्राधिकार की रचना का प्रश्न सभा के सम्मुख है। सभा ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है और एक विधेयक तैयार किया जा रहा है। मैं इस विधेयक के समझे जाने की प्रार्थना करती हूं। वास्तव में अन्तरिम प्राधिकार संबंधी यह विधेयक यह बताता है कि नया विकास प्राधिकार १ जनवरी, १९५७ से कार्य करना प्रारम्भ करेगा, अतः यह उपाय एक अल्पकालीन उपबन्ध है। जैसा कि मैं कह चुकी हूं इसे इसलिये प्रस्तुत किया गया है जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में बेतरतीबी से बनाये जा रहे मकानों के निर्माण को रोका जा सके। यह अनियमित निर्माण कार्य दिल्ली के नक्शे और उसके समुचित विकास को खराब कर रहे हैं।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि केवल वही मकान जो कि अक्तूबर, १९५५ की नियंत्रित क्षेत्र अधिसूचना की तिथि के पश्चात् प्राधिकार की अनुमति के बिना बनाये गये हैं, गिरा दिये जायें। जो मकान पहले से बने हुए हैं और जो अध्यादेश की तिथि से पहले बन कर तैयार हो गये थे। चाहे वे प्राधिकृत रूप से बनाये गये थे अथवा अनधिकृत रूप से बनाये गये थे, उन पर यह विधेयक लागू नहीं होगा। प्रस्थापित अस्थायी प्राधिकार न तो भूमि का विकास करना है और न भूमि का विक्रय ही करेगा; और न ही वह किसी गन्दी बस्ती को अपने अन्तर्गत लेगा। मेरे विचार में यदि ये बातें स्पष्ट कर दी जायें, तो जिन सदस्यों ने संशोधन भेजे हैं वे समझ जायेंगे कि जो बातें उन्होंने उठाई हैं वास्तव में वे बातें तो उत्पन्न ही नहीं होती हैं। जब तक कि प्रस्तावित दिल्ली विकास प्राधिकार की स्थापना नहीं हो जाती है ये सब बातें दिल्ली सुधार प्रन्यास अथवा किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसका कि भूमि पर स्वामित्व हो, की जाती रहेंगी। अतः मेरा अनुरोध है कि आज जितनी भी बातें उठाई गई हैं वे सब उस समय उठाई जायें जबकि दिल्ली विकास प्राधिकार की नियुक्ति से सम्बन्धित वास्तविक विधेयक सभा के सामने लाया जाये। उस अध्यादेश की जो, कल ही प्रख्यापित किया गया है कोई भी अवज्ञा न कर सके इसके लिये उस प्राधिकार को बाधित न किया जाये स्वभावत इस प्राधिकार से वह शक्ति नहीं ली जा सकती है और न ली ही जानी चाहिये।

जहां तक कई अवसरों पर दिये गये प्रत्यक्ष व परोक्ष आश्वासनों का सम्बन्ध है, उनका प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार द्वारा जो भी नियम बनाये गये हैं, वे भविष्य के भवन निर्माण सम्बन्धी विकास के विषय में हैं, अतः अभी तक सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते हैं। यदि विधेयक ठीक ढंग से पढ़ा गया होता तो यह बातें भली भांति समझ में आ गई होतीं।

खण्ड१९ के अन्तर्गत प्राधिकार के दिन प्रतिदिन के कार्यों सम्बन्धी नियम आवेदन पत्र की प्राप्ति से २ मास की सूचना देने तथा ऐसी ही अन्य सम्बद्ध बातों के विषय में व्यवस्था करेंगे। यह प्राधिकार ३१ दिसम्बर, १९५६ तक कार्य करेगा। मैंने कहा था जनवरी १९५७ तक। परन्तु वास्तव में यह ३१ दिसम्बर, १९५६ तक ही होगा। जहां तक उच्च न्यायालयों में अपील आदि का सम्बन्ध है आप जानते ही हैं कि उसका क्या तात्पर्य है। वे केवल असफल ही रहेंगे, क्योंकि इतने थोड़े से समय में कोई भी ऐसी बात नहीं की जानी है जिससे कि किसी व्यक्ति पर बरा प्रभाव पड़े।

एक संशोधन यह था कि 'अन्य यन्त्र' शब्द हटा दिये जायें । मैं इस संशोधन के प्रस्तावकों को यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं हूं कि 'अन्य यन्त्रों' का अर्थ पानी के मीटर आदि जैसी वह वस्तुएं हैं जिनका कोई निश्चित उल्लेख नहीं किया गया है । इसमें पानी के मीटर, बिजली के मीटर आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनकी किसी न किसी प्रकार के कार्य के लिये आवश्यकता पड़ती है । 'अन्य यन्त्र' शब्दों में ये छोटी छोटी वस्तुयें सम्मिलित हैं और स्वभावतः इनको विधेयक के प्रवर्त्तन से बाहर रखा जाना चाहिये ।

एक और संशोधन यह है कि इस समिति में संसद् के सदस्यों में से चुने हुए दो सदस्य होने चाहियें । मैं इस सुझाव को सहर्ष स्वीकार करती हूं । यदि संसद् सदस्य दिल्ली में रुचि रखते हैं, तो मैं प्रसन्नता से लोकसभा के दो सदस्यों का स्वागत करती हूं । एक और संशोधन रखा गया है कि दिल्ली विधान सभा के सदस्यों में से चुने गये दो सदस्य भी इस समिति में होने चाहियें । वास्तव में दिल्ली राज्य सरकार के दो प्रतिनिधि पहले ही उसमें सम्मिलित कर लिये गये हैं । और उनको सरकार ने नाम निर्देशित किया है । किन्तु अब यदि इस सभा की यह इच्छा है कि उनका नाम निर्देशित दिल्ली विधान सभा द्वारा किया जाना चाहिये, तो मैं इस बात को मानने को तैयार हूं; किन्तु राज्य सरकार के उन दो प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और दो प्रतिनिधि नहीं लिये जा सकते हैं । या वे दो प्रतिनिधि रह सकते हैं या विधान सभा के दोनों प्रतिनिधि रह सकते हैं उन दो में से एक लोक सभा के सदस्य हैं और दूसरे वर्तमान दिल्ली राज्य सरकार के मंत्री हैं । यदि यह सभा यह चाहती है कि दिल्ली विधान सभा द्वारा दो निर्वाचित सदस्य लिये जाने चाहियें, तो यह इन पहले वाले दोनों सदस्यों के स्थान पर ही होंगे ।

मैं इस सभा को जहां तक दिल्ली सुधार प्रन्यास का सम्बन्ध है फिर एक बार आश्वासन देना चाहती हूं । क्योंकि मुझे ज्ञात है कि कई सदस्यों का यह विचार है कि इसने कई ऐसी बातें की हैं जो इसे नहीं करनी चाहिये थीं । इसने कई इमारतों को गिरवा दिया है और उन्हें वैकल्पिक स्थान नहीं दिया है आदि । हमने यह तर्क कई बार सुना है । यद्यपि मैं यह नहीं कहती कि सुधार प्रन्यास (इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट) एक संस्था निर्दोष संस्था रही है और इसका कोई अपराध नहीं है तथापि मैं यह अवश्य कहूंगी कि इसने कभी इमारतें नहीं गिरवाई हैं, यह कभी अपने आश्वासनों से पीछे नहीं हटा है और न इसने कभी लोगों को बिना वैकल्पिक स्थान दिये हटने के लिये कहा है, चाहे वह गन्दी बस्तियों के क्षेत्र हों अथवा दूसरें क्षत्र हों । जहाँ तक सुधार प्रन्यास का प्रश्न है यह आश्वासन अब भी जारी है और जारी रहेंगे ।

मैं विश्वास करती हूँ कि जो कुछ मैंने कहा इसे ध्यान में रखते हुए यह विधेयक सभा के बहुमूल्य समय में से आधे घंटे से अधिक समय नहीं लेगा । मेरी दृढ़ निष्ठा है कि क्योंकि यह अस्तव्यस्त निर्माण कार्य को रोकने के लिये केवल एक अन्तरिम प्राधिकार ही है, अतः सभा इस विधेयक को शीघ्र ही पारित कर देगी ।

श्री गिडवानी (थाना): क्या मैं यह ठीक समझा हूं कि यह विधेयक इससे पहले बनी हुई इमारतों पर लागू नहीं होगा ?

राजकुमारी अमृत कौर : नहीं । यह भविष्य में बनाई जाने वाली इमारतों पर लागू होगा । यदि हम इसी प्रकार बेतरतीबी से इमारतों को बनते रहने दें जैसे कि वह इस समय बन रही हैं—में यहां पर सरकारी और निजी इमारतों में कोई भेद नहीं करती हूं—तो हमारे द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने से पूर्व दिल्ली बरबाद हो जायेगी ।

श्री मोहनलाल सक्सेना (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी) : क्या मैंने माननीय मंत्री के आशय को ठीक समझा है कि अब बन चुकी

[श्री मोहन लाल सक्सेना]

हुई अनाधिकृत इमारतों में भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा ?

राजकुमारी अमृत कौर : नहीं, वे इस अन्तरिम विधान के अन्तर्गत नहीं आती हैं । मैंने समिति में लोक सभा के दो सदस्यों का रखा जाना स्वीकार कर लिया है । और फिर दिल्ली व नई दिल्ली की नगरपालिकाओं के सभापति भी समिति में हैं और दिल्ली के भी दो प्रतिनिधि होंगे अतः मैं समझती हूँ कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे किसी को परेशानी हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

यह सोचकर कि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होगा इसको ६ घंटे दिये गये थे । किन्तु जैसा कि कहा गया है कि यह विधेयक अस्थायी व्यवस्था के रूप में एक वर्ष तक के लिये रहेगा । और यदि इस विधेयक का वर्तमान इमारतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वे विधिपूर्वक बनाई गई हों अथवा अन्यथा, और इससे केवल भविष्य में बनाई जाने वाली इमारतों का ही विनियमन होगा तथा एक नियमित स्थायी प्राधिकार बाद को बनाया जायेगा तो क्या मैं सभा से पूछ सकता हूं कि क्या हम इस ६ घंटे के समय को घटा कर दो घंटे अथवा उससे कुछ कम कर दें ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : परम्परा यह है कि जब एक बार समय का आवंटन कर दिया जाता है और यदि चर्चा उससे पहले ही समाप्त हो जाती है तो शेष समय स्वतः अगले विधेयक के लिये रख दिया जाता है । मेरा विचार है, कि सभा में एक नया प्रस्ताव रखने के स्थान पर हम पुरानी परम्परा के अनुसार ही चलते रहें क्योंकि जब कोई और वक्ता बोलते ही नहीं रहते हैं तो यह समाप्त हो जाता

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मेरा अनुरोध है कि कार्य मंत्रणा समिति ने समय का आवंटन किया है, अतः वही इसे कम कर सकती है, जब तक कि यहां चर्चा समाप्त न हो जाये अथवा सभा स्वतः समय कम करने के लिये सहमत न हो । अब, यह बड़ा विवादास्पद प्रश्न है कि विधेयक का क्षेत्र क्या है । जहां तक इस विधेयक के क्षेत्र का सम्बन्ध है मैं किसी मंत्री के आश्वासन को नहीं मान सकता हूं । मैं तो इस विधेयक की शब्दावलि को स्वीकार करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : निस्संदेह, यह बात सभा पर निर्भर है । इस बात से कि यह विधेयक वर्तमान इमारतों पर लागू नहीं होता है भाषण स्वभावतः छोटे ही होंगे और इस प्रकार यदि समय बच जायेगा तो ठीक है । अतः अब इस विषय को बढ़ाना अनावश्यक है । माननीय मंत्री के वक्तव्य से पहले मैं सभा का विचार जानना चाहता था कि कितना समय सामान्य वाद-विवाद के लिये दिया जाये और कितना संशोधनों आदि के लिये । क्या जो माननीय सदस्य वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं अपने स्थानों पर खड़े होने की कृपा करेंगे । ११ सदस्य हैं ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : और जो अनुपस्थित हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुपस्थितों के लिय भी कुछ व्यवस्था कर दूंगा । अतः दो घंट खंडवार चचा के लियें और आधा घंटा तृतीय वाचन के लिय रखा जाता है ।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) : मैं इस विधयक का समर्थन करता हूँ । पिछले कई वर्षों से दिल्ली का बड़ी तेजी से विकास हो रहा है । फिर भी बड़े खेद की बात है कि दिल्ली जैस ऐतिहासिक नगर में अभीभी गंदी बस्तियां हैं । यद्यपि सरकार इमारतों के बतरतीब निमाण को रोकने का प्रयत्न कर रही है फिर भी कई **अधिकरण**

यत्र-तत्र अपनी मनमानी कर रहे हैं। यदि सरकार इनकी दशा सुधारना चाहती है तो केवल एक ही प्राधिकार को यह सब काय सौंपा जाना चाहिये और उसे अस्त व्यस्त निर्माण कार्यों को रोकने की शक्ति-प्राप्त होनी चाहिये ।

जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है यह विधेयक केवल भावी निर्माण-कार्यों का ही नियन्त्रण करगा। किन्तु इसमें कहा है कि पहले दिये हुए सभी आश्वासन वैस ही रहेंग। किन्तु कार्यपालिका द्वारा उन आश्वासनों का पूर्णतया पालन नहीं किया गया है। अतः दिल्ली की जनता बहुत असन्तुष्ट हैं और उस अनावश्यक कष्ट उठाने पड़ रहे हैं।

यह एक अन्तरिम व्यवस्था है और सरकार की इच्छा है कि एक वर्ष क बाद एक पूर्णरूपेण विधयक प्रस्तुत किया जाय। मरा अनुमान ह कि यदि कोई एसा प्राधिकार नियुक्त किया जायगा तो दिल्ली और नई दिल्ली के प्राकृतिक और स्वस्थ विकास म बड़ी सहायता मिलेगी। मैं ऐसे विधेयक की राह देख रहा हूं। किन्तु मुझे आशंका है जिस प्राधिकार को हम अब नियुक्त कर रहे हैं यह दिल्ली सुधार-प्रन्यास से किसी भी भांति अच्छा नहीं होगा।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री न अभी अभी कहा है कि दिल्ली सुधार प्रन्यास ने कई भूलें की हैं लोगों की आशा थी कि बिड़ला जाँच समिति की सिफारिशें पूर्णतः कार्यान्वित की जायेंगी। किन्तु मुझ निराशा क साथ कहना पड़ता है कि उनमें से अधिकांश को लागू नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री हमेशा यह कहती रही हैं कि सरकार भरसक कोशिश कर रही है किन्तु तो भी इधर उधर रहने वाले अनेकों व्यक्तियों को कोई राहत नहीं मिली है।

जब तक सरकार द्वारा दिल्ली के इर्द गिर्द के क्षत्रों में मकान बनाने की एक व्यापक योजना नहीं बनाई जाती है तब तक इस विधेयक को ठीक भांति से लागू करना बहुत कठिन होगा : अतः मुझे मालूम है कि यह प्राधिकार दिल्ली के सभी वर्गों के लोगों के लिये, जिन्हें रहने के लिये और अधिक जगह चाहिये और अधिक कठिनाइयां उत्पन्न कर दगा अतः मेरा यह संदेह ठीक ही प्रतीत होता है कि इससे अस्त-व्यस्त निर्माण कार्य तो रुक जायेगा किन्तु इसके साथ ही दिल्ली में निर्माण कार्य की गति धीमी पड़ जायेगी ।

यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मकान बनाना चाहता है तो यह प्राधिकार उसे सरकार से अनुमति प्राप्त करने से नहीं रोकता है। किन्तु मैं जानता हूं कि यदि कोई व्यक्ति नगर के बाहरी भागों में भी मकान बनवाना चाहता है तो उसे स्वीकृति लेने में महीनों और कई बार एक एक वर्ष तक लग जाता है। कई बार प्रविधिक कारणों से नक्शे अस्वीकृत कर दिये जाते हैं और फिर उन्हें स्वीकार कराने में बड़ी देर लग जाती है। आप भली-भाँति समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति सिर छिपाने के लिये थोड़ी सी जगह बनाना चाहता है उसके लिये इस देरी का क्या अर्थ होता है ।

उन साधारण व्यक्तियों को, जो शहर में या शहर के बाहर मकान बनाना चाहते हैं बहुत कठिनाई होगी। यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब कोई नकशा सुधार प्रन्यास या किसी भी नगरपालिका समिति को प्रस्तुत किया जाता है तब उसके स्वीकृत होने के मार्ग में अनक बाधायें उपस्थित होती हैं। यद्यपि सरकार यह चाहती है कि जनता अच्छे मकानों में आराम से रहे और मकान जल्दी बनें, तथापि मुझे खेद है कि यह विधयक उन लोगों के लिये जो नये मकान बनाना चाहते हैं कठिनाइयां ही प्रस्तुत करेगा, मैं आशा करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री इस बात को ध्यान में रखेंगी और ऐसी व्यवस्था करेंगी कि जो क्षत्र नियंत्रित घोषित किये जा चुके हैं, उनमें लोगों को मकान बनवाने में कोई कठिनाई न हो,

[श्री राधा रमण]

चाह इसके लिये कुछ अतिरिक्त व्यय ही क्यों न करना पड़े ।

यद्यपि यह कहा गया है कि यह विधयक एक अन्तरिम उपायमात्र है फिर भी मुझ लगता है कि इस प्राधिकार की संरचना कुछ ठीक नहीं है और जनता में इसक प्रति विश्वास उत्पन्न होना कठिन है । विधयक में उपबन्ध है कि दिल्ली के मुख्य आयुक्त इस प्राधिकार के अध्यक्ष होंगे । एक और भी उपबन्ध इस विधयक में है जिसक अनुसार इसमें केंद्रीय सरकार के तीन प्रतिनिधि रहेंग,—निश्चय ही व सब अधिकारी ही होंगे, फिर दिल्ली, नई दिल्ली नगरपालिका समितियों के और दिल्ली सुधार प्रन्यास के अध्यक्षों के अतिरिक्त दिल्ली राज्य सरकार के दो प्रतिनिधि होंगे । मैं देखता हूं कि उक्त सभी व्यक्ति अधिकारी हैं । स्थानीय निकायों क अध्यक्ष भी सरकार क प्रभावांतर्गत होत हैं और जन साधारण से संबंधित मामलों पर वे स्वतंत्र दृष्टिकोण रखना चाह कर भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि उन्हें सरकार का भय रहता है । अतएव मेरा ख्याल है कि उक्त प्राधिकार में और अधिक गैर-सरकारी व्यक्ति होने चाहिये यही मेरी इच्छा है . . .

श्री भागवत झा आजाद (पूर्निया व संथाल, परगना) : इच्छा नहीं मांग ।

श्री राधा रमण : ....कि अध्यक्ष कोई गैर-सरकारी व्यक्ति होना चाहिये । मैं यह भी देखता हूं कि उक्त प्राधिकार में इस सभा का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है । मेरा ख्याल है कि इस सभा के प्रतिनिधि के अभाव में उक्त प्राधिकार का महत्व अधिक नहीं रहेगा । यद्यपि यह विधेयक एक अन्तरिम उपाय है फिर भी अतीत का अनुभव और दिल्ली की जनता द्वारा अनुभूत निराशा पर विचार करते हुए, यह आवश्यक हो जाता है कि यह प्राधिकार ऐसा हो जिससे कि जनता में विश्वास उत्पन्न हो सके और जिस उद्देश्य के लिये प्राधिकार को स्थापित किया गया है उसकी पूर्ति हो सके ।

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जो कुछ कहा गया है उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि विधेयक में पहले दिये गये आश्वासनों को अछूता छोड़ दिया गया है । मैं यह जानने के लिये उत्सुक हूं कि ऐसे समय, जबकि क्षेत्रों को नियंत्रित क्षेत्र घोषित करने की अधिसूचना जारी कर रहा था, तब उस समय बन रहे मकानों या अधबने मकानों के बारे में यह विधेयक क्या कहेगा । ऐसे मकानों का क्या भविष्य होगा यह मैं नहीं जानता किन्तु यदि वे गिराये जाते हैं तो उनके गरीब मालिकों का क्या होगा ? ऐसी बातें हमनें पहले भी देखी हैं । इस मामले पर मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी से कुछ कह सकता हूं । कोई १२ या १५ वर्ष पहले, दिल्ली और नई दिल्ली के आसपास की भूमि के अर्जित किये जाने के लिये दिल्ली सुधार प्रन्यास ने अधिसूचना जारी की और वे अधिसूचनायें आज भी मौजूद हैं । उस समय उस क्षेत्र पर हजारों मकान बने और उसके बाद भी बने । दिल्ली सुधार प्रन्यास और यहां तक कि दिल्ली राज्य ने भी इस बारे नें कुछ नहीं कहा । लोग मकान बनवाने में पूंजी लगाते जा रहे हैं किन्तु इन मकानों का भविष्य क्या होगा यह वे नहीं जानते हैं । इस बात के बावजूद कि उनके पास पर्याप्त है वे मकान बनवाने में उसे खर्च नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें यह आशंका सदा रहती है कि भूमि अर्जन के लिये अधिसूचना कभी भी जारी की जा सकती है और उनके मकान उनसे छीने जा सकते हैं, या नष्ट किये जा सकते हैं ।किन्तु उक्त क्षेत्रों के सुधार के बारे में दिल्ली सुधार प्रन्यास द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया है । मेरे मतानुसार इन सभी मामलों पर सदन द्वारा समुचित विचार किया जाना आवश्यक है ।

मैं इस बात को अच्छी तरह अनुभव करता हूं कि इस आशय के विधेयक का स्वागत किया जाना चाहिये, क्योंकि हम नहीं चाहते कि

भारत का राजधानी और इस ऐतिहासिक नगर का सौंदर्य यत्रतत्र सभी प्रकार के बेतरतीबी से बने मकानों से नष्ट हो जाये। भवनों का निर्माण उचित तरीके से किया जाना चाहिये और इसके लिये एक प्राधिकार होना चाहिये। इसके साथ साथ, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, कि जो व्यक्ति नये मकान बनाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न उठानी पड़े।

[सरदार हुक्म सिंह पीठासीन हुए]

मैंने केवल कुछ सुझाव दिये हैं और मुझे आशा है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री उन पर विचार करेंगी। विधेयक में कहा गया है कि विधयक २२ अक्टूबर, १९५५ स जिस दिन अध्यादेश अस्तित्व में आया, लागू हुआ माना जायेगा। और १ जनवरी, १९५७ को उसका प्रभाव समाप्त होगा। मुझे विश्वास है कि आगामी आम चुनावों के कारण जनवरी १९५७ एक व्यस्त मास होगा। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक की कालावधि ६ माह या एक वर्ष बढ़ा दी जाये।

मैंने जो सुझाव दिये उनमें से कुछ अवश्य स्वीकृत होंगे ऐसी आशा मुझे है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मोहनलाल सक्सेना : मैं माननीय मंत्री से यह स्पष्ट कह दूं कि इस विधेयक से मैं प्रसन्न नहीं हूं क्योंकि छोटी रियायतें वृहत्तर सुधारों के मार्ग में रुकावट होती हैं। दिल्ली और समूचे भारत के लिये एक निश्चित व्यापक आवास नीति की आवश्यकता है। दिल्ली और उसके आसपास मकान बड़ी बेतरतीबी से बने हैं और इसके लिये सरकार उत्तरदायी है। दिल्ली सुधार प्रन्यास की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिये सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी तथा उक्त समिति ने परिश्रमपूर्वक जांच करके सिफारिशों सहित एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यद्यपि स्वास्थ्य मंत्री का कथन है कि सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है तथापि जो जानकारी मुझे है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि अधिकांश सिफारिशों को क्रियान्वय नहीं किया गया है।

इतना ही नहीं किंतु सरकार की नीति क्या रही है? जबकि देश में एक समाजवादी समाज की स्थापना का समर्थन किया जा रहा है उस समय भूमिके बारे में सरकार की नीति पूंजीवादी है। सरकार किराये नियंत्रित करना चाहती है और यह भी चाहती हैं कि किराया एक विशिष्ट सीमा से ऊपर न जाये। फिर भी जो मकान या मकान बनाने के लिये जिस भूमिखंड का नीलाम किया जाता है तब मकान या भूमिखंड जो व्यक्ति सबसे ऊंची बोली बोलता है उसे प्राप्त होता है। मुझे इसका कुछ अनुभव है। मैंने वित्त मंत्रालय से पत्रव्यवहार किया और मुझे खेद है कि "उच्चतम बोली वाले को भूमि" नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आखिर हमारे यहां समाजवादी समाज है और इसका अर्थ यह है कि किराया एक विशिष्ट सीमा से अधिक नहीं बढ़ना चाहिये। किन्तु जब सरकार ही उच्चतम बोली बोलनेवाले को भूमि बेचती है तब उसका अर्थ यह है कि भूमि का जो वास्तविक मूल्य है उससे अधिक देने के लिये लोग बाध्य होते हैं।

दिल्ली में, मैं जानता हूं कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जो गर्मीयों में आधीरात तक बाहर ही अपना समय व्यतीत करते हैं। इन लोगों को रहने की जगह नहीं मिलती है तब सरकार उनसे क्या आशा कर सकती हैं? यदि सरकार इन मकानों का एक नमूना सवक्षण करे तो उसे यह ज्ञात होगा कि प्रत्येक मकान में एक से अधिक परिवार रहते हैं जबकि उसम केवल एक ही परिवार ठीक तरह से रह सकता है। सरकार चुप रहती है और इस समस्या को हल करने का कोई उपाय नहीं बताती है। आवास के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये दिल्ली सुधार प्रन्यास के अध्यक्ष को यरोप भेजा गया था। उन्होंने डेढ़ वर्ष पूर्व अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जो अभीतक

[श्री मोहनलाल सक्सेना]

सरकारी अभिलेखों में पड़ा हुआ है । उक्त अध्यक्ष ने सिफारिश की थी कि सरकार की एक निश्चित आवास नीति होनी चाहिये और यही नहीं वरन् उन्होंनें यह भी सिफारिश की थी कि उच्चतम बोली बोलने वाले को भूमि बेचने की नीति को हमें सामाप्त कर देना चाहिये क्योंकि समाजवादी समाज के ढांचे से यह सर्वथा विरुद्ध है । इस प्रकार की प्रथा ब्रिटेन और जापान जैसे पूंजीवादी देशों में भी नहीं है । वहां भूमि का विक्रय किसी व्यक्ति के पास कितना धन है इस आधार पर नहीं वरन् उसकी आवश्यकता कितनी है इसपर निर्भर करता है । वित्त मंत्री से मेरी बातचीत हुई थी और जब मैंने उन्हें बताया कि दिल्ली में भूमि किस तरह बेची जा रही है तब उन्होंने इस बातपर कि, दिल्ली में भूमि की कीमत बंबई से अधिक है, आश्चर्य प्रकट किया था। सुधार प्रन्यास के सभापति के प्रतिवेदन का अध्ययन सरकार ने अभी तक नहीं किया है। मैं आशा करता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ किये जाने से पूर्व सरकार अपनी व्यापक आवास नीति घोषित करेगी और वह नीति समाजवादी होनी चाहिये । भूमि का विक्रय व्यक्ति की आवश्यकतानुसार होना चाहिये न कि उच्चतम मूल्य के आधार पर ।

अब यह कहा जाता है कि निर्माण कार्य को रोक दिया जायेगा। मैं, बेतरतीब निर्माण कार्य को रोक दिये जाने के पक्ष में हूं और इस बातपर मैं पिछले पांच वर्षों से जोर देता आ रहा हूं। मैन अपील की थी कि भूमि विकास को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के समान माना जाय । उसपर क्या कार्यवाही की गई है ? सरकार उच्चतम बोली बोलने वाले को भूमि बेचती ह और इस कारण भूमि का दाम बढ़ता है। ये समवायें, जिनका संबंध भूमि विकास से है, भूमि सस्ते दामों पर प्राप्त करती हैं और उसे पर्याप्त मुनाफे पर बेच देती हैं। सरकार भूमि के स्वामियों से इस आशय का समझौता कर सकती है । बाद में अपनी भूमि को खन्ड में विभाजित करके बेच सकते हैं। इससे भूमि के विक्रययोग्य हजारों खंड हो जायेंगे । इसलिये मेरा निवेदन है, कि जैसा कि श्री राधारमण ने बताया है, कि यदि यह अस्थायी प्राधिकार एक वर्ष के लिये ही बनाया जा रहा है, तो उसके बाद चुनाव होंगे जिसके एक वर्ष बाद तक सरकार के पास एक व्यापक विधान प्रस्तुत करने के लिये समय नहीं रहेगा । इसलिये मेरा सुझाव है कि यदि इस विधेयक का रखा जाना अपेक्षित ही है तो उसे ५ या छः मास के लिये रखा जाये किन्तु उससे पूर्व सरकार के पास एक व्यापक विधेयक होना चाहिये और उक्त प्राधिकार द्वारा दिल्ली का प्रश्न प्रभावपूर्ण तरीके से हल किया जाये ।

भवन निर्माण के लिये लोगों को कितना पैसा और समय खर्च करना पड़ता है यह मैं जानता हूं । नगरपालिका और सुधार प्रन्यास के पास आदर्श नकशे क्यों नहीं रखते हैं ? वे यह कह सकते हैं कि हमारे पास क, ख, ग और घ ये चार प्रकार के नकशे हैं और इन-इन स्थानों में केवल क प्रकार के मकान ही बनाये जायेंगे । यदि कोई व्यक्ति उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहता है या कोई अन्य नकशा चाहता है तो उसे धन व्यय करने दीजिये । किन्तु एसा नहीं किया जाता क्योंकि उसके पीछे निहित स्वार्थ काम करते हैं।

पिछले कुछ समय से मैं अपने इस सुझाव को, कि नई दिल्ली में दोमंजिले मकान क्यों न हों, कई बार दुहरा चुका हूं । नई दिल्ली में कई बंगलों में बड़े-बड़े लान हैं । इन बंगलों में लॉन क्यों हो जबकि हम जानते हैं कि हजारों व्यक्तियों के रहने के लिये स्थान नहीं हैं । आप कहेंगे कि ये लोग शहर के बाहरी हिस्सों में क्यों नहीं रहते ? किन्तु परिवहन और व्यापार का क्या होगा ? पाठशालायें कहां होंगी ? मेरा सुझाव है कि पुरानी और नई दिल्ली में ऐसे अनेकों भूमि खंड हैं जिन पर मकान बनाये जा सकते हैं।

मैं आपको बताऊं कि १९५० में एक विदेशी वस्तु विशेषज्ञ ने एक सुझाव दिया था। उसने प्रस्ताव किया था कि वह जमना के पुल से राजघाट तक की भूमि को बंबई के मैरीन ड्राइव क्षेत्र जैसी बना सकता था। उसने कहा था कि वह कुछ नहीं चाहता था और वह प्रति बीघा ५००० रुपये नजराना भी देने को तैयार था। उक्त प्रस्ताव प्रधान मंत्री को प्रेषित किया गया था और मेरा ख्याल है उन्होंने उसे किसी मंत्रालय को भेज दिया होगा। यह क्षेत्र एक हरी पट्टी के लिये रक्षित रखा गया था। हम इस क्षेत्रपर मकान क्यों न बनायें ? यदि राज्य सरकार को भी उक्त भूमि दे दी जाती तो वह कम से कम अपने मंत्रियों के लिये मकाम बना लेती। किन्तु अबतक कुछ भी नहीं किया गया है।

इसलिये इस विधेयक का समर्थन करने की मेरी इच्छा नहीं है तथापि मैं समर्थन करूंगा क्योंकि मैं विवश हूं। मैं चाहता हूं कि यह विधेयक ३१ मार्च, १९५६ तक ही सीमित रहे। जिससे कि सरकार एक व्यापक विधान प्रस्तुत करने को बाध्य हो। मैं इस ख्याल में था कि इस विधेयक पर अगले सत्र में चर्चा होगी। मैं इसके लिये तैयार तक नहीं था। स्वास्थ्य मंत्री का कथन है कि यह विधेयक एक अविवादास्पद विधेयक है और इसमें दस मिनट लगेंगे। मेरा सुझाव है कि खंड पुनः बनाये जायें। यदि इस तरह के नियम बनाये जायें कि जिस स्थान में जल निकास प्रणाली, विद्युत और जल न हो वहां मकान न बनाये जायें तो मेरे ख्याल में यह गलत बात होगी। ये सभी सुविधायें मैं भी चाहता हूं कि सब जगह हो। किंतु सरकार को यह जानना चाहिये कि कई शहर ऐसे हैं जहां इस समय जलनिकास प्रणाली नहीं है। यहां तक कि कई बड़े शहरों में भी यह व्यवस्था नहीं होती है। इसलिये हमें यह ज्ञात होना चाहिये कि हमारे पास क्या है, हम क्या करना चाहते हैं और हमारे साधन क्या हैं। इसलिये यदि दिल्ली को महाखंडों में विभाजित किया जाये तो अधिक अच्छा होगा। यदि अमुक-अमुक सेवायें उपलब्ध नहीं हैं तो मकान नहीं बनाने दिये जायेंगे, इस तरह के आदेश निर्मित करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि उक्त प्राधिकार यह आशा न करे कि समस्त क्षेत्र नई दिल्ली जैसा ही बसेगा। यदि सभी सेवायें उपलब्ध हो सकें तो ठीक ही है किन्तु जो लोग मकान बनाने जा रहे हैं क्या वे सभी इसके लिये समर्थ हैं ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसपर सरकार को विचार करना चाहिये।

सरकार केवल नियम ही नहीं बना रही है वरन उक्त प्राधिकार को नियम बनाने की शक्ति भी प्रदान कर रही है। पहले तो भारत सरकार नियम बनायेगी और बाद में प्राधिकार नियम बनायेगा। किंतु मैं चाहता हूं कि ये नियम भी संसद के समक्ष रखे जायें। यदि कोई बात ऐसी है जिसे लोग अवांछनीय समझते हैं तो नियमों में आवश्यक परिवर्तन करके उन्हें अविलंब संसद के समक्ष रखा जाना चाहिये।

मेरा एक और सुझाव भी है कि इस प्राधिकार में दिल्ली राज्य के सभी संसद् सदस्य क्यों न हों ? आखिर उन्हें वेतन तो नहीं दिया जावेगा। आप संसद् के दो सदस्य रख रहे हैं; सभी सदस्य क्यों न रखे जायें ? संसद् द्वारा यह विधान पारित किया जा रहा है। संसद् सदस्य जनता के विचारों का और संसद् के अन्य सदस्यों की इच्छाओं का अधिक उत्तम प्रतिनिधित्व कर सकेंगे।

मुझ दिल्ली की यह दशा देखकर कि एक मकान में कई-कई परिवार रहते हैं बड़ा दुख होता है। इंगलैंड में यदि किसी के पास एक मकान हो तो उसे एक और छोटी झोपंड़ी भी बनाने की अनुमति भी नहीं मिलती है किन्तु हमारे देश में कोई व्यक्ति धन खर्च करके चाहे जितने भी मकान बनाता चला जाय कोई रुकावट नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि दिल्ली में मकानों की समस्या न रहे, तो हमें यह निश्चित नीति बना लनी चाहिये कि जिस

[श्री मोहनलाल सक्सेना]

व्यक्ति के पास पहले से एक मकान हो, उसे और मकान न बनाने दिया जाये, ताकि वह भूमि और मकान बनाने का सामान दूसरे व्यक्तियों को मकान बनाने क लिय उपलब्ध हो सके ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि बेढंगे तरीके से बनाई जाने वाली इमारतों के निर्माण को नियमित करने और उसे रोकने के लिये एक प्राधिकार स्थापित करना ही इस विधेयक का उद्देश्य है । किन्तु इस अन्तरिम उपाय से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि वह कुछ महीनों में ही एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करें, जो इस बेढंगे तरीके से बनाई जाने वाली इमारतों के निर्माण का नवनियम करें और आवास समस्या को भी हल करें । मैं नहीं समझता कि इस ढंग से स्थिति में कुछ सुधार हो सकेगा, क्योंकि सुधार प्रन्यास के सभापति बहुत खर्च करके जर्मनी तथा अन्य देशों में जा चुक हैं और फिर इसका कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकला है । हम चाहते हैं कि उनके दौरे संबंधी प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाता, ताकि हम उनकी की हुई गवेषणा को जान सकते, किन्तु कुछ भी नहीं किया गया है । यदि हम सुधार प्रन्यास जैसा दूसरा प्राधिकार स्थापित करना चाहते हैं, तो इससे कोई समस्या भी हल नहीं होगी ।

इस विधेयक के कारणों और उद्देश्यों के विवरण में कहा गया है कि दिल्ली के नगरीय क्षेत्र के विकास और तत्संबंधी योजना के लिये एक ही प्राधिकार होना चाहिये । मकान बनाने का कोई तरीका नहीं है और मास्टर प्लैन को भी टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया है इसलिये मैं इस अन्तरिम उपाय का कोई उपयोग नहीं समझता ।

सभापति महोदय : कुछ माननीय सदस्य अध्यक्ष की ओर पीठ किय बैठ हैं, यह ठीक नहीं है । यदि वे बातें करना चाहते हैं तो वे सभाकक्ष में जा सकत हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र : जब यह विकास प्राधिकार स्थापित हो जाये, तो दिल्ली में आवास की अत्यधिक कमी का ध्यान रखते हुए, जो लोग मकान बनाना तो चाहते हैं किन्तु बढंगे तरीके से नहीं, उनको हैरान न किया जाये ।

मैं पूर्ववक्ता सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि नई दिल्ली में जिन लोगों के पास बहुत बड़े भूमिखंड और बंगले हैं, उन्हें अकेले परिवार के लिये बड़े-बड़े बंगले रखने का कोई अधिकार नहीं है जबकि सैंकड़ों परिबारों को केवल एक कमरे में ही निर्वाह करना पड़ता है । सरकार को इस प्रश्न पर खूब विचार करके कोई ऐसे ठोस सुझाव रखने चाहिये जिन्हें कार्यान्वित किया जा सके ।

मैं श्री राधा रमण के इस विचार का समर्थन करता हूं कि इस बोर्ड का सभापति कोई गैर सरकारी व्यक्ति होना चाहिये और यदि दिल्ली का कोई संसद् सदस्य भी इस बोर्ड का सदस्य हो तो अधिक उत्तम होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं फिर सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस समस्त प्रश्न पर विचार करके एक व्यापक विधान प्रस्तुत करें, ताकि मकबरों और गन्दी बस्तियों से भरा यह दिल्ली नगर एक सुन्दर नगर बन जाये ।

श्री नंदलाल शर्मा (सीकर):

नमोस्तु रामाय सतश्मणाय, देव्यै च तस्यै
जनकात्मजायै ।
नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्रा-
र्कमरुद्गणेभ्यः ।।

भवन निर्माण नियंत्रण विधेयक के उद्देश्यों से मैं सर्वथा सहमत हूं । माननीया स्वास्थ्य मंत्रिणी महोदया ने जिस दृष्टिकोण से जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर आगे आने वाले विधेयक को उपस्थित किया है उस दृष्टिकोण से पूर्णतया सहमत होते हुए भी मेरा विश्वास है कि इस विधेयक के द्वारा विशेष

लाभ होने वाला नहीं है। इसके कारण यह हैं। पहली बात जो हमें इस विधेयक के स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एंड रीजन्स (उद्देश्य और कारणों के विवरण) में बतलायी गयी है वह है एकतंत्र शासन स्थापित करना। इस समय दिल्ली नगरपालिका, नई दिल्ली नगरपालिका, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (सुधार न्यास) और कई कमेटियां (समितियां) काम कर रही हैं, उन सबके कार्यों को एक तंत्र में बांधने के लिए एक प्रावीजनल आथारिटी (अस्थायी प्राधिकारी) एक अस्थायी संस्था, नियुक्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि यह प्रावीजनल आथारिटी कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें वही सारे के सारे मिलकर इकट्ठे होंगे,और वह आपस में मीटिंग करके कुछ थोड़ा बहुत एलाऊंस और जनता के ऊपर डाल देंगे। और वह कोई लाभ करने वाले नहीं हैं।

दूसरे मुझे इस बात से भी खेद हुआ कि सिवाय भवन निर्माण के इस संस्था को और कोई अधिकार नहीं दिया गया है। यदि केवल भवन निर्माण का ही कार्य इसको देना था तो मुझे स्वास्थ्य मंत्राणी महोदया क्षमा करेंगी, मैं समझता हूं कि यह कार्य उनके क्षेत्र का नहीं था, वह तो हमारे सरदार जी का काम था जिनका विभाग ही भवन निर्माण का है मंत्रिणी जी का कार्य तो इसके अतिरिक्त जनता के स्वास्थ्य के विषय के ओर कार्यों को देखने का था या इस संस्था को वह कार्य करने को दे दिया जाता जिसको कि वे सारी संस्थायें, दिल्ली नगर पालिका, नई दिल्ली नगरपालिका, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट इत्यादि करने में समर्थ नहीं हैं।

हम लोग दिल्ली में आते हैं और यहां रहते हैं और जनता के बीच में घूम कर देखते हैं कि यहां जनता के स्वास्थ्य के प्रबन्ध की कितनी दुर्दशा है। यह भारत की राजधानी है और इस कारण यह और भी लज्जा की बात है कि स्वास्थ्य सेवाओं की यहां इतनी उपेक्षा की जाती है। कहीं पर नालियों का प्रबन्ध नहीं है, कहीं पर ड्रेनेज (जलो त्सारण) का प्रबन्ध नहीं है, कहीं पर जल का प्रबन्ध नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई सफाई का प्रबन्ध नहीं है, और फिर आप यह आशा करते हैं कि केवल हैपहैजार्ड विल्डिंग्स (अनायोजित भवन) रुक जायें, देवता ! आपने कम से कम दस बारह लाख रिफ्यूजीज़.....

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधन कर रहे हैं ?

श्री नंदलाल शर्मा : यह तो एक अच्छा शब्द है।

सभापति महोदय : मैं यह विशेषण प्राप्त करने के लिए प्रसन्न हूं परन्तु मैं समझा कि किसी और को सम्बोधन किया जा रहा है।

श्री नंदलाल शर्मा : संस्कृत में "देवता" शब्द स्त्री लिंग होता है।

सभापति महोदय : इसलिए मैंने यह आपत्ति की थी अध्यक्ष को सम्बोधन करना चाहिये।

श्री नंदलाल शर्मा : तो मैं कह रहा था कि जिस समय वे उत्पीड़ित भारत में आये, अखंड भारत से खंडित भारत में इन्होंने प्रवेश किया और उनमें से अधिक संख्या को दिल्ली में पुनर्वास विभाग की ओर से मकान दिये गये। और जैसा कि श्री राधारमण जी ने और सक्सेना जी ने कहा, उनको इनके लिए बहुत बहुत कीमतें चुकानी पड़ी। हमें तो यह कहने में बड़ी लज्जा आती है कि इन शरणार्थियों से दो दो सौ और सत्तर-सत्तर गज जमीनों के लिए १७ हजार से ३० हजार तक रुपये प्राप्त किये गये। अब उनसे आशा की जाती है कि वे उन जमीनों पर इमारत न बनावें। जिस आदमी से गवर्नमेंट ने ७० गज जमीन के लिए १७ हजार और २० हजार रुपया लिया और फिर उससे यह कहना कि तुम मकान मत बनाओ, तो यह उसका सर्वनाश है या नहीं ?

इसी प्रकार पिछले दिनों हमारे सामने और भी प्रश्न उपस्थित थे। जितनी शरणार्थी बस्तियां बनायी गयी हैं, चाहे वह तिलक नगर

[श्री नदंलाल शर्मा]

हो, अथवा लाजपत नगर हो, या जो बस्ती शंकर रोड पर बनी हुई है वह हो, उनमें न जल का प्रबन्ध है, न सफाई का प्रबन्ध है, न नालियों का प्रबन्ध है । मैंने स्वास्थ्य मंत्रिणो महोदया के विभाग को इस बारे में कई बार प्रार्थना की, लेकिन मुझे उत्तर मिला कि दो वर्ष से पहले वहां नालियां नहीं बन सकतीं, इसलिए पानी नहीं मिल सकता। यह भी कोई उत्तर है जनता के लिए, खासकर उन बस्तियों की जनता के लिए जिनको गवर्नमेंट की ओर से बनाया गया है, किसी प्राइवेट आदमी की ओर से नहीं बनाया गया है। उन मकानों में आज कोई प्रबन्ध नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि आप इस अस्थायी संस्था को जो कि नियुक्त की जाने वाली है यह कार्य सौंप देते तो मैं समझता हूं कि कुछ उचित होता। पर उसके बदले केवल यह कह देना कि आगे की बिल्डिंग्स (भवनों) को रोकने का इसका काम होगा, यह तो मेरी समझ में नहीं आता।

कुछ ऐसी इमारतें हैं जिनका आधा काम हो चुका है। हमने सुना है कि कुछ जमीनें यमुना के तट पर बिकी थीं। उनको गवर्नमेंट ने ३५ रुपये प्रति गज़ के हिसब से बेचा और उसके बाद प्राइवेट ठेकेदारों ने उनको फिर नीलाम किया। उन जमीनों को लोगों ने खरीद लिया है। आज उनसे जाकर कोई ओवरसियर कहता है कि तुम यहां पर इमारत न बनाओ, इस जमीन के लिए तो गवर्नमेंट की स्कीम बनेगी। जब वे लोग इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (सुधार न्यास) के पास जाते हैं और पूछते हैं तो उनसे कहा जाता है हमारी तरफ से तो ऐसा कोई आर्डर (आदेश) नहीं है इसलिए तुम मकान बना सकते हो और उनसे कहा जाता है कि तुम हमको इतनी फीस और दे दो तो हम तुमको प्लान की डुप्लीकेट कापी दे दें, और तुम मकान बनाओ। अब एसा मालूम होता है कि महा दिल्ली के लिए कोई नई योजना बनायी जा रही है। हो सकता है कि इस योजना के अनुसार गवर्नमेंट उनके मकानों और जमीनों को फिर एक्वायर (अर्जित) करे और उनको कम्पेन्सेशन (प्रतिकर) दे। मैं पूछता हूं कि क्या अनिश्चितता की भी कोई सीमा है। मैं कहना चाहता हूं कि जनता के धैर्य की भी एक सीमा है। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि दिल्ली के निर्माण के लिए कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं होना चाहिये। मेरा तो स्वयं यह कहना है कि योजनाबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। परन्तु यह कार्य ६ महीने या साल भर के लिए एक अस्थायी संस्था बनाकर करने के बजाय यह ज्यादा अच्छा होता यदि स्वास्थ्य मंत्राणी जी स्वयं एक विधेयक उपस्थित करतीं जिसमें पुनः परिवर्तन की बात न होती।

तीसरी बात यह है कि इस संस्था को गवर्नमेंटल नामिनेटेड बाडी (सरकारी नामनिर्देशित निकाय) बनाया जा रहा है। इसके सभी सदस्य नामिनेटेड (नामनिर्दिष्ट) होंगे इसमें कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। स्वास्थ्य मंत्रिणी महोदया की ओर से एक सुझाव आया है कि इसमें लोकसभा के भी दो सदस्य रखे जायगे, लेकिन उसके बारे में भी आपने सुन लिया। आप यह समझ लें कि चीफ कमिश्नर (उच्च आयुक्त) से लेकर जितने भी चेयरमैन इत्यादि इसमें होंगे सब गवर्नमेंट के पिट्ठू हैं और जो गवर्नमेंट चाहेगी उसको वे जनता के हित की चिन्ता किये बिना कर देंगे। यह संस्था संतोषजनक कार्य नहीं कर सकती जबतक इसमें जनता का कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होगा।

इसलिये मेरा निवेदन है कि यह नामिनेशन (नाम निर्देशन) का अंश अंगरेजी साम्राज्य काल से सबसे बड़ा कलंक दिल्ली के लिये चला आ रहा है क्योंकि अंगरेजी साम्राज्य काल में या स्वतंत्रता के पहले दिल्ली में सेल्फ गवर्नमेंट (स्वायत्तशासन) का अंश भी नहीं आया था। अब जब हमारा अपना राज्य हो गया, राष्ट्रीय सरकार बन चुकी है, उसके बाद भी जनता को स्वयम् अपने विचार उपस्थित

करने का अधिकार न हो, जनता के निर्वाचित व्यक्ति न जायें, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज होगी, जिसकी ओर मैं माननीया मंत्रिणी जी का ध्यान दिलाऊंगा । इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के स्थान पर विधिवत एक दूसरा विधेयक उपस्थित किया जाये जिस विधेयक में कि जनता की बुराई की भावना न हो ।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली रक्षित अनुसूचित जातियां) : यह जो बिल उपस्थित है मैं उसका स्वागत करता हूं । पर जो यह नई सत्ता बनने जा रही है उसके लिये में कुछ सुझाव देना चाहता हूं और वह सुझाव बहुत आवश्यक है ।

जितने भी स्लम एरिया (गंदे क्षेत्र) हैं यानी गन्दी बस्तियां हैं उनमें अधिकांशत: हरिजन रहते हैं । इसलिये मैं इस अथारिटी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह उनकी तरफ अधिक से अधिक ध्यान दे । उदाहरण के लिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि करौलबाग इलाके में रेहगड़पुरा एक जगह है । वहां इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (सुधार न्यास) ने प्लाट्स वगैरह बनाये और लोगों को दिये । लेकिन उस समय इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट या जो भी सत्ता उस समय थी वह भूल गई कि जो हरिजन वहां रहते हैं उनको पार्क (उद्यान) भी चाहिये, उनको और सुख सुविधाओं की भी आवश्यकता है, हास्पिटल भी वहां पर होने चाहिये । आज आप वहां जा कर देखिये तो वहां आपको एक भी पार्क नजर नहीं आयेगा, वहां पर पार्क के लिये कोई स्थान छोड़ा ही नहीं गया है । मैं इस अथारिटी से कहना चाहता हूं कि जिन प्लाट्स को पिछले दिनों इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने बेचना शुरू किया था उनमें से जो अब भी बाकी पड़े हैं उनको पार्कों के लिये सुरक्षित कर दिया जाय ताकि उनमें उन गरीबों के बच्चे खेल सकें जो वहां रहते हैं और अच्छी हवा के अन्दर और अच्छे वातावरण के अन्दर रह सकें ।

मैंने आज से लगभग दो वर्ष पहले माननीया मंत्रिणी जी की सेवा में निवेदन किया था, पत्र लिख कर सूचित किया था कि इस इलाके के अन्दर चमड़े के कारखाने हैं । दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी (नगरपालिका समिति) ने एक प्रस्ताव पास कर के सन् १९५० या १९५१ में कहा था कि चूंकि दिल्ली बहुत बढ़ गई है और पहले यह कारखाने दिल्ली से बाहर थे लेकिन अब दिल्ली की आबादी बढ़ती हुई यहां तक चली आ रही है इसलिये जो अस्वास्थ्यकर कारखाने हैं उनको हटा देना चाहिये । दिल्ली इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट भी इस बात को चाहता है कि यहां से यह कारखाने हटा दिये जायें, दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी भी यह चाहती है कि यह कारखाने यहां से हटा दिये जायें और दूसरी जगह चले जायें, मेरी समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या हिच है जिसकी वजह से इन अस्वास्थ्यकर कारखानों को वहां से नहीं हटाया जाता । इस रेजोल्यूशन (संकल्प) के अन्दर यह भी दिया गया था कि इस तरह की जो चीजों हैं उनको हटा देना चाहिये । उसमें पिंगरीज (सूअरखाना) के सम्बन्ध में भी कहा गया था कि उनको यहां से हटा देना चाहिये । वर्षों से इस तरह की बातें चलती रहीं हैं । लेकिन उन पर कोई अमल नहीं होता है । म निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह उच्च अधिकार समिति है उसको अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि वह इन सब बातों को ध्यान में रख कर और अपने अधिकारों का उपयोग कर के उचित कार्रवाई करेगी ।

मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जिसको इस अथारिटी को ध्यान में रखना चाहिये । जैसा अभी कहा गया है नक्शे वगैरह बनाये जायेंगे, लेकिन अभी नक्शे बनाने का काम रोक दिया गया है । जो बेचारे गरीब आदमी वहां पर हैं अगर वह किसी प्लाट पर मकान बनवाना चाहते हैं तो उनको ४०, ५० रुपया नक्शे वगैरह बनवाने के लिये खर्च करने

[श्री नवल प्रभाकर]

रड़त हैं, इसके अलावा म्यूनिसिपल कमेटी (नगरपालिका समिति) के लोगों को भी कुछ पे करना पड़ता है, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के लोगों को कुछ प (देना) करना पड़ता है या नहीं यह मैं नहीं जानता, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी के लोगों को जरूर पे करना पड़ता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वहां भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

श्री नवल प्रभाकर : उसके बाद जब नक्शा पास हो कर आ जाता है तो उस के बनाने में भी बड़ी अड़चनें आती हैं, पहले तो उसके पास होने में महीनों लग जाते हैं फिर दूसरी खानापूरी में और समय लगता है। मैं चाहूंगा कि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कुछ आदर्श नक्शे तैयार कराये और उनकी किताबें छाप दे। अगर नक्शे बन कर तैयार रहेंगे तो जिसके पास जैसा प्लाट है उसके अनुसार उसको नक्शे दिखायें जायें कि उसको कौन सा नक्शा पसन्द है। जो उसको पसन्द आये वह उसको दे दिया जाये ताकि वह उसके अनुसार जल्दी से जल्दी मकान बनवा सके। मान लीजिये कि किसी के पास २०० गज का प्लाट है तो उसको २०० गज के प्लाट्स के नक्शे दिखाये जायें, उनमें एक दो कमरों का ही फेर बदल हो, उनको तुरन्त मंजूर कर दिया जाये ताकि वह जल्दी से जल्दी मकान बनवा सके और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और म्यूनिसिपल कमेटी में जो दिक्कतें पेश आती हैं उनसे वह बच सके।

मैं नई कालोनीज (बस्तियों) के सम्बन्ध में भी दो एक शब्द कहना चाहता हूं। आज कल दिल्ली में एक वबा सी फैली हुई है, रोज नई नई कलोनिया (बस्तियां) बनती चली जा रही हैं। वह कालोनीज लोगों को ठगने का आधार हैं। उनको प्लाट्स दिखला कर लोगों से बड़े-बड़े पैसे वसूल किये जाते हैं। पैसे वसूल करने के लिये उनको बड़े-बड़े सब्ज बाग दिखाये जाते हैं, यहां जमीदोज नाँलियां होंगी, बिजली लगेगी, ड्रेनेज सिस्टम (जलोत्सरण व्यवस्था) होगा, पार्क होगा, स्कूल के लिये जगह होगी और उनके सामने एक स्वर्ग का नक्शा उपस्थित किया जाता है। किन्तु जब लोग उन प्लाट्स को खरीद लेते हैं तो वह कम्पनी खत्म हो जाती है। सारी स्कीमें कागज पर ही रह जाती हैं और कम्पनी खत्म कर दी जाती है। मैं मिसाल के तौर पर आप को एक अर्द्धसरकारी संस्था के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं। रिहैबिलिटेशन हाउसिंह कारपोरेशन (पुनर्वास आवास निगम) सरकार ने बनाया जिसमें ८० प्रतिशत शेअर (अंश) भारत सरकार के हैं। यह रिहैबिलिटेशन हाउसिंग कारपोरेशन प्लाट्स बेचता है। लेकिन उनको बिके हुए दो साल हो गये हैं वहां नाम का भी इम्प्रूवमेंट (सुधार) नहीं है सिवा इसके कि कुछ प्लाट्स वहां बना दिये गये क्योंकि इसके बिना उनको कोई लेता नहीं है। लोगों को बतलाया जाता है कि वहां पर जमीदोज नालियां होंगी, बिजली होगी, यहां पर अच्छी अच्छी सड़कें होंगी, लेकिन वहां के जो प्लाट होल्डर्स (प्लाट अधिकारी) हैं वह इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं। प्लाट सरकार के हैं, इम्प्रूवमेंट (सुधार) का नाम आज तक वहाँ नहीं है। लोगों ने पूरा पैसा दे दिया है लेकिन उस सबके बावजूद भी उनका सेल डीड (बिक्री विलेख) नहीं मिलता है जिसकी वजह से उनको लो कास्ट हाउसिंग स्कीम (सस्ता आवास योजना) के मातहत पैसा नहीं मिल रहा है। मैं अथारिटी (प्राधिकारी) से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जो इस तरह की नई-नई का लोनीज हैं उनकी ओर विशेष ध्यान दें। कुछ व्यक्तिगत कालोनीज (बस्तियां) है और उनमें क्या होता है। कुछ कालोनीज ऐसी हैं कि जिनमें बिजली के खम्भे गड़े हुए हैं, जमीनदोज नालियां हैं, लेकिन वह सब बिल्कुल टेम्पोरैरी (अस्थाी) होती हैं और जब तक प्लाट्स बिकते हैं तब तक उनकी भी समाप्ति हो जाती है। यह भी गवर्नमेन्ट के लिये एक सरदर्द होने वाला मैं समझता हूं कि आप इन सब बातों की तरफ

ध्यान देंगे और ध्यान दे कर के सख्त कदम उठायेंगे।

जहां तक अथारिटी के प्रतिनिधित्व का ताल्लुक है, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी (नगरपालिका समिति) के प्रधान को लिया, आपने नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के प्रधान को लिया, इसके अलावा जो इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के चेअरमैन (सभापति) हैं उनको लिया, दो सदस्य आपने दिल्ली राज्य से मांगें हैं। इसके अलावा चीफ कमिश्नर (मुख्य आयुक्त) साहब भी होंगे। जैसा अभी राधा रमण जी ने कहा कि इसमें इस सदन के भी कुछ सदस्य होने चाहियें, मेरी आप से मांग है कि इस सदन के कम से कम तीन सदस्य होने चाहियें। साथ ही जो राज्य सरकार की ओर से प्रतिनिधि नामजद हों उनमें बजाय दो के तीन सदस्य हों जिनमें से कम से कम एक हरिजन हो। इस अथारिटी के अन्दर एक हरिजन सदस्य का होना परमावश्यक है क्योंकि जहां तक गन्दी बस्तियों का ताल्लुक है उनमें अधिकतर हरिजन ही रहते हैं और उनकी समस्यांओं को एक हरिजन ही अच्छी तरह समझ सकता है। इस लिये मेरा अनुरोध है कि इस अथारिटी में एक हरिजन सदस्य जरूर होना चाहिये।

इसके अलावा यह जो एक रिपोर्ट है जो कि दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट इन्क्वायरी कमिटी (पूछ-ताछ समिति) की है, इसके अन्दर दिया हुआ है कि दिल्ली के अन्दर कोई ६ लाख आदमियों के लिए मकानों की आवश्यकता है लेकिन जिस वक्त यह रिपोर्ट (प्रतिवेदन) बनी थी, उस वक्त इसमें कहा गया है कि दिल्ली की आबादी १५ लाख १० हजार के करीब थी लेकिन आज दिल्ली की आबादी बढ़कर तकरीबन २० लाख हो गई है। मैं समझता हूं अब जिन लोगों को मकानों की आवश्यकता है उनकी तादाद कोई १० या ११ लाख के करीब होगी। मैं इस आथोरिटी (प्राधिकारी) से निवेदन करना चाहता हूं कि वह एक मास्टर प्लान (बड़ा नक्शा) तैयार करे जिसमें कि गरीब आदमियों के लिए जगह का बन्दोबस्त करे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अपर मिडल क्लास (उच्च मध्यवर्ग) के १० परसेंट (प्रतिशत) आदमी हैं, मिडल क्लास (मध्यवर्ग) के १० परसेंट हैं, लोयर मिडल क्लास (निम्न मध्यवर्ग) के २० परसेंट हैं, पूअर क्लास (दरिद्रवर्ग) के ३० परसेंट हैं और पूरेस्ट क्लास के ३० परसेंट हैं और उन्होंने यह सुझाव दिया है कि अपर क्लास वालों के लिय २०० गज, फिर १५० गज और फिर ७० गज वगैरह के प्लाट्स इनको दिए जाने चाहियें। तो गरीब आदमियों के लिए जिनकी तादाद पहले कोई ६ लाख थी और आज जिन की आबादी तकरीबन ११ लाख तक पहुंच गई है इस आथोरिटी को मकान मुहैया करने के लिए तजवीज (प्रस्ताव) पैश करनी चाहिए और यह भी तय करना चाहिए कि इनको क्या-क्या सुख सुविधायें दी जायें और इन सुख सुविधाओं के देने का बन्दोबस्त करना चाहिए।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि उन गन्दी बस्तियों का जिनमें कि गरीब लोग रह रहे हैं सर्वे होना चाहिए और सर्वे होने के बाद उनके लिए मकानों का बन्दोबस्त होना चाहिए।

जसा कि सक्सना साहब ने कहा कि यमुना का पानी गर्मियों में नीचे चला जाता है और इस कारण से पानी की दिक्कत हो जातो है। इस आथोरिटी को कोई ऐसी स्कीम बनानी चाहिए कि जो यमुना का पानी है यह एक बड़ी झील की तरह हो जाए ताकि वहां पर पानी की दिक्कत महसूस न हो और दिल्ली में बराबर पानी मिलता रहे। पानी की खपत बहुत बढ़ गई है और इसका कारण यह भी है कि दिल्ली का क्षेत्र जो पहले बहुत छोटा था वह आज बहुत बढ़ गया है। दिल्ली आज इधर नजफगढ़ के पास, उधर नंगलोई के पास और महरौली के पास तक फैल गई है। आज इन २० लाख व्यक्तियों के लिए पानी मुहैया करने का भी सवाल है इसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि यमुना का पानी इस तरह

[श्री नवल प्रभाकर]

से रोक कर रखा जाए कि दिल्ली को सारा साल पानी मिल सके । इसके साथ ही जैसा कि सक्सेना साहब ने कहा यहां पर मैरिन ड्राइव की तरह से भी होनी चाहिए ।

आपने अजमेरी गेट के पास जो जगह को डिवेल्प (विकसित) किया, उससे आपको काफी पैसा प्राप्त हुआ है । इसी तरह से मैं यह भी चाहता हूं कि आप और जगहों को भी डिवेलप करें और जो रुपया आप गरीब आदमियों के ऊपर खर्च करेंगे उससे कहीं अधिक रुपया आपको इन जमीनों से प्राप्त हो जाएगा ।

अन्त में मैं माननीय मंत्रिणी जी से और इस आथोरिटी से निवेदन करूंगा कि वह इन सब बातों का ध्यान रखें और इनको अमल में लाने का प्रयत्न करें और खास तौर से जो स्लम एरियाज (गंदी) हैं और उनमें जो हरिजन रहते हैं उनकी ओर विशेष ध्यान दें ।

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार ८ दिसम्बर, १९५५, के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

स्तंभ

राज्य सभा से सन्देश ६७४७–४८

सचिव ने राज्यसभा से निम्न संदेशों की सूचना दी:

(१) कि राज्य सभा अपनी ५ दिसम्बर, १९५५ की बैठक में लोक सभा द्वारा २२ नवम्बर, १९५५ को पारित किये गये मुद्राणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक १९५५, से बिना किसी संशोधन के, सहमत हो गई है।

(२) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा २८ नवम्बर, १९५५ को पारित भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक के बारे में लोक-सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(३) कि राज्य सभा अपनी ५ दिसम्बर, १९५५ की बैठक में लोकसभा की इस सिफारिश से सहमत हो गई है कि राज्य सभा प्रतिभूति संविदे (विनियमन) विधेयक के सम्बन्ध में सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो।

राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक–सभा पटल पर रखा गया ६७४८

सचिव ने श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) विधेयक को, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा।

स्तंभ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ६७४८–४९

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अध्यादेश संख्या २२६४, २२१०, २१५४, १७९२, १७९३, १४५०, १३९६ और ३४०५ में से प्रत्येक की एक एक प्रति।

कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन ६७४९–५४

(१) तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

(२) उन्तीसवां प्रतिवेदन इस परिवर्तन के साथ स्वीकृत हुआ कि बीमा (संशोधन) विधेयक के लिये ५ घंटे के स्थान पर ७ घंटे नियत किये जायें

विधेयक–पारित किया गया ६७५५–२०

बीमा (संशोधन) विधेयक पर अग्रेतर विचार किया गया। खंड १ से ६ स्वीकृत हुए तथा विधेयक पारित किया गया।

विधेयक पर विचार ६८२०–५०

दिल्ली (निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।